ISSN 2278-1633ANTIM JAN

गांधी दर्शन
अंतिम जन

वर्षः 7, अंकः 11, संख्याः 61, अप्रैल 2025, मूल्यः ₹20

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति संग्रहालय

समिति के दो परिसर हैं- गांधी स्मृति और गांधी दर्शन।

गांधी स्मृति, 5, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित है। इस भवन में उनके जीवन के अंतिम 144 दिनों से जुड़े दुर्लभ चित्र, जानकारियाँ और मल्टीमीडिया संग्रहालय (Museum) है। जिसमें प्रवेश निःशुल्क है।

दूसरा परिसर गांधी दर्शन राजघाट पर स्थित है। यहाँ 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश' प्रदर्शनी, डोम थियेटर और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र संग्रहालय (Museum) है।

दोनों परिसर के संग्रहालय प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 6:30 तक खुलते हैं।
(सोमवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़ कर)

गांधी दर्शन
अंतिम जन

वर्ष-7, अंक: 11, संख्या-61
अप्रैल 2025

संरक्षक
विजय गोयल
उपाध्यक्ष, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति
प्रधान सम्पादक
पल्लवी प्रशांत होळकर
सम्पादक
प्रवीण दत्त शर्मा
पंकज चौबे
परामर्श
वेदाभ्यास कुंडू
संजीत कुमार
सौरव राय
प्रबन्ध सहयोग
शुभांगी गिरधर

मूल्य	:	₹20
वार्षिक सदस्यता	:	₹200
दो साल	:	₹400
तीन साल	:	₹500

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति
गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23392796
ई-मेल : antimjangsds@gmail.com
2010gsds@gmail.com
गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट,
नई दिल्ली-110002, की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित।
लेखकों द्वारा उनकी रचनाओं में प्रस्तुत विचार एवं दृष्टिकोण उनके अपने हैं, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट, नई दिल्ली के नहीं।
समस्त मामले दिल्ली न्यायालय में ही विचाराधीन।
मुद्रक
पोहोजा प्रिंट सोल्यूशंस प्रा. लि., दिल्ली - 110092

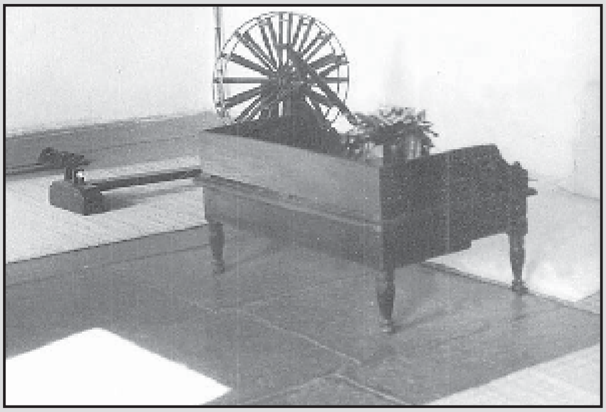

इस अंक में

धरोहर
प्रभु की इच्छा पूर्ण हो - *मोहनदास करमचंद गांधी* 4
व्याख्यान
नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ता भारत का सामर्थ्य - *श्री नरेंद्र मोदी* 10
बातचीत
मानवीयता बची रहेगी, अगर पुस्तकें बची रहें! -*हरिवंश जी* 15
विमर्श
गांधी, काका कालेलकर और हिंदी - *अतुल कुमार* 22
अंबेडकर पर विशेष
डा. बी. आर. अंबेडकर: एक राष्ट्रनिर्माता - *संजीत कुमार* 28
नैतिक शिक्षा
सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना है! - *डॉ. जगदीश गांधी* 31
पर्यावरण
प्रकृति ही परमात्मा है: भारतीय चेतना में पर्यावरण का धर्म - *नृपेन्द्र अभिषेक नृप* 33
हमारी शक्ति, हमारा ग्रह - *रंजना मिश्रा* 37
आदिवासी विमर्श
'गोंडी विद्यालय बंद: आदिवासी संस्कृति के अस्तित्व को खतरा।' - *प्रियंका सौरभ* 41
कविता
रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं 44
फोटो में गांधी 48
बचपन
जोगड़ी बनी ज्योति - *मुकेश बहुगुणा* 49
गोल्डन रिंग - *राम करन* 52
माला की चाँदी की पायल - *ऐनी बेसंट* 55
गांधी क्विज-12 56
किताब
कस्तूरबा के गांधी (नाटक) - *विश्वमोहन* 57

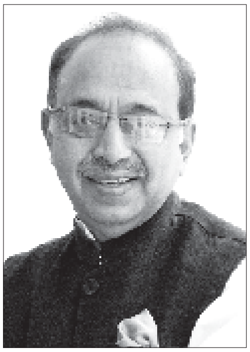

गांधीजी के सपनों के अनुरूप नई शिक्षा नीति

महात्मा गांधी ने कहा था कि 'हमें सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाना चाहिए।' महात्मा गांधी भारतीय भाषाओं के प्रबल समर्थक थे। वे कहते थे:भारत की सांस्कृतिक एकता का आधार भारतीय भाषाएं हैं, न कि विदेशी भाषा (जैसे अंग्रेजी)। गांधीजी ने हमेशा हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाने की बात कही, ना कि बलपूर्वक थोपने की। वे मानते थे कि हर भारतीय को अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदी को सीखना चाहिए, लेकिन वह अन्य भाषाओं के सम्मान के साथ ही होना चाहिए। गांधीजी की भाषा नीति समावेशी और सह-अस्तित्व आधारित थी-संकीर्ण या वर्चस्ववादी नहीं।

गांधीजी की इन्हीं नीतियों पर चलते हुए भारत सरकार ने भी नई शिक्षा नीति के जरिए भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की वकालत की है। शिक्षा नीति के अनुसार, प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 तक, और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक) शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य बच्चों की बेहतर समझ, रचनात्मकता और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। अध्ययन बताते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा में बेहतर सीखते हैं और अधिक आत्मविश्वास से सवाल पूछते हैं।

नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सीखने पर जोर दिया गया है। त्रिभाषा अर्थात एक मातृभाषा/स्थानीय भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा (जैसे हिंदी), एक अंतरराष्ट्रीय भाषा (जैसे अंग्रेजी)।

लेकिन अफसोस की बात है कि तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय दलों ने इसे 'हिंदी बनाम अन्य भारतीय भाषाएं' की लड़ाई बना दिया है। जबकि यह नीति तो सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करती है, जैसा कि गांधीजी भी चाहते थे।

अंतिम जन का ताजा अंक आपके हाथों में है। इसमें निहित विचार और आलेख आपको कैसे लगे, कृपया हमें अवश्य अवगत करवाएं।

विजय गोयल

चंपारण आंदोलन ने दिखाई अहिंसा की ताकत

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने राष्ट्र को न केवल राजनीतिक दृष्टि से जागरूक किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि अहिंसा और सत्याग्रह जैसे नैतिक मूल्यों के माध्यम से भी बड़े से बड़ा बदलाव संभव है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ और इसे भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है।

ब्रिटिश राज में बिहार के चंपारण जिले के किसान बेहद शोषण का शिकार हो रहे थे। उन्हें 'तीनकठिया प्रणाली' के अंतर्गत अपनी जमीन के 15% हिस्से पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी, जो न केवल आर्थिक रूप से नुकसानदायक थी, बल्कि उनकी आजादी का हनन भी थी। अंग्रेज किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करते थे, और उनसे मनमाना कर वसूलते थे। जब जमींदारों और ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों से त्रस्त होकर किसानों ने विरोध करने की कोशिश की, तो उन्हें दंडित किया गया।

राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान नेता ने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा से अवगत कराया और उनसे वहाँ आने का आग्रह किया। गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे किसानों की पीड़ा को जाने बिना नहीं जाएंगे। इस नागरिक अवज्ञा के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में जनदबाव के चलते प्रशासन को उन्हें रिहा करना पड़ा।

गांधी जी ने इस आंदोलन को पूरी तरह से अहिंसक रूप में संगठित किया। उन्होंने गाँव-गाँव जाकर किसानों से बातचीत की, उनकी समस्याएँ सुनीं और सबूत एकत्र किए। चंपारण में गांधी जी ने स्थानीय जनता को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्कूलों और सफाई अभियानों की शुरुआत कर सामाजिक सुधारों को भी गति दी। उनके नेतृत्व में आंदोलन इतना प्रभावशाली और शांतिपूर्ण रहा कि ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। तीनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों को नील की खेती के बोझ से मुक्ति मिली।

चंपारण आंदोलन भारतीय इतिहास में केवल एक किसान आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ था। गांधी जी के अहिंसात्मक सिद्धांतों की यह पहली प्रयोगशाला थी, जिसने साबित कर दिया कि नैतिक बल, जनता की एकता और अहिंसा के साथ किसी भी अन्याय का डटकर मुकाबला किया जा सकता है। चंपारण ने भारत को गांधी दिया – और गांधी ने भारत को एक नई आत्मा, नई दिशा और आजादी की ओर ले जाने वाला मार्ग।

अंतिम जन का अप्रैल अंक आपके समक्ष है। कृपया पत्रिका के बारे में अपने सुझावों से हमें जरूर अवगत करवाएं।

पल्लवी प्रशांत होळकर
निदेशक

आपके ख़त

गांधी के मूल्यों को समर्पित पत्रिका

अंतिम जन का अंक प्राप्त हुआ। यह देखकर प्रसन्नता हुई कि संपादकीय मण्डल और लेखकगण गाँधीवादी मूल्यों और दर्शन को समाज में फैलाने के लिए मेहनत और समर्पण से प्रयासरत हैं। इसके लिए आपको बधाई।

लेफ्टिनेंट जनरल वी के टांडी,
वीएसएम
महानिदेशक आयुद्ध सेवा
एवं वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट एओसी

ज्ञानवर्धक आलेख

अंतिम जन में प्रकाशित आलेख 'गांधीजी के न्याय की अवधारणा एवं वैकल्पिक विवाद समाधान' ज्ञानवर्धक एवं अच्छा लगा। आशा है भविष्य में ऐसे ही अच्छे विचार पढ़ने को मिलते रहेंगे।

बसंत कुमार राय,
रेड क्रॉस भवन, अस्पताल रोड,
पूर्वी चंपारण।

स्वर्ण सम्पदा...

नव उषा का नव प्रभात यह,
हर्ष, प्रेम नव लाया,
हर मन हर्षित, पुलकित, प्यारा नया वर्ष जो आया.
मलयागिरि की पवन ये शीतल,नव रोमांच ले आयी,
इंद्रधनुष सी प्रकृति सजी है,
रोम –रोम हर्षायी.
आम्रमंजरी सुरभि से,
जन मन का हर्ष बड़ा है,
नव कोंपल सारे वृक्षओं पर,
नव श्रृंगार सजा है.
स्वर्ण सम्पदा खेतों में है,
तन, मन तृप्त करेगी,,
प्रचुर अन्न आ रहा घरों में,
सबकी क्षुधा मिटेगी.
कोयल कूक रही बगियन में,
सप्त स्वरों में गाती,
रोम–रोम वसुधा का हर्षित,
नदिया गीत सुनाती.
हर मन हर्ष, उमंग, शांति है,
नव सृजन की तैयारी,
प्रति पल बढ़ें प्रगति के पथ पर, आँचल खुशियाँ सारी.
मृदु बयार मन हर्षित करती,
धरा, गगन प्रमुदित हैं,
सागर, झरने और सरोवर,
करते मन हर्षित हैं.
नूतन संवतसर पर सबका,
कोटि अभिनन्दन है,
सभी सुखी हों, प्रगति करें नित, यही भाव हर मन हैं.

संपर्कः इंजी. अरुण कुमार जैन
अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद, हरियाणा.
मो. 7999469175

आप भी पत्र लिखें। सर्वश्रेष्ठ पत्र को पुरस्कृत कर, उपहार दिया जाएगा।

प्रभु की इच्छा पूर्ण हो

मोहनदास करमचंद गांधी

खबर है कि जनरल स्मट्स ने निजी तौरपर मुझसे अनशन न करने के लिए बड़ी मर्मस्पर्शी अपील की है। कुँवर महाराज सिंह ने उस अपील का समर्थन किया है। मुझे अभी तक तार नहीं मिला है। लेकिन इस खबर की सचाई में कोई सन्देह दिखाई नहीं देता ।

डॉक्टर अन्सारी ने मुझे प्रेम के ऐसे मजबूत धागे से बाँध रखा है जो कड़े-से-कड़े झटके से भी टूटने का नहीं। जब ऐसा लगता था कि जिस 'श्यामी युग्म के जरिये मैं महान और नेक हकीम साहब अजमल खाँ और फिर डॉ० अन्सारी से मिला था, उसने मुझे छोड़ दिया है, तब भी डॉ० साहब का यह विश्वास कभी नहीं विचलित हुआ कि मेरे मनमें भारत के मुसलमानों के प्रति ऐसा प्रेम है मानो वे मेरे सगे भाई हों। बात सचमुच ही ऐसी है क्योंकि हम एक ही 'मादरे हिन्द की औलाद हैं। मेरे पुराने दोस्त, सहयोगी और चिकित्सक के नाते वे हृदयद्रावक शब्दों में मुझसे उपवास के विषय में पुन:विचार करने पर जोर दे रहे हैं।

उधर मेरे अन्तर की बात जाननेवाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक लम्बा तार भेजकर मेरे अनशन के आधार पर ही आघात किया है।

मेरे सबसे छोटे पुत्र और योग्य सहयोगी देवदास की अविरल अश्रुधारा से भरा, व्यक्तिगत अनुरोध भी इन्हीं में जोड़ लें।

जब इस तरह की ये अपीलें भी मुझे मेरे निश्चय से न डिगा सकीं, तब पाठकों को यह आसानी से समझ लेना चाहिए कि अवश्य कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसने मेरे ऊपर बेतरह कब्जा जमा रखा है और जो मुझे इन अपीलों और अनुरोधों पर कान देनेसे रोक रही है।

इन अपीलों का यह मतलब तो है ही कि मेरे मित्र मेरे इस दावे पर विश्वास नहीं करते कि मेरा यह अनशन 'ईश्वर-प्रेरित' है। मेरा यह आशय नहीं है कि वे मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करते। वे यह मानते हैं कि मैं इस

> मेरा ईश्वर की आवाज सुन सकने का दावा कोई नया दावा नहीं है। पर दुर्भाग्य से प्राप्त परिणामों को छोड़कर और किसी तरह उसकी सचाई साबित करने का कोई मार्ग मेरे सामने नहीं है। यदि ईश्वर अपने रचे हुए प्राणियों को यह शक्ति दे दे कि वे उसके अस्तित्व को सिद्ध-असिद्ध करनेका विषय बना लें, तो ईश्वर, ईश्वर ही न रहे। किन्तु वह उसकी शरण में अपने-आपको सर्वतोभावेन अर्पित...।

समय भ्रम में हूँ, शायद मेरी कल्पना जेल की चारदीवारी के अन्दर बन्द रहते-रहते गरम होकर भड़क उठी है और उस उत्तेजित कल्पना के कारण ही मैं अपने अनशन को ईश्वर-प्रेरित मान बैठा हूँ। मैं यह दावा नहीं करता कि मेरे विषय में ऐसी बात नहीं हो सकती । पर जब तक मेरी भ्रान्ति भ्रान्ति के रूप में मेरे सामने स्पष्ट न हो जाये, तब तक मुझ पर उसका कोई असर नहीं होने का। जेल में रहने का तो मैं आदी हो गया हूँ। जेल की चार-दीवारी ने कभी मेरी विवेचना-शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाला और न उसके कारण किसी बात को लेकर उधेड़-बुन करने की लत ही मुझे लग सकी है। अपने विभिन्न कारावासों की अवधि में मैं बहुत अधिक कार्यव्यस्त रहा हूँ और कोरी उधेड़-बुन की मुझे फुरसत ही नहीं रही। निस्सन्देह, हरिजनों पर होने वाले जुल्मों के बारे में मैने बहुत सोचा है, पर उस निरन्तर चिन्तन के परिणामस्वरूप मैंने कोई-न-कोई निश्चित कार्य ही किया है। जिस रातको उक्त महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया उसके एक दिन पहले मैं जो कदम उठाने के सम्बन्ध में विचार कर रहा था, निश्चय ही वह कदम अनशन तो कदापि नहीं था।

मेरा ईश्वर की आवाज सुन सकने का दावा कोई नया दावा नहीं है। पर दुर्भाग्य से प्राप्त परिणामों को छोड़कर और किसी तरह उसकी सचाई साबित करने का कोई मार्ग मेरे सामने नहीं है। यदि ईश्वर अपने रचे हुए प्राणियों को यह शक्ति दे दे कि वे उसके अस्तित्व को सिद्ध-असिद्ध करने का विषय बना लें, तो ईश्वर, ईश्वर ही न रहे। किन्तु वह उसकी शरण में अपने-आपको सर्वतोभावेन अर्पित कर देने वाले, आत्म-निवेदक दास को अवश्य यह शक्ति दे देता है कि वह कठिन-से-कठिन अग्निपरीक्षा से उत्तीर्ण हो जाये। मैं प्राय: पचास वर्षसे भी अधिक समय से इस सबसे बड़े न्यायप्रिय स्वामी का सर्वतोभावेन दास रहा हूँ। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उसका अन्तर्नाद मेरे लिए अधिकाधिक स्पष्ट होता गया। मेरे जीवन की अँधेरी-से-अँधेरी घड़ियों में भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। कितनी ही बार तो उसने मेरे ही संकल्पों के विरुद्ध मेरी रक्षा की और स्वतन्त्रता का लेश भी मुझमें शेष नहीं छोड़ा। मैं जितना ही अधिक अपने को उसकी शरण में अर्पित करता गया, मैंने उतना ही अधिक आनन्द पाया ।

इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे अतिशय कृपालु मित्र मेरे अनशन के औचित्य को मान लेंगे। मैं उसके बाद जीवित रहें या मर जाऊँ, हर हालत में वे मेरे अनशन को उचित ही मानें। प्रभु की मरजी जानी नहीं जा सकती, उसकी लीला अपरम्पार है। और कौन जाने अनशन-काल में उसे मेरी मृत्यु इष्ट हो, ताकि उससे मेरे जीवन की अपेक्षा अधिक शुभ परिणाम प्राप्त हो सके? निश्चय ही हमारा यह विचार कि क्षणभंगुर शरीर से व्यक्ति की आत्मा के अलग होते ही उसकी सेवा करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, एक अपकर्षकारी विचार है। रामकृष्ण और दयानन्द, विवेकानन्द और रामतीर्थ की आत्माएँ हम लोगों के बीच में क्या आज भी अपना-अपना काम नहीं कर रही हैं? हो तो यह भी सकता है कि वे आत्माएँ जब पार्थिव शरीर में आवद्ध थीं, तबसे वे आज कहीं अधिक शक्तिशालिनी हों। यह कहना गलत है कि बहुधा मनुष्य के सत्कर्म उसकी मृत्यु के साथ ही विलीन हो जाते हैं। हम उसकी बुराइयों को उसके नश्वर शरीर के साथ जला देते हैं। पर उसके सत्कर्मों की याद को हम सुरक्षित रखते हैं। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, उस स्मृतिका मूल्य बढ़ता जाता है।

और फिर किसी खास व्यक्ति की सेवाओं को, चाहे वह कितना ही नेक और योग्य क्यों न हो, इतना अधिक महत्त्व क्यों दिया जाये? हरिजनों का कार्य हरि का कार्य है। जब भगवान को जरूरत होगी, तब वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अनेक उपयुक्त लोग उत्पन्न कर देगा।

इसलिए जनरल स्मट्स और अपने दूसरे मित्रों से मैं इस बातपर विश्वास कर लेने के लिए अनुरोध करता हूँ कि मैं यह काम किसी भ्रम में पड़कर नहीं कर रहा हूँ। उनसे मेरी विनय है कि वे परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह मुझे अग्निपरीक्षा से सकुशल पार हो जाने की शक्ति प्रदान करे। मुझे विश्वास है कि, चाहे जिस सेवा के लिए हो, यदि

अभी इस पृथ्वी पर थोड़े दिनों तक मेरे जीवित रहने की आवश्यकता है, तो डॉक्टरों के डर को असत्य ठहराकर भगवान मुझे बचा लेगा।

उपर्युक्त लेख का टंकन ही हो रहा था कि सर कुँवर महाराजसिंह का हार मिला। समाचारपत्रों के पाठ में कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं। तार इस प्रकार है:

निम्नलिखित तार जनरल स्मट्स ने निजी तौर पर मुझे भेजा है ताकि में इसे आप तक पहुँचा दूँ :

'मैं आपसे हार्दिक अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना घोषित उपवास शुरू न करें। अस्पृश्यता निवारण-सम्बन्धी आपके कार्य को अधिक-से-अधिक जितनी आशा की जा सकती थी, उससे भी अधिक सफलता मिली है। हमारे युग के इस सबसे बड़े सुधार को आप धैर्यपूर्वक पूर्णत: सम्पन्न करने की दिशा में अब भी कार्य जारी रख सकते हैं। इसके अलावा भारत में एक नये युग का आरम्भ हो रहा है, जिसमें आपके विवेकयुक्त निर्देशन की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा है। आपके अपने जीवन को जोखिम में डालने से भयानक विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। इस बहुत ही नाजुक समय में वह एक कभी पूरी न हो सकने वालो क्षति होगी। में पुरानी मैत्री के नाते और उन महान उद्देश्यों के लिए जिन को आपने इतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, आपसे यह अपील करता हूँ।'

इस तार को आपके पास भेजते हुए में अपनी ओर से जनरल स्मट्स द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का अनुमोदन करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि दक्षिण आफ्रिका के भारतीय समाज की भी यही भावना है।

आत्मस्वीकृति और चेतावनी

अखबारों में मैने यह बात पड़ी अवश्य थी कि हिन्दुस्तान में यह महिला आई और उसने हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लिया। मुझे यह भी मालूम था कि वह साबरमती आश्रम में जाने को बड़ी अधीर है। पर सितम्बर मास के मेरे अनशन-व्रत से पहले उसने मुझसे पत्र-व्यवहार नहीं किया था। गत दूसरी जनवरी को, जब दूसरे उपवास की सम्भावना प्रकट की गई, तब उसने एक लम्बा पत्र मुझे लिखा कि मेरे साथ वह भी उपवास करना चाहती है। मैंने उसे इस मार्ग से हट जाने के लिए एक बहुत जोरदार पत्र लिखा, और यह भी कहा कि अगर इस पर भी उसे विश्वास न हो तो मुझसे आकर मिल ले। इसके बाद एक पत्र में मैंने उसे यह भी लिखा कि हो सके तो अपने गत जीवन का कुछ हाल मुझे लिख भेजे। उत्तर में उसने एक लम्बा पत्र भेजा। इस बीच कुछ युवकों की सहायता से उस बहन ने बंगलोर में हरिजन-सेवा-कार्य आरम्भ कर दिया। इस बारे में भी उसने मुझे लिखा। इससे मेरी दिलचस्पी बढ़ी और उसके काम की प्रशंसा करते हुए मैंने पुन: उसे पत्र लिखा। इस भाँति हमारा पत्र-व्यवहार बढ़ता गया ।

एकाएक, हाल ही में मैसूर से लौटे मित्रने मुझे चेतावनी दी कि आपके पत्रों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक मनचली युवती है। उसका चरित्र भी संदिग्ध है। उसे एक फौरी पत्र लिखकर मैंने इस बात का इशारा कर दिया और लिखा कि एकदम पूना चली आओ। मेरे पत्र के उत्तर में वह फौरन ही पूना आ गई। मुझे लगा था कि यदि यह आरोप सत्य हो, तो उसके सम्पर्क से हरिजन सेवा को हानि पहुँचने की सम्भावना है। आनेपर उसका आचरण मुझे विचित्र तो मालूम हुआ। किन्तु जब मैंने उसके चरित्र के बारे में जो कुछ सुना था वह उसे बताया तो उसने उन सारे दोषारोपणों से इनकार कर दिया। मैंने समझा कि बात खत्म हो गई और मैं उससे कार्य-सम्बन्धी अन्य बातें पूछने लगा। ज्यों-ज्यों बातचीत आगे बढ़ी, मेरा सन्देह भी बढ़ता गया, और मैंने उससे यह बात साफ-साफ कही। अब तो एक के बाद एक अत्यन्त दु:खदायक बातें सामने आई। उसका जीवन कामुक, असत्यपूर्ण तथा खर्चीला था। ऐसा लगता था कि कामुकता के प्रति उसे अरुचि नहीं थी। वह एक बोहेमियन परिवार में पली-बढ़ी थी, जहाँ ईसामसीह का नामतक निषिद्ध था। (नी० अभी केवल 24 वर्ष की हैं; उसका विवाह सत्रह वर्ष की आयु में ग्रीस में हुआ था और उसके साथ उसका एक बेटा है।) उसके जीवन में जो आश्चर्यजनक विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें अब वह महसूस करती दिखाई देती है।

मैंने उसे बताया कि वह उस धर्म को, जिसे उसने अपना लिया है, जबर्दस्त क्षति पहुँचा रही है और इससे हरिजन कार्य को हानि पहुँच रही है तथा वह अपने इर्द-गिर्द एकत्रित युवकों का चरित्र भी दूषित कर रही है। मैं समझता हूँ कि मेरे कथन में कितना बल है, इसे वह समझ गई। उसने तत्काल अपने पूर्व जीवन से एकदम सम्बन्ध त्याग देने और लेनदार दावा कर दें तो उसकी भी जोखिम उठाने का निश्चय कर लिया। उसने यह भी तय कर लिया कि हरिजनों की सेवा के लिए वह उनके बीच में ही जाकर रहेगी और इसी कार्य के लिए अपने बच्चे का लालन-पालन करेगी। वह बंगलोर वापस चली गई। अपने दोषों को स्वीकार करते हुए उसने एक छोटा-सा पत्र अखबारों को भेजा, पर वे छापने को तैयार न हुए। वह बंगलोर की हरिजन-वस्ती में चली गई, पर वहाँ एक लम्पट पुरुष के संसर्ग में आने के कारण उसका पुन: पतन हुआ। तब भयभीत होकर चितलदुर्ग के पास वह एक हरिजन-ग्राम में गई। जो व्यक्ति उसे वहाँ ले गया था, वह अब उसके प्रति बेपरवाह हो गया था। इससे उसे बड़ा आघात पहुंचा। इस बीच वह मेरे साथ नियमित रूपसे पत्र-व्यवहार कर रही थी। वह समझ गई थी कि समुचित पथ-प्रदर्शन के बिना हरिजनों की सेवा करना और अपना चरित्र ठीक रखना असम्भव है। मुझे लगा कि अपनी दी हुई सलाह को हर तरहसे पूरी करना मेरा स्पष्ट धर्म है। अगर दीन-से-दीन और दलित-से-दलित लोगों में सेवा करते हुए उसे जीवन बिताना है, तो उसे आश्रम में ही रहना चाहिए, जहाँ बहुत दिन पहले आने का वह स्वप्न देखती थी। किसी मित्र या अन्य संस्था से मैं यह नहीं कह सकता था कि वह एक ऐसी विदेशी विकारग्रस्त युवती को अपने यहाँ रखने का जोखिम उठाये जिसके पूर्व-जीवन की मलिनता अब भी कुछ अंशों में मौजूद हो। अत: आश्रम के व्यवस्थापक की अनुमति से, हिचकिचाहट के साथ, मैने उसे आश्रम भेज दिया है। जनता के सामने मैं उसका पत्र रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें कुछ संकोच न हुआ हो। उसका भयानक भूतकाल पूरी तरह मर गया है, यह विश्वास करना कठिन है। पर मानव-जीवन में अकस्मात् परिवर्तन हुए हैं। हम आशा करते हैं कि नी० का जीवन भी ऐसा ही साबित होगा। जो बात पामर मनुष्य के लिए अशक्य है, वही परमात्मा के लिए शक्य है।

जो युवक नी० के मोहपाश में फंस चुके हैं, उनसे भी दो शब्द कहे देता हूँ। अपने पूर्व जीवन का नग्न चित्र वह मेरे आगे रख चुकी है। सारी दुनिया में युवक-युवती भावुक होते हैं। अत: अध्ययन-काल में अर्थात् 25 वर्ष तक ज्ञान और निश्चयपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन अत्यन्त आवश्यक है। देश के युवक जान लें कि तमाम सेवाकार्यों में हरिजन सेवाकार्य अत्यन्त कठिन है। सवर्ण हिन्दुओं की घोर निद्रा से उनका कितना नैतिक पतन हुआ है, इस सम्बन्ध में मुझे जो-कुछ पता चला है उसका दसवाँ हिस्सा भी...।

यह कहना तो व्यर्थ ही है कि आश्रम में यह बहन सविनय अवज्ञा आन्दोलन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तनिक भी भाग न लेने की इच्छा से जा रही है।

जो युवक नी० के मोहपाश में फंस चुके हैं, उनसे भी दो शब्द कहे देता हूँ। अपने पूर्व जीवन का नग्न चित्र वह मेरे आगे रख चुकी है। सारी दुनिया में युवक-युवती भावुक होते हैं। अत: अध्ययन-काल में अर्थात् 25 वर्ष तक ज्ञान और निश्चयपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन अत्यन्त आवश्यक है। देश के युवक जान लें कि तमाम सेवाकार्यो में हरिजन सेवाकार्य अत्यन्त कठिन है। सवर्ण हिन्दुओं की घोर निद्रा से उनका कितना नैतिक पतन हुआ है, इस सम्बन्ध में मुझे जो-कुछ पता चला है उसका दसवाँ हिस्सा भी मैं प्रकाशित नहीं करता। अत: हरिजन सेवा के लिए सेवको में अत्यधिक पवित्रता और सादगी की जरूरत है। जो युवक और ....

हरिजन सेवा का कार्य कर रही हैं, उन्हें नी० के उदाहरण से विक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।

हृदय-जागृति के लिए

यह लेख मैं शनिवार को प्रात:काल लिख रहा हूँ। बहुत मित्रों की बातें सुनीं। उनका मोह किंवा प्रेम मुझे आगामी महायज्ञ से रोकना चाहता है। अन्तरात्मा कहती है-

'रुकना पाप है। सत्यनारायण के नाम से संकल्प किया है, वही अपनी इच्छा के अनुकूल सब पूर्ण करेगा।'

बाह्य दृष्टि से जितना मैं देखता हूँ, वह मुझे बताता है कि चाहे जो हो, उपवास तो मुझे करना ही चाहिए। पंडित संतानम ने मुझे पंजाब के कार्य का एक विवरण दिया है। उसमें लाला मोहनलालजी ने तीन प्रश्न पूछे हैं। संक्षेप में वे प्रश्न ये हैं:

1. पंजाब में आर्यसमाज, सनातन धर्म, सिख, मुसलमान और ईसाई, सभी हरिजनों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं।
2. हरिजनों में ऐसे नेता पैदा हो गये हैं, जिनका लोभ इतना बढ़ता जाता है कि उन्हें सन्तुष्ट करना असम्भव है।
3. इस हेतु से कार्य करने वाले प्रतिस्पर्धी संघ पंजाब में हैं।

पाठकों को पढ़कर आश्चर्य होगा कि इन प्रश्नों का उत्तर मेरा उपवास है। अर्थात् हरिजन सेवा संघ के सेवक को समझना चाहिए कि यह कार्य केवल धार्मिक है और धार्मिक दृष्टि से होना चाहिए। इतना स्पष्ट हो जाने से ये तीनों प्रश्न आप ही हल हो जाते हैं। अन्य धर्म और सम्प्रदायों के लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसे मैं धार्मिक नहीं मानता। हरिजन सेवक अगर धार्मिक मनोवृत्ति से कार्य करेंगे तो उन्हें यह आत्मविश्वास होगा कि उनकी सेवा ही सेवाका फल है। सेवक अपने को न्याय पर ही तोल सकते हैं। इसलिए हरिजन नेता या कोई भी अनुचित दबाव डालेंगे, तो वे उससे प्रभावित नहीं होंगे। प्रतिस्पर्धी संघों पर धार्मिक दृष्टि से किये हुए कार्य का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा।

ऐसे चमत्कारी धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म वह, जो आत्मा को शुद्ध करता है, जो कर्म-फल की आकांक्षा नहीं रखता, जिसमें अटूट विश्वास है, जिसमें स्वार्थ का लेश भी होना असम्भव है। जो कार्य इस धर्म के अनुकूल है, वही धार्मिक कहा जाना चाहिए। इस अर्थ की धार्मिक प्रवृत्ति में हरिजन सेवा सवर्ण हिन्दुओं की शुद्धि का रूप लेती है, उनका प्रायश्चित बनती है। यदि यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाये तो फिर पूछने का कोई प्रश्न रहता ही नहीं। प्रत्येक स्त्री-पुरुष अथवा संघ यथाशक्ति हरिजन सेवा करके शुद्ध हो जाये, किसी की निन्दा न करे, न किसी के साथ द्वेष करे। इसमें राजनीतिक लाभ का कोई स्थान नहीं है। किन्तु ऐसा कहना आसान है, करना कठिन है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म बुद्धिगम्य नहीं, हृदयगम्य है। हृदय की जागृति के लिए सिवा तपके कोई अन्य साधन नहीं है। तप त्याग की पराकाष्ठा है। तप का आरम्भ उपवास से होता है। तापका सहना तप है। उपवास का ताप उपवासी जानते हैं। दलीलों से जो मैं नहीं समझा सकता, उसे उपवास-रूपी तपसे समझाने की आशा रखता हूँ।

पर ऐसा हो या न हो, इस तपके सिवाय मुझे अन्यत्र शान्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझसे यही चाहता है। इस तपको करते हुए देह छूट जाये, तो मैं समझूंगा लोग भी समझें कि इससे मेरा कार्य खत्म हुआ, मेरा सम्बन्ध समाप्त हुआ। यहाँ खेद अथवा दु:ख को स्थान नहीं। और हरिजन-सेवा के हितार्थ तप करते हुए यदि देह का अन्त हो जाये, तो मेरे लिए अथवा हरिजन-कार्य के लिए उससे अधिक अच्छा और क्या हो सकता है? यदि तप निर्विघ्न समाप्त हो गया, तो मेरा आत्मविश्वास अधिक दृढ़ होगा और मेरी सेवा-शक्ति बढ़ेगी। हर हालत में, यह स्पष्ट हो जायेगा कि हरिजन सेवक संघ का कार्य केवल धार्मिक है, सवर्ण हिन्दुओं के लिए प्रायश्चित्त-स्वरूप है और इस कार्य में जो लोग पवित्र नहीं है, उनके लिए स्थान नहीं है।

कोई ऐसा न समझ बैठे कि केवल दैहिक उपवास में कोई शक्ति भरी हुई है। ऐसे उपवास में मन और वचन का साथ होना चाहिए। मनसा वाचा-कर्मणा किया हुआ उपवास ही आत्मशुद्धि का एक आवश्यक साधन है। इसी कारण मैने अपने अन्य लेखों में स्पष्ट कर दिया है कि हर किसी को उपवास करने का अधिकार नहीं हो सकता।

व्याख्यान

नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ता भारत का सामर्थ्य

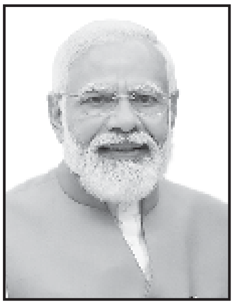

श्री नरेंद्र मोदी

आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में ग्यारहवें नंबर की इकोनॉमी बना, वो महज 7-8 साल में पांचवे नंबर की इकोनॉमी बन गया? अभी IMF के नए आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत, दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है, जिसने 10 वर्षों में अपने GDP को डबल किया है। बीते दशक में भारत ने दो लाख करोड़ डॉलर, अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। GDP का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है। इसका impact देखिए, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास, एक प्रकार से नई जिंदगी शुरु कर रहा है। ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा, तेजी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है। और इन सबके बीच, भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है- India First, एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी, सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, Equi-Distance की पॉलिसी, आज के भारत की पॉलिसी है, सबके समान रूप से करीब होकर चलो, Equi-Closeness की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को, जैसा महत्व आज दे रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है, आज दुनिया जानना चाहती है, What India Thinks Today.

भारत आज, वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर को शेप और सेक्योर करने में योगदान दे रहा है। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही, कई-कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत ने हर

आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में ग्यारहवें नंबर की इकोनॉमी बना, वो महज 7-8 साल में पांचवे नंबर की इकोनॉमी बन गया? अभी प्ड॰ के नए आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े कहते हैं...।

आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेजी से वैक्सीनेशन कराया, और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन्स भी पहुंचाई। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी, तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारा तौर-तरीका क्या है।

अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना, उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने, 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स के गठन का रास्ता बनाया, और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है। देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है, प्राकृतिक आपदा से, पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो।

साथियों, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक चुनौती है, हमारे एनर्जी रिसोर्सेस की। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने International Solar Alliance (ISA) का समाधान दिया है। ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ, आज दुनिया के सौ से अधिक देश जुड़ चुके हैं।

साथियों, बीते कुछ समय से दुनिया, ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी challenges का सामना कर रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरु किए हैं। India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट, कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी।

ग्लोबल सिस्टम्स को, अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। और यहीं, यहीं पर ही भारत मंडपम में जी-20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसीडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन्स में भारत, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बन रहा है। International Yoga Day, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, और ये तो अभी शुरूआत है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है।

21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में 11 साल हमारी सरकार ने देश की सेवा की है। और जब हम What India Thinks Today उससे जुड़ा सवाल उठाते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि Past में क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। इससे TV9 के विशाल दर्शक समूह को भी अंदाजा होगा कि कैसे हम, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, Aspirations से Achievement तक, Desperation से Development तक पहुंचे हैं। आप याद करिए, एक दशक पहले, गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था, तो माताओं-बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था। आज उसी सवाल का जवाब

स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था, तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी, तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था, तो वो चुप्पी साध लेती थीं। आज जनधन योजना के कारण, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानि सिर्फ दशक नहीं बदला, बल्कि लोगों की जिंदगी बदली है। और दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। आज भारत सिर्फ Nation of Dreams नहीं, बल्कि Nation That Delivers भी है।

जब कोई देश, अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है, तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था, ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की...।

जब कोई देश, अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है, तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था, ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की राजधानी में ही पासपोर्ट केंद्र होते थे, छोटे शहरों के लोगों को पासपोर्ट बनवाना होता था, तो वो एक-दो दिन कहीं ठहरने का इंतजाम करके चलते थे, अब वो हालात पूरी तरह बदल गया है, एक आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए, पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, आज इनकी संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाने में, और मैं 2013 के पहले की बात कर रहा हूं, मैं पिछले शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं, पासपोर्ट बनवाने में जो वेटिंग टाइम 50 दिन तक होता था, वो अब 5-6 दिन तक सिमट गया है।

ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने इस स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है, आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच प्वाइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का NPA बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट, एक लाख 40 हजार करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है, उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ED को दिन-रात गालियां दी जा रही है, ED ने 22 हजार करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा, कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापिस पहुंचाया जा रहा है, जिनसे ये पैसा लूटा गया था।

Efficiency से गवर्नमेंट Effective होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज में अधिक काम हो, फिजूलखर्ची ना हो, रेड टेप के बजाय रेड कार्पेट पर बल हो, जब कोई सरकार ये करती है, तो समझिए कि वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से ये हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा।

अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में accommodate करने की कोशिश करती थीं। लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, Urban Development अलग मंत्रालय था और Housing and Urban Poverty Alleviation अलग

मंत्रालय था, हमने दोनों को मर्ज करके Housing and Urban Affairs मंत्रालय बना दिया। इसी तरह, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था, हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया, पहले जल संसाधन, नदी विकास मंत्रालय अलग था, और पेयजल मंत्रालय अलग था, हमने इन्हें भी जोड़कर जलशक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय, देश की priorities और देश के resources को आगे रखा।

हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशन्स को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे, जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे। उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40 हजार, compliances को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए, एक तो जनता को harassment से मुक्ति मिली, और दूसरा, सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और Example GST का है। 30 से ज्यादा टैक्सेज को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको process के, documentation के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी बचत हुई है।

सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूलखर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने, GeM यानि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है, और सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर- DBT की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है, उसकी तो दुनिया में चर्चा है। DBT की वजह से टैक्स पेयर्स के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी, जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है।

हमारी सरकार टैक्स की पाई-पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है, और टैक्सपेयर का भी सम्मान करती है, सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाया है। आज ITR फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज है। पहले सीए की मदद के बिना, ITR फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन ITR फाइल कर पा रहे हैं। और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम भी टैक्सपेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में efficiency से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है।

सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूलखर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने, GeM यानि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है, और सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी हुई है।

पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक, भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया, जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ, तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे - भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है! आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं- भाई, मेड इन इंडिया है या नहीं है?

आज हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस का एक नया रूप देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक न्यूज आई है कि भारत ने अपनी पहली MRI मशीन बना

ली है। अब सोचिए, इतने दशकों तक हमारे यहां स्वदेशी MRI मशीन ही नहीं थी। अब मेड इन इंडिया MRI मशीन होगी तो जांच की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया, भारत को एक बड़े Manufacturing Hub के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है। 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट, वन बिलियन डॉलर तक भी नहीं था। लेकिन एक दशक में, हम ट्वेंटी बिलियन डॉलर के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलिकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। Automotive Sector की Success से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। इससे जुड़े Components के एक्सपोर्ट में भी भारत एक नई पहचान बना रहा है। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटर-साइकल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स UAE और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ने भी सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। हमारे सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट्स 23 गुना तक बढ़ गए हैं। बीते एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 21 गुना बढ़ा है। ये सारी अचीवमेंट्स, देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि भारत में कैसे हर सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं।

TV9 की इस समिट में, विस्तार से चर्चा होगी, अनेक विषयों पर मंथन होगा। आज हम जो भी सोचेंगे, जिस भी विजन पर आगे बढ़ेंगे, वो हमारे आने वाले कल को, देश के भविष्य को डिजाइन करेगा। पिछली शताब्दी के इसी दशक में, भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के लिए नई यात्रा शुरू की थी। और हमने 1947 में आजादी हासिल करके भी दिखाई। अब इस दशक में हम विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चल रहे हैं। और हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करना है। और जैसा मैंने लाल किले से कहा है, इसमें सबका प्रयास आवश्यक है। इस समिट का आयोजन कर, TV9 ने भी अपनी तरफ से एक positive initiative लिया है। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।

मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से फाइव स्टार होटल के कमरे में, वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही। TV9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल प्लेस किया है, 2 साल के भीतर-भीतर देख लेना, सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी TV9 Thinks Today वो बाकियों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, आपकी पूरी टीम को, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की। 50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक मिशन मोड में बातचीत करना, उनको जोड़ना, उनको मिशन के साथ जोड़ना और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होकर के आए, उनकी आगे की ट्रेनिंग की चिंता करना, ये अपने आप में बहुत अद्‌भुत काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। जिन नौजवानों से मुझे यहां फोटो निकलवाने का मौका मिला है, मुझे भी खुशी हुई कि देश के होनहार लोगों के साथ, मैं अपनी फोटो निकलवा पाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं दोस्तों कि आपके साथ मेरी फोटो आज निकली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी, जो मुझे दिख रही है, 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग हैं, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे, जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

(टीवी9 समिट 2024 में प्रधानमंत्री के भाषण के अंश)

मानवीयता बची रहेगी, अगर पुस्तकें बची रहें!

पुस्तकें नहीं हों तो शायद जीवन में रास्ता ना मिले और अकेलेपन का जीवन में संकट के क्षणों में ऊर्जा पाने का एकमात्र माध्यम, विश्वसनीय माध्यम पुस्तकें ही हैं और पुस्तको के प्रति एक सहज और स्वाभाविक लगाव मैं मानता हूँ कि जीवन में प्रकृति ने ही शायद दिया है, क्योंकि बचपन से पुस्तकों ने आकर्षित किया और कुछ पुस्तकें अगर नाम लेनी हो, जिन्हें लगातार पढ़ करके मैं अपनी हर मन:स्थिति में एक नई दृष्टि, एक समझ पाता हूँ, एक ऊर्जा पाता हूँ, उनमें से कुछ एक का जरूर मैं उल्लेख करना चाहूँगा।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी से विनय कुमार की बातचीत

विनय – पुस्तकें हमारी चिंतन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर हमें संवाद के योग्य बनाती हैं; हम विमर्श कर पाते हैं! पुस्तकों के लिए पाठक और पाठक के लिए पुस्तकें अपेक्षित हैं। .. तभी तो प्रयाग शुक्ल कहते हैं, 'इंतजार करते हैं आदमी/ कोई पढ़े उनको/ लिखते हैं किताबें आदमी/ करती है किताबें इंतजार/ पढ़े जाने का/ .. तो आप बताएँ क्या पढ़ना अच्छा लगता है? किस तरह की किताबें इंतजार करती है कि आप उन्हें पढ़ें?

हरिवंश जी : विनय जी! मैं कह नहीं सकता कि पुस्तकों से कब आत्मीय लगाव हुआ, पर आज यह कह सकता हूँ कि पुस्तकें नहीं हों तो शायद जीवन में रास्ता ना मिले और अकेलेपन का जीवन में संकट के क्षणों में ऊर्जा पाने का एकमात्र माध्यम, विश्वसनीय माध्यम पुस्तकें ही हैं और पुस्तको के प्रति एक सहज और स्वाभाविक लगाव मैं मानता हूँ कि जीवन में प्रकृति ने ही शायद दिया है, क्योंकि बचपन से पुस्तकों ने आकर्षित किया और कुछ पुस्तकें अगर नाम लेनी हो, जिन्हें लगातार पढ़ करके मैं अपनी हर मन:स्थिति में एक नई दृष्टि, एक समझ पाता हूँ, एक ऊर्जा पाता हूँ, उनमें से कुछ एक का जरूर मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे, हिंदी में उसका नाम है, 'समर गाथा' जो अमृत राय जी द्वारा अनूदित है। यह एक उपन्यास है, हॉवर्ड फास्ट (Howard Fast) का 'दी ग्लोरियस ब्रदर्स' (The Glorious Brothers)। मनुष्य अपनी अस्मिता के लिए, किस तरह से अपनी निजी स्वतंत्रता, निजी चिंतन, अपनी आत्मभूमि, अपनी राष्ट्रीयता, अपने देश, अपने वजूद के लिए किस तरह संघर्ष करता है.. अद्‌भुत उपन्यास है! बार-बार उसके पात्र आकर्षित करते हैं। दूसरी पुस्तक, जिसने जीवन पर गहरा असर डाला, पुस्तक न कहूँ, बल्कि विषय कहूँ, कृष्ण हैं। कृष्ण के जीवन के अद्‌भुत पक्ष हैं, जैसे डॉ० राम मनोहर लोहिया ने कहा कि ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि कृष्ण सारी कलाओं के अवतार थे। राम के बारे में कहते हैं कि वह मर्यादा के ज्यादा तत्त्व लेकर आए थे, लेकिन कृष्ण तो 16 कलाओं में प्रवीण, पारंगत थे। कृष्ण पर लिखी बहुत सारी पुस्तकों ने मुझे आकर्षित किया, लेकिन मनु शर्मा ने जो कृष्ण पर आठ खंडों में पुस्तकें लिखीं, जिनका शीर्षक मैं याद करूँ तो 'नारद की भविष्यवाणी', 'दुरभिसंधि', 'द्वारिका की स्थापना', 'लाक्षागृह', 'खांडव दाह', 'राजसूय यज्ञ', 'संघर्ष' और 'प्रलय' हैं। भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से, जीवन के दर्शन की दृष्टि से, जीवन का यथार्थ क्या है, समय क्या है, काल क्या है, व्यक्ति का क्या महत्त्व है, उसपर इतनी सुंदर पुस्तकें तो मुझे कम देखने को

मिली हैं। फिर इतिहास की पुस्तकों ने बहुत आकर्षित किया। इनमें मैं अगर कहूँ तो विल डूरंट (Will Durant) की 11 खंडों में लिखी 'द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन'। भारत पर उनकी अद्‌भुत किताब है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति कितनी गौरवपूर्ण रही है! हमारे उपनिषद अद्‌भुत हैं। रामायण और महाभारत तो मैं कहूँ कि जीवन में जो भी गंभीर सवाल हैं, उन सबका दर्शन इन पुस्तकों में है। इनसे बाहर जीवन कहीं कुछ है ही नहीं। प्रचलित कहावत है कि जो महाभारत में नहीं है, उसका जीवन के बाहर कहीं कोई सवाल ही नहीं है। जीवन के जो सवाल हैं, समाज के सवाल हैं, महाभारत में उनके उत्तर मिलते हैं। विंल डूरंट की जो पुस्तक थी, जिसमें 'आवर ओरिएंटल हेरिटेज: द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन' (वॉल्यूम 1-2), 'द लाइफ ऑफ ग्रीस' (वॉल्यूम 2-3), 'सीजर एंड क्राइस्ट' (वॉल्यूम 3), 'द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन' (वॉल्यूम 4-5), 'द रेनेसाँ' (वॉल्यूम 5-6), 'द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन' (4-5), 'द रेनेसाँ, 'द स्टोरी ऑफ सिविल वॉर रूम (5-6), 'द रिफॉर्मेशन : द स्टोरी ऑफ सिविल (वॉल्यूम-6), 'दी एज ऑफ रीजन बिगेन्स' : दी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन (वॉल्यूम 7-8), 'द एज ऑफ लुईस ग्प्ट', 'द स्टोरी ऑफ सिविलिजेशन (वॉल्यूम 8-9), 'दी एज ऑफ वॉल्टियर: दी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन' (वॉल्यूम 9-10), 'रूसो एंड रेवोल्यूशन : दी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन (वॉल्यूम 10), 'दी एज ऑफ नेपोलियन: द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन' (वॉल्यूम-11)। इसके अलावा भारत पर मैंने आपको बताया, फिर उनकी दो और छोटी छोटी किताबें। मैं एक बार यूरोप में गया था। वहाँ मैंने पुस्तक खरीदी कि दुनिया में 100 टॉप थिंकर्स कौन हैं, जिन्होंने इतिहास को एक नए ढंग से रचा और लिखा और उस पर एक दृष्टि दी। फिर पोएट्री कौन सी हैं, जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया?.. तो उनकी दूसरी किताबें हैं। उनका हेडिंग, पुस्तको का शीर्षक मुझे याद नहीं है। उन पुस्तको ने जीवन में बड़ा गहरा असर डाला। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, पॉल कैनेडी की पुस्तक 'द राइज एंड फॉल ऑफ दी ग्रेट पावर्स : इकोनॉमिक चेंज एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम 1502 - 2000 यानी 500 शताब्दी में कैसे दुनिया में बड़ी सभ्यताएँ बनीं और खत्म हुई, पर इन सबसे ज्यादा अध्यात्म की पुस्तको ने भी जीवन में मुझपर बहुत गहरे ढंग से असर डाला है और आकर्षित किया है। उनमें मैं अगर अध्यात्म में कहूँ तो परमहंस योगानंद की अमर आत्मकथा है, 'ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी'। पॉल ब्रंटन को आज लोग नहीं जानते। भारतीय अध्यात्म पर उस व्यक्ति ने सौ-डेढ़ सौ वर्षों पहले इतना काम किया है। उनकी बड़ी मशहूर किताब है, 'ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया' और पंद्रह-बीस और किताबे है। फिलहाल में राधानाथ स्वामी.., ये मूलत: अमेरिकी हैं। उनकी दो पुस्तकें बड़ी रिमार्केबल आई हैं, अध्यात्म की दृष्टि से। एक का नाम है, स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ, 'द जर्नी होम' है और दूसरे का नाम भी कुछ इसी तरह मिलता-जुलता है। अद्‌भुत पुस्तकें हैं! जीवन क्या है? जो सचमुच अध्यात्म पक्ष, जो आज की तारीख में अध्यात्म को जो लोगों ने बाजार बना दिया है, वह नहीं, उससे अलग है। यह हमारे महर्षि अरविंद की परंपरा है। रमण महर्षि की परंपरा है। रमण महर्षि के बारे में, महर्षि अरविंद के बारे में, उनकी रचनाएँ अद्‌भुत आकर्षित करती हैं। साथ ही, स्वामी सत्यानंद स्वामी, निरंजनानंद, जिन्होंने मुंगेर योग स्कूल

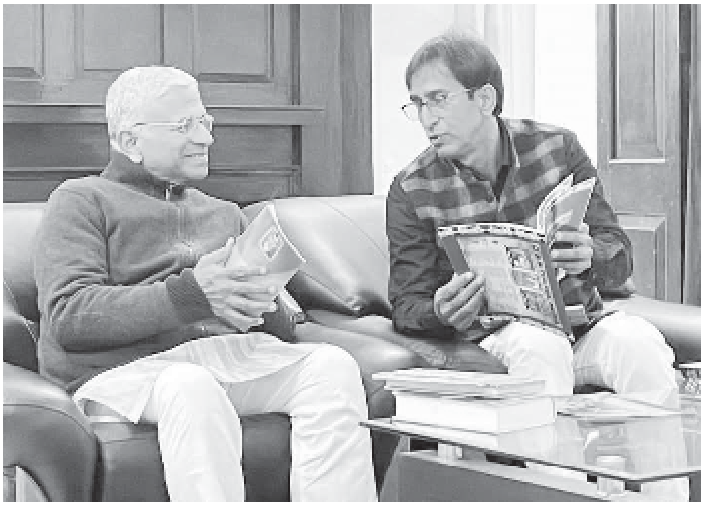

बनाया। इसके अलावा, स्वामी सत्संगी जी। अद्‌भुत उनकी रचनाएँ हैं! उनकी पुस्तक भी अध्यात्म पर हैं, योग पर हैं, पर उन लोगों ने कभी अध्यात्म को आत्मप्रचार का विषय नहीं बनाया, व्यवसाय का विषय नहीं बनाया। पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब तो पुस्तकों के बड़े शौकीन थे। जहाँ तक याद है, आउटलुक या किसी अन्य पत्रिका में उन्होंने बड़े विस्तार से आठ-दस पुस्तकों के बारे में बताया था, जिन्हें जीवन में हर व्यक्ति को अपने साथ रखना ही चाहिए।

विनय : जी! अरुण कुमार तिवारी से जो संवाद हुए हैं, उसमें भी उन्होंने अपनी पसंद की पुस्तकों का जिक्र किया है।

हरिवंश जी : हाँ, जरूर किया होगा। आप सही कह रहे हैं, पर उन पुस्तकों में एक पुस्तक का नाम मैं बताता हूँ, जिसको मैं कहूँ कि सिरहाने में रखता हूँ, पढ़ता हूँ। उनमें पॉल केनेडी की एक किताब है, लिलियन इचलर वॉटसन की पुस्तक 'लाइट फ्रॉम मेनी लैंप्स : ए ट्रेजरी आफ इंस्पिरेशन' (Light from many Lamps : A Treasury of Inspiration) है, अद्‌भुत किताब है! हर व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जीवन, विनय जी! उतार-चढ़ाव, निराशा-आशा, आस्था-अनास्था-इन सबका मेलजोल है जीवन। जब जीवन में ऐसे क्षणों से आप गुजरते हैं तो पुस्तकें, और ऐसी पुस्तकें खासतौर से, अद्‌भुत ताकत देती हैं। कलाम साहब ने कहा था कि यह पुस्तक उन्होंने ऐसी पायी, जो जीवन भर साथ रखी जा सकती है। इसको मैं बार-बार पढ़ता हूँ। हर परिस्थिति में नई ऊर्जा, दृष्टि मिलती है; आत्मबल मिलता है। कलाम साहब ने यह भी बताया था कि यह पुस्तक उन्हें मिली कैसे? तो कहा कि सेकेंड हैंड बुक स्टोर में मुझे पुस्तक मिली थी और इस किताब का मिलना उनके जीवन में बदलाव का क्षण था। उन्होंने कहा था कि जीवन में जब भी हताशा या निराशा आई, इस किताब ने बहुत गाइडिंग लाइफ की तरह जीवन में काम किया। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अब श्समर गाथाश के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मनुष्य का स्वत्व, अपनी पहचान और संस्कृति धमनियों में रक्तप्रवाह की तरह है! यानी राष्ट्रीयता, हमारा स्वाभिमान, आजादी की कोई कीमत नहीं होती। अपनी शर्तों पर जीने की कीमत चुकाने वाली कौम की वो प्रेरणा की लौ, जो कभी बुझी नहीं! मैं पिछले दिनों हल्दी घाटी गया था, नवंबर में। वहाँ जब खड़े हुए तो मुझे डॉक्टर लोहिया की वो पंक्ति याद आई। उन्होंने कहा कि 1000 वर्षों का इतिहास देखिए। हमारे यहाँ हल्दीघाटी जैसे प्रसंग बहुत कम मिलते हैं। रेयर. .। पर एक हल्दी घाटी का होना यह बताता है कि भारत का स्वाभिमान कभी कैसे जागरूक हुआ, अस्त नहीं हुआ। तो 'समर गाथा' एक रूप में उसी की, उसी तरह की, मनुष्य की प्रवृत्ति की कथा है। कृष्ण के बारे में कहूँ, जिस पुस्तक का उल्लेख किया, मनु शर्मा की.. , कृष्ण हैं तो लोकमानस में रचे बसे ईश्वर के रूप में, पर इतनी पीड़ा, दर्द और जीवन, जो कृष्ण ने ईश्वर के रूप में पाया, जो दुःख पाया, वो शायद ही किसी ने पाया। जन्म से संसार छोड़ने तक कृष्ण के व्यक्तित्व, जीवन, कथा और पल-पल में पूरा संसार ही समाया है। संसार की पीड़ा, संघर्ष, त्याग, कर्त्तव्य, फर्ज की जो भी समस्याएँ, लौकिक कल्पनाएँ संभव है, वो सब कृष्ण के जीवन में हैं। इसलिए कृष्ण जीवन हैं, दुःख, विषाद, खुशी, उपलब्धि, हानि-लाभ, जीवन-मरण, हर पल में प्रेरित करने वाले! मौत के फन पर भी नृत्य करने वाले! जीवन जीने वाले, नृत्य, संगीत में रमे रहने वाले तो महासंहार यानी जो महाभारत हुआ तो मौत के फन पर गीता का उपदेश देने वाले! जीवन लेने वाले व्याघ्र को भी अभय दान देने वाले कृष्ण! अद्‌भुत लोग हैं। जो इतिहास में है, वही भविष्य के गर्भ में है। इतिहास दर्शन और संसार के रहस्य को समझने की प्रभावित कुंजी है इतिहास की पुस्तकें। विल डुरंट ने दुनिया का इतिहास और खासतौर से भारत का इतिहास बड़ी रोचक शैली में लिखा है। इसी तरह दुनिया में, जो महाभारत कहता है, काल का राज होता है; यानी 'टाइम डिसाइड्स'। व्यक्ति बड़ा नहीं होता। वही अर्जुन थे, वही तीर थी, लेकिन भील वहाँ से, द्वारिका से उनके साथ सब कुछ आ रहा था, औरतें भी आ रही थीं, हर ले गए। .. तो व्यक्ति बड़ा नहीं होता, काल बड़ा होता है। इतिहास हमें क्या बताता है कि बड़े साम्राज्य, सत्ता या खुद को अमिट समझने वाले इतिहासनायक

दरअसल समय की देन हैं। व्यास ने महाभारत में कहा कि यह काल है, यही बलवान है। व्यक्ति अमर या बलवान नहीं होते। समय की लहरें उन्हें ऊपर ले जाती हैं तो धरातल में भी पहुँचाती हैं। नेपोलियन द ग्रेट ने, जब हेलेना द्वीप में कैद था तो माना कि समय बलवान है, नियति बड़ी होती है। जीवन वही नहीं है, जो हम देखते हैं। इससे इतर का जीवन-रहस्य समझने के लिए अध्यात्म की पुस्तकें, उसमें परमहंस योगानंद जी की अमर कालजयी कथा, ब्रिटेननिवासी पॉल ब्रंटन की सैकड़ो वर्ष पहले लिखी भारत पर आध्यात्मिक किताबें, स्वामी राधानाथ की किताब, अभी मास्टर एम, मूलतः वह केरल के मुस्लिम हैं, लेकिन भारतीय अध्यात्म पर जो उनकी गहराई और चिंतन है, हर देशवासी को पढ़ना चाहिए। आज दुनिया पढ़ती है।

पुस्तकें मनुष्य के संवेदनशील मन का स्पर्श करती हैं। वो वो बड़े प्रभावी ढंग से आपके सोचने-समझने के संवेदनशील तत्त्वों को गहराई से प्रभावित करती हैं। मैं आपको बताऊँ कि कविता, कहानी, उपन्यास, दरअसल ये असल चीजें हैं, जो मनुष्य को बदलती हैं। राजनीति एक सीमा तक व्यवस्था को बदलती है, लेकिन उससे आगे वैचारिक चीजों ने ही दुनिया को बदला हैं आज तक। अब उसकी जगह टेक्नोलॉजी ले रही हैं। आप देखेंगे तो पिछले सवा दो सौ साल का दुनिया का इतिहास, जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई, तब से लेकर आप देखें...।

विनय : आपकी पुस्तक में, विगत वर्ष जिनका विमोचन हुआ, सारी बातें आई हैं ..

हरिवंश जी : अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि अपने हिंदी इलाके को मैंने कैसे समझा, पुस्तकों के माध्यम से। जब मैं विद्यार्थी था, हिंदी इलाके के समाज को, उसके परिवर्तन को समझने के लिए किसी समाजशास्त्री को मुझे नहीं पढ़ना पड़ा, बल्कि उसमें राजनीतिक हालात, सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक तंत्र, परिवारों का ताना-बाना पढ़ने के लिए उस दौर में, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, पाँच किताबें को मैंने पढ़ा हुआ है। मानता हूँ कि अगर इनको पढ़ लें तो उस दौर को समझने के लिए किसी समाजशास्त्री को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 'रागदरबारी' (श्रीलाल शुक्ल), 'अलग अलग वैतरणी' (शिवप्रसाद सिंह), 'आधा गाँव' (राही मासूम रजा), 'मैला आँचल (फणीश्वरनाथ रेणु), 'बेहैया के जंगल (ललित निबंध, कृष्ण बिहारी मिश्र)। इनके अलावा हजारों पुस्तकें मेरे जीवन का हिस्सा हैं। एक तरह से मैं कहूँ आपको, पुस्तकों से घिरा रहना मुझे बड़ा अद्भुत आनंद देता है। मैं लगातार पढ़ता हूँ, लगातार पुस्तकें खरीदता हूँ। हर बड़े शहर में कम से कम बहुत पुरानी दुकानें है। 25-25 वर्षो से मेरा रागात्मक लगाव है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि पुस्तकें नहीं होतीं तो हमारे जैसा मामूली समझ का आदमी भी अपना जो एक नए ढंग से सोचने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं कर पाता।

विनय : जी! अब सवाल है, दो तीन और थे, जिनके जवाब तो मुझे इसी में मिल गए हैं। एक सवाल है कि हम क्यों पढ़े किताबें ? रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ हैं - पढ़ता जाता और रोता जाता था मैं/ जो पढ़ता हूँ उस पर मैं नहीं रोता हूँ/ बाहर किताब के जीवन से पाता हूँ/ रोने का कारण मैं/ पर किताब रोना संभव बनाती है/ .. तो सवाल है कि क्या सही है कि पुस्तकों से संवेदनशीलता जाग्रत होती है?

हरिवंश जी : पुस्तकें मनुष्य के संवेदनशील मन का स्पर्श करती हैं। वो वो बड़े प्रभावी ढंग से आपके सोचने-समझने के संवेदनशील तत्त्वों को गहराई से प्रभावित करती हैं। मैं आपको बताऊँ कि कविता, कहानी, उपन्यास, दरअसल ये असल चीजें हैं, जो मनुष्य को बदलती हैं। राजनीति एक सीमा तक व्यवस्था को बदलती है, लेकिन उससे आगे वैचारिक चीजों ने ही दुनिया को बदला हैं आज तक। अब उसकी जगह टेक्नोलॉजी ले रही हैं। आप देखेंगे तो पिछले सवा दो सौ साल का दुनिया का

इतिहास, जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई, तब से लेकर आप देखें, जो रूसो, वाल्टेयर, फ्रांस के बाद रूस, चीन, वियतनाम, उसके बाद गांधी का आविर्भाव। गांधी के आने के बाद दुनिया से साम्राज्यवाद का अंत हुआ, जो कोई सोच नहीं सकता था। जब गांधी का उदय हुआ, अहिंसक ढंग से दुनिया बदल सकती है और इन सब ढंग से दुनिया में गांधी ने उस साम्राज्य का, जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, खत्म करके दिखाया। यह मनुष्य के विचारों की यात्रा थी। इसमें लोगों की चिंतनशील पुस्तकें, लेख, आप जानते हैं कि वाल्टेयर या रूसो की लिखी हुई चीजें, जिसने कैसे फ्रांस की क्रांति का पथ प्रशस्त किया। भारत की आजादी की लड़ाई में साहित्यकारों की, कवियों की क्या भूमिका रही.., पचास वर्ष पहले हुए जेपी मूवमेंट में कवियों की क्या भूमिका रही.. तो मनुष्य के मन को बदलने का काम तो साहित्य करता है। एक सीमा के आगे साहित्य जैसा प्रभावी दूसरा कोई माध्यम नहीं। यह मेरा निजी मानना है। आप देखें, हमारे महर्षि अरविंद की पुस्तक 'सावित्री', जिस पर नोबेल प्राइज देने की चर्चा हुई थी, क्या अद्‌भुत कल्पना है! हम सामान्य लोग उसको समझ नहीं पाते।

विनय : एक दार्शनिक ने लिखा भी है कि सावित्री को समझ पाने की क्षमता नोबेल कमेटी में नहीं थी..

हरिवंश जी : बिलकुल! मैं आपको बताऊँ कि जब मैं गया ऐसी जगहों पर, रमण महर्षि के यहाँ, महर्षि अरविंद आश्रम, मैं आपको बताना भूल गया कि हमें भारत के आध्यात्मिक विरासत को जानना है तो हमने अगर विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को नहीं जाना, रामकृष्ण परमहंस जिनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, उस व्यक्ति ने विवेकानंद को दिया, जिसने भारत में वह चेतना पैदा की कि जहाँ हम खड़े हैं, उससे आगे की यात्रा, विश्वगुरु बनने का हम सपना देख रहे हैं। .. तो जब मैं महर्षि अरविंद के आश्रम पर गया पहली बार तो उस कमरे की ओर गया, मुझे दिखाने लोग ले गए, लगभग पंद्रह-बीस वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जिसमें महर्षि अरविंद लगातार 24 वर्ष एक ही कमरे में रह गए विनय जी! उसी में साधना की, उसी में लिखा-पढ़ा। आप 24 पल, 24 मिनट एक छोटे-से कमरे में रहने की कल्पना करिए। रहना तो दूर की बात है, 24 दिन रह नहीं सकते। 24 सप्ताह या 24 महीने की बात छोड़ दीजिए। 24 वर्ष हो गए अरविंद को। जिनके पिता और माता ने उनको वो शिक्षा दी कि लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश पढ़ें; जिन पर छाया ना पड़े भारतीयता का और आप जानते हैं कि हमारे देश में बंगाल, महाराष्ट्र कुछ ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर लोगों की अपनी संस्कृति और भाषा से अद्‌भुत लगाव है! .. तो महर्षि अरबिंद वहाँ के थे, पर उनको अपनी भाषा से भी दूर रखने की कोशिश, वो परिवेश देने की माँ-पिता ने कोशिश की, पर वो भारतीयता के सबसे बड़े प्रवक्ता बने। अपने लेखन, अपने विचारों, अपनी समझ से तो ये सब पुस्तकें पढ़ करके जीवन की दृष्टि मिलती है। हम सबको और मुझे लगता है कि पुस्तकें न हो तो मनुष्य का जीवन श्रीहीन हो, ऐसा मुझे लगता है।

विनय : इन जवाबों से मेरे दो और सवाल थे, जिनके जवाब मिल गए हैं। एक तो आपके लेखन का सर्जनस्रोत जिसका जवाब मिल चुका है और क्या पुस्तकें आध्यात्मिक संकेत देती हैं? हाँ देती हैं, यह जवाब मिल चुका है। अब एक-दो छोटे-छोटे सवाल। क्या लिखा आपने, जिसे लिखने के बाद सर्वाधिक संतुष्टि मिली और क्या लिखने की इच्छा है, जिसे अब तक लिखा नहीं या लिखना चाहेंगे?

हरिवंश जी : मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दुनिया के कई देशों में गया। उन देशों में जाकर के यह देखना, जानना कि किस समाज ने कैसे करवट ली, लोगों ने अपनी जिन्दगी कैसे बदली? मनुष्य का संकल्प, मनुष्य का हौसला, मनुष्य का जज्बा कैसे अपनी नयी नियति लिख सकता है- ऐसे विषयों पर लिख करके जब मैं एक पत्रकार के रूप में अपने पाठकों के सामने रखता था तो मुझे बहुत संतोष की अनुभूति होती थी कि मैं अपने देश के संदर्भ में एक सही काम कर रहा हूँ, कि मैं अपने देश के लोगों को बताऊँ कि हम अपने हौसले से, हम अपने संकल्प से,

अपने इरादे से, कैसे देश को बुलंदी की ओर ले जा सकते हैं! उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है! ठोस उदाहरणों के रूप में मैं आपको बताऊँ कि जब सिंगापुर में पहली बार गया तो सिंगापुर कैसे उसने अपने को बदला, जो कछार था, जो गंदा इलाका बहुत ही पिछड़ा इलाका था, उस मुल्क ने अपने को दुनिया के सबसे विकसित देशों में कैसे खड़ा कर लिया? उनके पीछे वहाँ के नेता ली कुआन यू का क्या योगदान रहा? उनकी आत्मकथा है दो खंडों में। पढ़ने पर और भारत के बारे में बड़े पैशन से उन्होंने लिखा है कि हम सब भारत को बड़ी उम्मीद की नजर से देख रहे थे, पर भारत खरा कैसे नहीं उतरा? जब मैंने पढ़ा, उसपर लंबा लिखा तो मुझे आत्मसंतोष हुआ कि मैंने भारत के लोगों के मन को अपनी ओर से छूने की कोशिश की है। भले ही मैं विफल रहूँ, ना छुपाऊँ, वो मेरी अपनी कमी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी से मेरा लेखन उसे दिशा में प्रयास है कि लोगों के मन को छू सकूँ। बताऊँ कि क्यों हम अपने कारणों से आज अगर दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन पा रहे हैं, समृद्ध देश नहीं बन पा रहे हैं, नयी नियति नहीं लिख पा रहे हैं तो हम कैसे दोषी हैं? नागरिक के तौर पर हमारा फर्ज क्या है? हमारी राष्ट्रीयता कैसी होनी चाहिए? हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? हमारी शासन-व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? दस-बीस वर्ष पहले जब मैं लिखता था, लौटकर उन देशों से तो मुझे बड़ा सुकून का अनुभव होता था। फिर मैं इसी क्रम में, उन्हीं दिनों में,

हम सिर्फ नेतृत्व से अपेक्षा करें, वह अपनी जगह एक अलग मुद्दा है, लेकिन नेतृत्व के साथ-साथ हमारी भागीदारी, भूमिका क्या है, इस पर लंबा और गंभीर लिखता था। उससे भी मुझे बहुत संतोष मिलता था। गाँव में जाकर मैं रिपोर्ट करता था, उससे भी मुझे संतोष मिलता था। आंतरिक अनुभूति के लिए जब मैं कैलास मानसरोवर की यात्रा पर गया तो उस पर लिखा - जीवन क्या है? अध्यात्म क्या है? - तो बहुत संतोष मिलता था। चंद्रशेखर जी की जीवनी लिखी कि एक सामान्य...।

आपको बताता हूँ कि यह 2004 से 2010 के बीच में लगातार चीन और दूसरे देशों को देखता रहा कि किस तरह उन देशों ने अपनी नियति बदली, कम समय में अपने संकल्प से आर्थिक विकास का एक नया इतिहास लिखा। उस वक्त मैं लंबा लिखता था और लिखता था कि भारत में कहाँ क्या कमी रह गई..। हमें क्या और करना चाहिए..। जनमानस हमारा कैसा होना चाहिए..। हम सिर्फ नेतृत्व से अपेक्षा करें, वह अपनी जगह एक अलग मुद्दा है, लेकिन नेतृत्व के साथ-साथ हमारी भागीदारी, भूमिका क्या है, इस पर लंबा और गंभीर लिखता था। उससे भी मुझे बहुत संतोष मिलता था। गाँव में जाकर मैं रिपोर्ट करता था, उससे भी मुझे संतोष मिलता था। आंतरिक अनुभूति के लिए जब मैं कैलास मानसरोवर की यात्रा पर गया तो उस पर लिखा - जीवन क्या है? अध्यात्म क्या है? - तो बहुत संतोष मिलता था। चंद्रशेखर जी की जीवनी लिखी कि एक सामान्य परिवार से निकलकर कैसे उन्होंने दुनिया में अपनी जगह अपने बूते, अपने संकल्प से बनायी, अपनी शर्तों पर बनायी। बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते। वह सब लिखा तो मुझे सार्थक अनुभूति हुई। जहाँ तक सवाल है कि क्या लिखना चाहेंगे तो बहुत सारे विषय मन में रहते हैं। ये खुद रहता है कि ये सृष्टि क्या है? कृष्ण, जो बड़े आकर्षित करते हैं, कृष्ण का जीवन कैसे अपने आप एक संदेश है? कृष्ण का अंत इतना मार्मिक है, जो बार-बार पढ़ता हूँ उसको। और जितनी पढ़ता हूँ, अंदर से बिलकुल बेचौन-सा महसूस करता हूँ। कृष्ण ने जीवन को जिस सहजता से लिया, मौत को भी उसी सहजता से लिया। कैसे उन्होंने अपने हाथों से वो स्थिति प्रशस्त की कि अब द्वारका इतनी बलशाली हो गई है कि वहाँ मूल्य खत्म हो गए हैं। वह द्वारका, जो मूल्यों के लिए बनी, कैसे मूल्यों का नाश करने लगी है, तो खुद कृष्ण ने कैसे उसे उस अहंकार की सजा उसको मिले, इसका रास्ता प्रशस्त किया। बहुत इच्छा होती है कि कभी कुछ कृष्ण के इस भाव पर थोड़ा-बहुत अपने मन को व्यक्त कर सकूँ तो बड़ी सार्थकता, बड़ा, बढ़िया अनुभूति मिलेगी। उसी तरह से, मुझे राम का जीवन बहुत आकर्षित करता है। इतना बड़ा मर्यादा का प्रतीक

संसार में कोई दूसरा नहीं है। बुद्ध का बुद्धत्व। जापान में गया तो जापान के लोगों का जो स्वभाव मिजाज और आत्मसम्मान देखा, इच्छा रहती कि सब मैं अपने लोगों को बता सकूँ, लिख सकूँ तो बहुत सुकून मिलेगा। और मैं नहीं कह सकता कि कितना कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा?

विनय : हमारी भी इच्छा है कि आपकी ये इच्छा पूरी हो और हम पढ़ पाएँ। कुछ सवाल थे तो इसके जवाब तो मुझे मिल गए कि आपकी प्रिय पुस्तकें, आपके प्रिय रचनाकार कौन हैं? एक और सवाल और अंतिम सवाल, आज के संदर्भ में कि क्या ई-बुक से मुद्रित पुस्तकें चलन से बाहर हो जाएँगी, आज के संदर्भ में देखें तो..?

हरिवंश जी : मैंने तो बताया कि मैं पुस्तको की पीढ़ी का व्यक्ति हूँ और आज भी हर महीने में कम से कम पुस्तकें तो खरीद ही लेता हूँ और औसतन सात-आठ हजार का तो पढ़ जाता होगा। मेरा कोई और खर्च नहीं है। जीवन में ना कोई कपड़े का शौक है न किसी क्लब में जाना है, पर आज से नहीं, बहुत पहले से पुस्तकें, मतलब घर पर समस्या है कि उनको रखी कहाँ जाएँ? मैं तो उस पीढ़ी का हूँ, जो पुस्तकों के बीच ही पला-बढ़ा। इसलिए मैं तो सोच ही नहीं सकता, बल्कि पुस्तकों का आप जो कह रहे थे, बड़ा अच्छा उदाहरण है। एम०सी० छागला की एक पुस्तक है, 'रोजेज इन दिसंबर' (ROSES IN DECEMBER), जो उनका संस्मरण है। आप जानते हैं, एम०सी० छागला (M-C- Chagla) भारत के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और चीफ जस्टिस भी थे (महाराष्ट्र के शायद), बड़े प्रगतिशील नेता हुए हमारे देश के। उन्होंने लिखा है कि राधाकृष्णन जी जब प्रेसिडेंट थे और वे जाते थे तो देखते थे कि चौकी पर किताबें भरी रहती थीं। पतला-सा उनका बेड लगा रहता था। उसी पर सोते थे। एक बार किसी ने सुझाव दिया कि चौकी पर इतनी धूल भी रहती है तो वह मना कर देते थे कि इसे किसी को साफ नहीं करना है। इसकी धूल, इसको साफ करना, सब उनका काम है। इसे इतना रागात्मक लगाव है कि कोई चीज इधर-उधर होती है तो उन्हें बेचैनी की अनुभूति होती है! .. तो यह जीवंतता तथा यह लगाव! तो मैं तो उस पीढ़ी का हूँ कि मैं नहीं मानता कि पुस्तकें खत्म होंगी। हमारे पढ़ने का टेक्नीकल माध्यम बदल सकता है, जो बदल रहा है। कंप्यूटर पहले आया,अब लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं। अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट आ ही रहे हैं। ई-रीडर आ रहे हैं..। नये इंस्ट्रूमेंट आएँगे, पर कंटेंट तो वही है, जो पुस्तकों में आता है। वही इन माध्यमों में होगा। ..और आज भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर किताबों की बड़ी दुकानें सम्मानित दृष्टि से देखी जाती हैं; चाहे यूएस हो, ब्रिटेन हो, कहीं भी और पुस्तकें बिक भी रही हैं। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि वैसा अवसर आएगा।

विनय : क्योंकि मुद्रित पुस्तकों के स्पर्श के सुख का विकल्प ई-बुक नहीं है ..

हरिवंश जी : मैं आपकी बात से शत-प्रतिशत सहमत हूँ विनय जी!

विनय : शब्द की धारा में अर्थ का आवेश हैं पुस्तकें, जो मन-मानस को ऊर्जस्वित करती रहती हैं। पढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहे तो मुझे लगता है, बची रहेंगी पुस्तकें। लेखक सार्थक लिखते रहें, पाठक सतत पढ़ते रहे तो शब्द रहेंगे साक्षी, सभ्यता के भी, संस्कृति के भी! आपने इतना समय दिया, हम अनुगृहीत हैं। धन्यवाद!

हरिवंश जी : मनुष्य की मानवीयता बची रहेगी, अगर पुस्तकें बची रहें तो। बहुत धन्यवाद विनय जी!

संपर्क:

मोहवत छपरा, पत्रालय-सोबैयाँ,
वाया-तुरकौलिया, जिला-पूर्वी चम्पारण,
बिहार, 845437 मो.-9631544404
drvinay5150@gmail.com

गांधी, काका कालेलकर और हिंदी

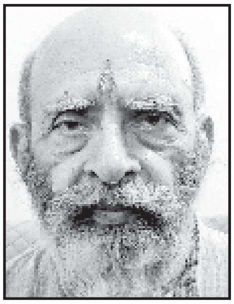

अतुल कुमार

गांधी जी जब गुजरात बस गए तो वहां जैसे जीवन जाग उठा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने 'गुजरात राजकीय परिषद' की स्थापना की। गांधी जी इसके अध्यक्ष मनोनीत हुए। इसका पहला अधिवेशन हुआ गोधरा में। उसमें गांधी जी गुजराती में ही बोले थे।

उन दिनों सम्राट के प्रति राजनिष्ठा का प्रस्ताव पास करने की परिपाटी थी। परंतु जब गांधी जी के सामने यह प्रस्ताव आया तो उन्होंने उसे फाड़ डाला। बोले, 'ऐसा प्रस्ताव पास करना बेहूदापन है। जब तक हम बगावत नहीं करते तब तक हम राजनिष्ठ हैं ही। इस बात की बार-बार घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या कोई स्त्री अपने पति के सामने बार-बार पतिव्रता होने की घोषणा करती है। उसने शादी की है। इसका अर्थ है कि वह पतिव्रता है।'

यह सुनकर कार्यकर्ता अवाक रह गए। गांधी जी बोले, 'अगर कोई आपसे पूछे कि राजनिष्ठा का वह प्रस्ताव क्या हुआ तो कह देना मैंने उसे फाड़ दिया है।'

इसी परिषद में विरामगांव के बारे में एक प्रस्ताव पास हुआ था। अध्यक्ष होने के नाते गांधीजी को उस प्रस्ताव को वायसराय के पास भेजना था। उन्होंने तुरंत इस आशय का एक तार लिखवाया। उसके नीचे अपने नाम के बाद लिखा 'अध्यक्ष, गुजरात राजकीय परिषद।'

काका कालेलकर यह देखकर बोले, 'बेचारा वायसरॉय इन देशी शब्दों का अर्थ क्या समझेगा?'

गांधी जी ने उत्तर दिया, 'अगर उन्हें यहां राज करना है तो हमारी भाषा सीखनी ही होगी या फिर किसी दुभाषिए को अपने पास रखना होगा, जो उन्हें समझाया करे। अपनी गरज से ही तो वे राज कर रहे हैं ना।'

तार वैसा ही गया और उसका जवाब भी ठीक-ठाक मिला।

सन 1934 में गांधी जी की हरिजन यात्रा चल रही थी। तभी काका कालेलकर भी जेल से छूटे। वे भी साथ होलिए। उन्होंने गांधी जी के साथ सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल आदि उत्तर भारत के प्रांतो की

उन दिनों सम्राट के प्रति राजनिष्ठा का प्रस्ताव पास करने की परिपाटी थी। परंतु जब गांधी जी के सामने यह प्रस्ताव आया तो उन्होंने उसे फाड़ डाला। बोले, 'ऐसा प्रस्ताव पास करना बेहूदापन है। जब तक हम बगावत नहीं करते तब तक हम राजनिष्ठ हैं ही। इस बात की बार-बार घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या कोई स्त्री अपने पति के सामने बार-बार पतिव्रता होने की घोषणा करती है। उसने शादी की है। इसका अर्थ है कि वह पतिव्रता है।'

यात्रा की। इस यात्रा में गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में नए विचार प्रस्तुत किए। वे चाहते थे कि प्रत्येक सेवक गांव में जाकर रहे और वहां के जीवन के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होकर लोक शिक्षा का काम करे। काका साहब ने इस विचार का प्रचार करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की यात्राएं कीं।

सन 1917 से काका कालेलकर गांधी जी के निर्देशानुसार हिंदी से जुड़े। गांधीजी उन्हें हिंदी प्रचार के लिए मद्रास भेजना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी से कहा, 'मैं आपके पास आया हूं आपके विचार, आपकी कार्य पद्धति और आपका व्यक्तित्व समझने के लिए। मैं जानता हूं कि हिंदी का प्रचार स्वराज की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी इस समय आश्रम छोड़कर दूसरा काम लेने की बात मुझे सूझती नहीं।'

गांधी जी ने उस समय उनकी बात मान ली और कालेलकर जी को गुजराती समाज से जुड़ने का अवसर मिला। वे उस समाज से गहरे जुड़ गए, न केवल भाषा सीखी बल्कि गुजराती भाषा में विपुल साहित्य सृजन भी किया। वे इस भाषा में इतने निपुण हो गए कि गांधी जी ने उन्हें सवाई गुजराती का खिताब दिया।

सन 1935 में ऐसा अवसर आया जब उनकी इच्छा अनुसार गांधी जी ने उन्हें दक्षिण भारत जाकर हिंदी प्रचार का काम व्यवस्थित करने को कहा। दक्षिण के चारों प्रांतों में हिंदी प्रचार का काम जब हिंदी साहित्य सम्मेलन ठीक-ठाक न कर सका तब उन्होंने उसे अपने हाथों में ले लिया था और उसे स्वतंत्र रूप से चला रहे थे। उसी को व्यवस्थित करने काका साहब दिसंबर 1934 में वहां गए। गांधी जी ने उनसे कहा था कि हिंदी प्रचार के लिए पैसे की व्यवस्था भी वहीं से करें ताकि हिंदी उनके जीवन में प्रवेश कर सके। दो महीने तक काका समूचे दक्षिणांचल में घूमते रहे और समझाते रहे कि भारतीय संस्कृति को व्यक्त करने वाली यह हिंदी 12 करोड़ (तब) लोगों की मातृभाषा है। इसको राष्ट्रभाषा स्वीकार करने से भारतीय संस्कृति समर्थ और पुष्ट होगी।

लोगों ने इस भावना का स्वागत किया, चंदा भी दिया। यह सब व्यवस्था करके काका 1935 ईस्वी में वर्धा लौटे। तब तक वे हिंदीमय हो चुके थे। उसी समय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन इंदौर में हुआ। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि दक्षिण के चारों प्रांतों को छोड़कर शेष हिंदीतर भाषी प्रांतों में हिंदी का प्रचार संगठित रीति से चलना चाहिए। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस प्रस्ताव को बड़े उत्साह से स्वीकार किया। यह काम हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से होना उचित है यह कहकर उन्होंने काका साहब को भी सम्मेलन का सदस्य बना लिया। बहुत वर्षों बाद काका साहब ने लिखा, 'अब तो यह मेरा जीवन कार्य सा बन गया। सन 1934 से लेकर सन 1940 तक यह काम मैंने पूरी निष्ठा और पूरे उत्साह से किया। इसमें आशातीत सफलता मिली यही काम यदि बिना किसी विघ्न के चला होता तो देश का वायुमंडल कुछ और ही होता। आज जो लिख रहा हूं, उसके पीछे मेरा अनुभव, भारतीय इतिहास का मेरा अध्ययन और गांधी जी से मिली जीवन दृष्टि इन तीनों का समन्वय है।'

काका कालेलकर हिंदी के प्रचार- प्रसार के लिए देश भर में घूमते रहे। वे आसाम गए, वहां से मणिपुर जाना था। तब वहां बिना अनुमति प्रवेश वर्जित था। काका ने ब्रिटिश एजेंट के नाम ₹15 खर्च करके एक लंबा -चौड़ा तार भेजा। लंबाई-चौड़ाई का प्रभाव पड़ा, अनुमति मिली पर तब तक बसें जा चुकी थीं। किसी तरह एक ट्रेन में दिनभर यात्रा करने के बाद वे इंफाल पहुंचे। वहां कोई परिचित नहीं था। उन्होंने परिचय प्राप्त किया और वहां एक व्याख्यान दिया। दूसरे दिन वापस लौटे। वर्षों बाद एक बार फिर जाना हुआ। काका चकित थे, वहां के लोगों ने हिंदी के अनेक केंद्र खोल रखे थे। साहित्य चर्चा भी होती थी। उन लोगों ने काका साहब से कहा, वर्षों पहले आप आए थे और आपने हिंदी के पक्ष में व्याख्यान दिया था। उसका मरवाड़ियों और असमियां लोगों पर अच्छा प्रभाव हुआ था। उनके सहयोग से हम कितनी प्रगति कर सके यह आपको दिखाते हैं। आज हमें आनंद है और अभियान भी।

किसी को भी इस सफलता पर गर्व हो सकता है। इसी तरह केरल की यात्रा के रोचक अनुभव आंख खोलने वाले हैं। गंतव्य पर पहुंचकर काका स्थानीय लोगों से मिले और आगे का कार्यक्रम तय किया। सवेरे उठने पर एक

अंग्रेजी दैनिक में अपने स्वागत में जो पढ़ने को मिला वह कल्पना से परे था। इतना बड़ा शीर्षक था, 'एन अदर आर्यन इनवेजन फ्रॉम द नॉर्थ – उत्तर से एक और आक्रमण।' लिखा था, काका साहेब जैसे बड़े नेता हिंदी प्रचार के लिए दक्षिण में घूमने वाले हैं। आज केरल जाएंगे।

बड़ा आनंद आया काका को, पर उनके साथी उलझन में पड़ गए बोले, 'क्या करेंगे?'

काका बोले 'शिक्षा शास्त्री हूं, पूरा फायदा उठाऊंगा इस बात का।'

'प्राचीन काल में आर्य लोग उत्तर प्रदेश में सर्वत्र फैले फिर दक्षिण में आए और उन्होंने यहां संस्कृत भाषा चलाई। मैं संस्कृत का भक्त हूं। आप केरल वासियों ने उसे सीखने में सबसे अधिक उत्साह दिखाया है। इसके बाद आए पठान और मुगल। उनकी धर्म भाषा अरबी और संस्कृति की भाषा फारसी है। उन भाषाओं का राज चला। वे दोनों भाषा उत्तर की इस देसी भाषा के साथ मिलीं और उर्दू पैदा हुई। इसके बाद पश्चिम के लोग आए, वह इतिहास आप जानते हैं उनकी भाषा अंग्रेजी है।

सबसे पहले उन्होंने पता लगाया कि वे कौन लोग हैं जो इतना भड़कते हैं। फिर उन्हीं को आमंत्रित किया अपनी सभा में। वे चकित थे फिर भी अपनी बात कहने को आए। काका साहब ने अपना भाषण इस प्रकार शुरू किया, 'भाइयों आप भूल रहे हैं, मैं उत्तर का नहीं हूं, दक्षिण का भी नहीं हूं। मैं तो उत्तर और दक्षिण के बीच मध्य का (जरा पश्चिम की तरफ का) हूं। उत्तर के लोग यदि दक्षिण पर धावा बोलें तो बीच में हम ही उनको रोकेंगे। आप जानते हैं कि हम महाराष्ट्रियन को सब दक्षिणी कहते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा भले ही हो किंतु मेरी मातृभाषा तो महाराष्ट्री है। उत्तर की फौज लेकर मैं धावा क्यों बोलूं? आपका ही नेतृत्व करके क्या मैं उत्तर के विरुद्ध नहीं लड़ूंगा।'

भाषण का आरंभ इस प्रकार विनोद से हुआ तो बहुत से बादल छट गए। काका आगे बोले, 'आपको समझना चाहिए कि आज तक चंद खास प्रभावित लोग, स्वदेशी हों या विदेशी, साधारण जनता पर राज करते आए हैं। वे जनता की भाषा को दबा देते रहे हैं।'

'प्राचीन काल में आर्य लोग उत्तर प्रदेश में सर्वत्र फैले फिर दक्षिण में आए और उन्होंने यहां संस्कृत भाषा चलाई। मैं संस्कृत का भक्त हूं। आप केरल वासियों ने उसे सीखने में सबसे अधिक उत्साह दिखाया है। इसके बाद आए पठान और मुगल। उनकी धर्म भाषा अरबी और संस्कृति की भाषा फारसी है। उन भाषाओं का राज चला। वे दोनों भाषा उत्तर की इस देसी भाषा के साथ मिलीं और उर्दू पैदा हुई। इसके बाद पश्चिम के लोग आए, वह इतिहास आप जानते हैं उनकी भाषा अंग्रेजी है। उनका राज हम पर चल रहा है। उनकी अंग्रेजी यहां की प्रजा की भाषा नहीं है। किंतु यह भाषा की बात आपको विस्तार से समझाऊं इससे पहले मैं अपनी बात आपसे कहना चाहता हूं। आपके ऊपर कोई आक्रमण करें तो आप संगठित होकर अपने बचाव की तैयारी करते हैं। मैं आपको समझाने आया हूं कि केवल आत्मरक्षा करना उत्तम लक्षण नहीं है। संकट देखकर, दीवार बांधकर अंदर रहकर आत्मरक्षा करने के बदले आक्रमण कारियों के विरुद्ध आप ही आक्रमण क्यों ना करें। अब आप ही बताइए कि पिछले 1000 वर्षों में केरल का सबसे बड़ा आदमी कौन था? बेशक आद्य शंकराचार्य हुए थे। केरल के नंबूदरी ब्राह्मण केरल के बचाव के लिए, यहां पर उन्होंने सांस्कृतिक किले नहीं गढ़े। उन्होंने उत्तर के लोगों की भाषा सीख ली और उन पर आक्रमण किया। यह अकेला लघुकाय केरल का ब्राह्मण सारे देश में हर जगह जाता था और वाद-विवाद के लिए विद्वानों का आह्वान करता था। उत्तर की भाषा सीख कर उत्तर के शास्त्रों में प्रवीण होकर उन्होंने दिग्विजय किया। सारा देश जीतकर उन्होंने चार छोरों पर आध्यात्मिक मठों की स्थापना की। वे चार मठ आज भी मजबूती से काम कर रहे हैं। पश्चिम में द्वारका के पास, पूर्व में जगन्नाथ पुरी,उत्तर में हिमालय की गोद में जोशीमठ और दक्षिण में श्रृंगेरी अथवा कन्याकुमारी। तब से इन स्थानों पर शंकराचार्य के शिष्य धर्म प्रचार करते आ रहे हैं।'

मैं आपको बताने आया हूं कि अब हम ब्राह्मण, मुल्लवी, अंग्रेज आईसीएस या मिशनरियों का राज नहीं चाहते, हम भारतीय प्रजा का राज चाहते हैं। वह राज प्रजा की भाषा में चलना चाहिए। केरल का राज न अंग्रेजी में

चलना चाहिए न हिंदी में, वह तो मलयालम में ही चलना चाहिए और भारत की एकता संभालनी है ना, वह संभव होगा राष्ट्रभाषा द्वारा। बिना एकता के नहीं टिक सकेगी हमारी स्वतंत्रता और न टिक सकता है हमारा सामर्थ्य। दुनिया में हमारे देश की प्रतिष्ठा भी नहीं रह पाएगी और इस देश की भाषाओ में, जिस भाषा को बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक होगी, ऐसी स्वदेशी भाषा ही राष्ट्रभाषा बन सकेगी। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि मलयालम की मदद से उत्तर भारत की जनता की भाषा हिंदी, एक दूसरी जरूरी भाषा के तौर पर आप सीख ले और फिर शंकराचार्य की तरह उत्तर भारत पर धावा बोलें। आपको सिर्फ आत्मरक्षा करनी है या सर्व संग्रह एकता की भाषा लेकर सर्वत्र पहुंचना है उत्तर भारत से कटकर यदि आप दक्षिण भारत के लोग अलग रहेंगे और अंग्रेजों की छत्रछाया में रहना चाहेंगे तो देश के आप टुकड़े करेंगे। फिर एक-एक टुकड़ा भिन्न-भिन्न जबरदस्त राष्ट्र की शक्तियों के हाथ में चला जाएगा। यह सब टालने के लिए उत्तर की प्रजा की भाषा सीख कर उसका प्रचार करने का काम आप ले लीजिए जो काम एक समय श्री शंकराचार्य ने किया वहीं आज आपको दूसरे ढंग से करना है किंतु उसके लिए अखिल भारतीय एकता का आग्रह आपको संभालना होगा।

उनका सारा विरोध पिघल गया और केरल में हिंदी प्रचार का काम उन लोगों की सहायता से पूरे जोश से शुरू हो गया।

इधर उत्तर में एक बार हिंदी के साहित्यकार जैनेंद्र जी के मन में अंग्रेजी साप्ताहिक निकालने की वासना जागी गांधी जी ने उन्हें निरुत्साहित ही किया। बार-बार कहने पर गांधी जी ने कहा, 'अंग्रेजी क्यों हिंदी क्यों नहीं?'

जैनेंद्र जी ने कहा, 'अंग्रेजी में बात उन तक पहुंचती है जहां तक उसे पहुंचना चाहिए।'

गांधी जी तुरंत बोले, 'इसलिए तो कहता हूं अंग्रेजी में नहीं, जरूरी समझो तो हिंदी में निकालो। बात जिन तक पहुंचनी है हिंदी में ही पहुंचेगी। अंग्रेजी वालों को जरूरत होगी तो वे देखेंगे।'

जिनेंद्र जी ने कहा, 'तो आपकी अनुमति नहीं।'

गांधी जी ने कहा, 'मेरी तो राय है अनुमति अपने अंदर से ले लो। निर्णय तुम्हें लेना है।'

सन 1935 के इंदौर अधिवेशन में सारे भारत में हिंदी का प्रचार करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई थी। इसको चलाने का दायित्व काका साहेब को सौंपा गया था। इसका कार्यालय भी वर्धा में रखा गया। काका साहब ने 8 प्रांतो में राष्ट्रभाषा प्रचार का काम किया और हर प्रांत में एक-एक संस्था भी स्थापित की। तब काका साहब और सम्मेलन के प्राण पुरुषोत्तम दास टंडन में गहरे मैत्री संबंध बन गए थे। लेकिन जब गांधी जी द्वारा की गई राष्ट्रभाषा की व्याख्या और दो लिपियों के प्रयोग को लेकर सम्मेलन और राजभाषा प्रचार समिति में मतभेद बढ़ता गया तब काका साहब ने टंडन जी से कहा, ष्इतना मौलिक और बुनियादी विरोध हो तो गांधी जी की प्रवृत्ति सम्मेलन के हाथ में नहीं रखी जा सकती। उसको स्वतंत्र करना होगा।

टंडन जी ने कहा, ष्हमारी प्रवृत्ति आप ही ने संगठित की है। गांधी जी चाहे और पूरी प्रवृत्ति को सम्मेलन से अलग करें तो उसे मैं सहन करूंगा, किंतु गांधी जी की नई हिंदुस्तानी नीति को हम स्वीकार नहीं कर सकेंगे।

टंडन जी ने कैसे भी हो भले ही लाचारी से ही, अपनी सम्मति देदी। काका साहब गांधी जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, 'बापूजी इस समय आप हिंदुस्तानी प्रचार के बारे में मौन रहें तो अपनी आठ प्रांतो की प्रवृत्ति हम सम्मेलन से अलग कर लेंगे। टंडन जी सहमत हो गए हैं, वे सम्मेलन को समझाएंगे। स्वतंत्र होने के बाद इतनी बड़ी संख्या द्वारा हम हिंदुस्तानी का प्रचार क्रमानुसार चलाएंगे। सारी संस्था यदि सम्मेलन को सौंप देंगे तो फिर

केरल का राज न अंग्रेजी में चलना चाहिए न हिंदी में, वह तो मलयालम में ही चलना चाहिए और भारत की एकता संभालनी है ना, वह संभव होगा राष्ट्रभाषा द्वारा। बिना एकता के नहीं टिक सकेगी हमारी स्वतंत्रता और न टिक सकता है हमारा सामर्थ्य। दुनिया में हमारे देश की प्रतिष्ठा भी नहीं रह पाएगी और इस देश की भाषाओ में, जिस भाषा को बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक होगी, ऐसी स्वदेशी भाषा ही राष्ट्रभाषा बन सकेगी। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि मलयालम की मदद से उत्तर भारत की जनता...।

सारे भारत में हिंदुस्तानी के नाम से दो लिपियों का प्रचार अशक्य होगा। मैं तो आपकी बात सब लोगों को समझाऊंगा किंतु देश में यह बात जड़ नहीं पकड़ सकेगी। भारत की तमाम प्रादेशिक भाषाओं के लिए नागरी लिपि स्वीकार की जाए इस तरह का प्रयत्न मैं कर रहा हूं। कर्नाटक में यह काम आरंभ हो चुका है। बंगाल में सख्त विरोध है, वहां हम नागरी लिपि में बंगाली साहित्य प्रकाशित करेंगे। गुरुदेव रविंदनाथ ठाकुर से मैंने इजाजत भी ले रखी है। इस हालत में अखिल भारतीय एक लिपि प्रचार की जगह राष्ट्रभाषा के लिए दो लिपियों का प्रचार शाक्य हो, ऐसा मुझे नहीं लगता।'

गांधीजी अब भी नहीं माने। उन्होंने काका साहब का यह अनुरोध भी अनसुना कर दिया कि जब तक आठ प्रांतो में राष्ट्रभाषा के प्रचार का काम सम्मेलन से स्वतंत्र करने की नीति मैं स्वीकार करूं तब तक वह वातावरण को क्षुब्ध ना करें। परिणाम यह हुआ कि देश में इस नीति का प्रबल विरोध हुआ और टंडन जी को अवसर मिल गया। उन्होंने गांधी जी से कहा, 'आठ प्रांतो का संगठन आपने किया है और मैं मानता हूं यह काका साहब की मेहनत का परिणाम है। किंतु यह सब आपने सम्मेलन के नाम से किया है और हिंदी का काम है यह कहकर किया है। इसलिए यह प्रवृत्ति आप हमें सौंप दें।'

गांधी जी ने उत्तर दिया, 'यह काम आपको सौंप कर हम हिंदुस्तानी के नाम से नए सिरे से नई प्रवृत्ति चलाएं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी?'

टंडन जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए बोले, 'आप जरूर नहीं संस्था खड़ी करें, उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। हमारी प्रवृत्ति हमें वापस दे दीजिए, इतना ही काफी है।'

गांधी जी ने वैसा ही किया। मई 1942 में उनकी अध्यक्षता में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की गई, लेकिन देश तो उस समय ज्वालामुखी पर बैठा था। वह सभा अपना काम शुरू कर पाती, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया।

भाषा के साथ ही लिपि का प्रश्न भी जुड़ा होता है। गांधी जी ने यह दायित्व भी काका कालेलकर को सौंपा। काका कालेलकर गांधी जी के संसर्ग में आकर उतने ही सार्थक, रचनात्मक कार्यकर्ता भी बन गए थे। नागरी लिपि रोमन लिपि की होड में पीछे ना रह जाए इसलिए वे उसे अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने को उत्सुक थे। इस दृष्टि से उसमें क्या-क्या सुधार अपेक्षित है, इस संबंध में उन्होंने काफी खोज की थी। सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन के अवसर पर लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने गांधी जी की अनुमति चाही थी। गांधी जी का उत्तर था कि अगर ऐसा करने से देश और हिंदी का भला हो तो अवश्य यह बोझ उठाओ।

और काका ने यह बोझ उठा लिया।

गांधी जी ने तब एक और बड़ी बात कही थी, मैं भी पहले से चाहता ही हूं कि भारत की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि ही चले। अगर इतना हो गया तो देश के लोगों का काफी समय बच जाएगा और भारत की भाषाएं एक दूसरे के नजदीक आसानी से आ सकेंगी।

कई साल प्रयत्न करते रहने पर सम्मेलन ने लिपि सुधार की बात मान्य की। फिर भी कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में इसका प्रचार ना किया जाए। इस काम में काका साहब को पुरुषोत्तम दास टंडन तथा डाक्टर बाबुराम सक्सेना जैसे भाषा शास्त्रियों का समर्थन प्राप्त था।

भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब काका साहब जेल में थे, तब बिनोवा और किशोरी लाल भाई भी उनके साथ थे। उन तीनों ने मिलकर नागरी लिपि का सुधरा रूप तैयार किया था। मुख्य सुधार श्अश की स्वर खड़ी को लेकर था। प्रचलित स्वरो के स्थान पर यह रूप स्वीकार किया गया।

काका साहब के कहने पर गांधी जी ने नवजीवन प्रेस के व्यवस्थापक, जीवन जी देसाई को सूचना दी कि वे भी इसी लिपि का प्रयोग करें। जब तक हरिजन सेवक चला उसमें इसी लिपि का प्रयोग होता रहा। उनका साहित्य उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद तक इसी लिपि में छपता रहा। लेकिन अंततः हिंदी भाषा भाषियों ने काका साहब द्वारा प्रचलित सुधरी लिपि को स्वीकार नहीं किया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने लखनऊ में सब प्रांतो के मुख्य मंत्रियों

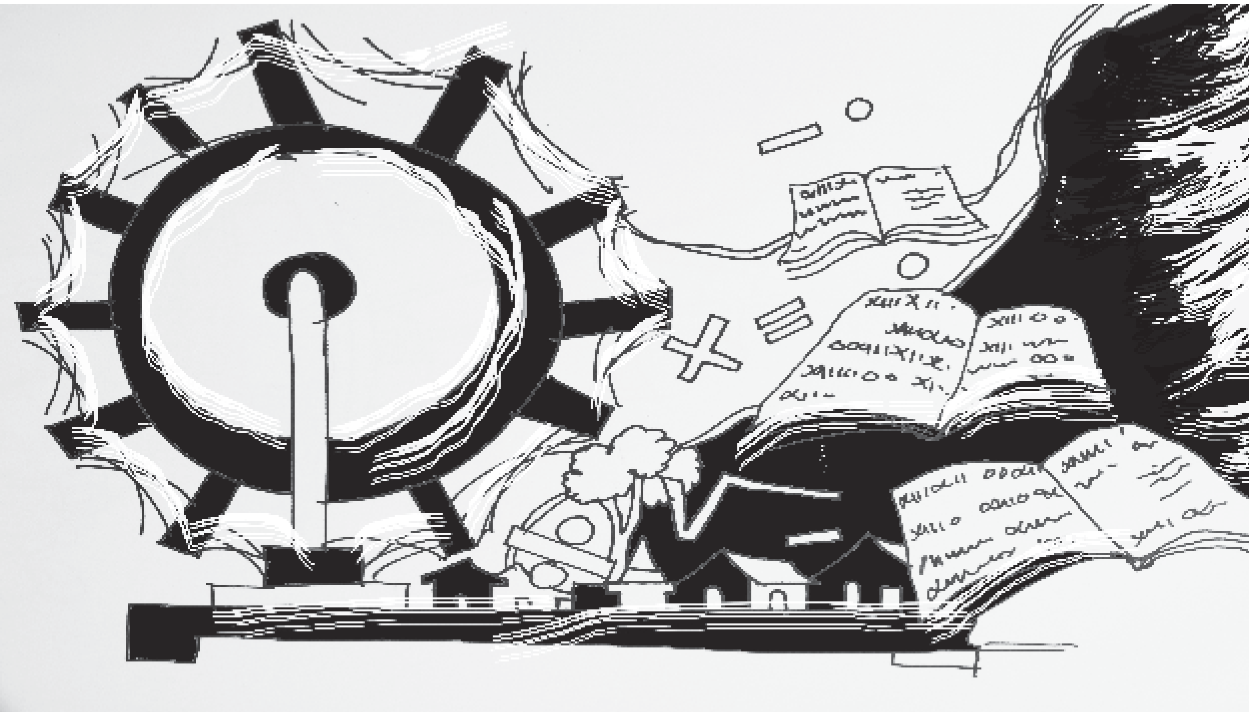

की बैठक बुलाई थी। उसने श्अश कि स्वर खड़ी ना मंजूर कर दी व इसके बाद धीरे-धीरे इसका प्रचलन समाप्त हो गया।

जब सन 1948 में देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद केंद्रीय सरकार ने नागरी आशु लिपि और टंकण यंत्र (टाइपराइटर) के लिए एक समिति बनाई तो काका साहब को उसका अध्यक्ष बनाया। उनके नेतृत्व में समिति ने योजना तैयार की। कई वर्ष बाद सरकार ने उसे जनता के विचारार्थ प्रकाशित भी किया और अंततः दूसरी भाषाओं की विशेष ध्वनियों को आत्मसात करने की दृष्टि से और टंकण की सुविधा के लिए लिपि में कुछ सुधार स्वीकार किया। उसी के अनुसार टाइपराइटर का वर्ण पटल या कुंजी पटल, कीबोर्ड तैयार किया। लिपि का यही सुधरा रूप अब सर्वमान्य है और उसमें समय-समय पर कुछ उपयोगी संशोधन भी किया जा रहे हैं।

गांधी जी की भावनाओं का अनुसरण करते हुए राष्ट्रभाषा हिंदी को भारत जैसे महान देश के योग्य भाषा बनाने के लिए, काका साहब ने बहुत प्रयास किया। उनकी मान्यता थी विदेशी शब्दों के बदले कई स्वदेशी शब्द अपने यहां मौजूद हैं, उन्हें हम सिर्फ आलस्य या प्रमादवश काम में नहीं लाते। जहां पुराने शब्द नहीं हैं वहां पर आमफहम या लोक सुलभ शब्द बनाए भी जा सकते हैं। देसी शब्दों को काम में लेने से और उनके भाव समझने से जो शिक्षा जनता को मिलती है, वह विदेशी शब्दों से नहीं मिल सकती। जब देश का सारा कारोबार देसी भाषा में चलने का निश्चय हो चुका है तब देश को अपनी टकसाल खोलनी ही चाहिए। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया, ष्हम अपनी भाषा का ख्याल किए बिना ही उनके नए-नए शब्दों को ज्यों का त्यों अपना लेते हैं, यह दिमागी गुलामी ही हमसे अपनी भाषा के प्रति विद्रोह का पाप कराती है। जिनम अपनी भाषा के नए-नए शब्दों को गड़ने की शक्ति, अभ्यास और प्रतिभा है उन्हीं को यह अधिकार है कि पर भाषा के भंडार से कितने और कौन से शब्द लिए जाए इसका निर्णय कर दें और यह भी की अपनी भाषा में जो चल सके ऐसे नए शब्द बना लेना, उन्हें चलाना और उनका प्रचार करना, यह अलग-अलग शक्तियां हैं। दोनों शक्तियों का जब हमारी जाति में विकास होगा, तभी हम सच्चे भाषा भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे।

संपर्कः

ए-249,सेक्टर-46, नोएडा

मो.- 9810911826

अंबेडकर पर विशेष

डा. बी. आर. अंबेडकर: एक राष्ट्रनिर्माता

संजीत कुमार

भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के उन महान नेताओं में से एक हैं जो एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए जातिवाद, सत्तावाद और सांप्रदायिकता को मुख्य बाधा मानते थे। वो राष्ट्र और धर्म के बीच में संतुलन को समझते थे और ऐसा मानते थे कि धर्म के प्रति उफान जातिगत भेदभाव को बढ़ाता है जिससे राष्ट्र की चेतना प्रभावित होती है। अंबेडकर धर्म को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़कर देखने की हिमायत करते हैं।

14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू में महार जाति मे उनका जन्म हुआ था। महार जाति को तत्कालीन सामाजिक परिवेश में एक अछूत जाति के रूप में देखा जाता था। समाज में लोगों के बीच ऊँच-नीच का भेदभाव था जिससे बचपन में ही उन्हे जूझना पड़ा। सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करने के उनके अनुभव ने जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ लड़ने का उनमें गहरा संकल्प पैदा किया। उनकी शैक्षणिक यात्रा मुंबई के एल्फिंस्टन हाईस्कूल से प्रारंभ हुई और बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय तक गई जहाँ उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को समझा और अपने दृष्टिकोण में समाहित किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (LSE) से अर्थशास्त्र और ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई की। 1920ई0 में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौट आए। भारतीय समाज मे व्याप्त छूआ-छूत और जातिगत भेदभाव ने उन्हे इसके उन्मूलन एवं पिछड़े समुदाय के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष के लिए प्रेरित किया।

> 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू मे महार जाति मे उनका जन्म हुआ था। महार जाति को तत्कालीन सामाजिक परिवेश में एक अछूत जाति के रूप में देखा जाता था। समाज में लोगों के बीच ऊँच-नीच का भेदभाव था जिससे बचपन में ही उन्हे जूझना पड़ा। सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करने के उनके अनुभव ने जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ लड़ने का उनमें गहरा संकल्प पैदा किया। उनकी शैक्षणिक यात्रा मुंबई के...।

दलित उत्थान के उनके प्रयास

दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए 1924ई0 में उन्होने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलितों की आवाज को बुलंद करने के लिए मूकनायक, समता भारत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी कई पत्रिकाएँ शुरू की। महाराष्ट्र के महाड़ से सार्वजनिक कुएं से जल उपयोग करने के दलितों के अधिकार के लिए 1927ई0 में सत्याग्रह किया। दलितों के हिंदू मंदिरों मे प्रवेश के लिए कलाराम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया।

सामाजिक सुधार का एक बड़ा मार्ग कानूनी विकल्प हो सकता है इसे समझते हुए ब्रिटिश हूकूमत के सामने दलितों का प्रतिनिधित्व किया एवं 1930 से 1932 तक तीनों गोलमेज सम्मेलन मे भाग लेकर अछूतों के हितों पर अपने विचार रखे।

1932 में गाँधीजी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया जिसके चलते वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया और दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 तथा केंद्रीय विधान मंडलों में कुल सीटों का 18% पर दिया गया। 1936 में उन्होने दलित वर्गो के प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की जो आगे चलकर अनुसूचित जाति संघ में बदल गया। सितंबर 1956ई0 में इस संघ को हटाकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की।

भारतीय संविधान और बी. आर. अंबेडकर

डा. बी. आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। अस्पृश्यता के उन्मूलन एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को संविधान में शामिल कर जातिगत भेदभाव को पाटने की कोशिश उनके द्वारा की गई। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की भी उन्होने पुरजोर वकालत की ताकि भाषायी पृथकतावाद को रोका जा सके। भारतीय संविधान के भाग-3 अनुच्छेद 12-35 मे जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की मौलिक अधिकार के रूप मे व्याख्या की गई है जिसमे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। इन अनुच्छेदों में कानून की नजर में सबको समान रूप से देखे जाने की बात है तथा किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, उत्पत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नही है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता है वहीं अस्पृश्यता का अंत किया गया है। मौलिक अधिकारों के हनन के लिए अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट मे रिट दर्ज करने का प्रावधान किया गया है जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बखूबी सुनिश्चित किया जा सके। समान कार्य के बदले समान वेतन का संवैधानिक प्रावधान लैंगिक समानता के भाव को प्रगाढ़ करता है जिससे अंबेडकर की दूरदर्शिता का पता चलता है।

वायसराय के कार्यकारी परिषद मे श्रममंत्री के रूप में उन्होने फैक्टरी अधिनियम, ट्रेड अधिनियम आदि सहित कई महत्वपूर्ण श्रम सुधारों को लागू किया। श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए भी ESIC (employees State Insurance Corporation) एवं EPF (Employees Provident Fund) के निर्माण का समर्थन किया जो श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा और सेवा निवृत्ति लाभ प्रदान करते है। देश के स्वतंत्र होने के बाद नेहरू कैबिनेट में उन्हे देश के पहले विधि और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।

एक राष्ट्रनिर्माता के रूप में डा. अंबेडकर का योगदान

राष्ट्र के प्रति समर्पण- डा. अंबेडकर का पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित था। समतामूलक एवं समावेशी समाज निर्माण, सामाजिक न्याय एवं लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था थी। उनका लक्ष्य देश को न सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र करना था बल्कि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में वर्षो तक आगे बढ़ने के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से समर्थ एवं सक्षम बनाना था। राजनीतिक तौर पर वह एक सकारात्मक राजनीति करने वाले नेता थे। एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में वह समाजवाद को आवश्यक मानते थे जो सिर्फ आर्थिक समानता की ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक समानता की भी बात करता हो।

अंबेडकर मानते हैं कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि वह सामाजिक रूप से एक ना हो। असल में उनका राष्ट्रवाद सामाजिक एकता की भावना से ओत-प्रोत है।

भारतीय संविधान का प्रारूप निर्माण- भारत के संविधान में विश्व के कई देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया गया है तथा यह सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसका स्वरूप विस्तृत पर प्रकृति लचीली है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में एक-एक बारीकियों का विस्तृत विश्लेषण कर संविधान मे समावेशित किया गया है जिसमें डा. अंबेडकर की भूमिका प्रमुख है। आज 21वीं सदी में भारत जहाँ एक महत्वपूर्ण लोकतंत्रात्मक देश के रूप मे निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है तब उसमें देश के संविधान का जो यहाँ के शासन व्यवस्था का मूल है का सबसे बड़ा योगदान है जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने निर्माण किया है और जो

सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करता है।

सामाजिक क्षेत्र में सुधार– डा. अंबेडकर एक विद्वान व्यक्ति थे जो जातिवाद, सांप्रदायिकता, आर्थिक विषमता को एक मजबूत भारत के निर्माण में बाधक मानते थे। धर्म के प्रति भी उनका मानना था कि धर्म, मानव समाज की एकता को सशक्त करने वाला होना चाहिए इसमें वह धार्मिक राष्ट्रवाद के बजाए राष्ट्रवादी धार्मिकता पर बल देते हैं।

दलितों के मसीहा– जीवन के प्रारंभिक दिनों से भेदभाव एवं अस्पृश्यता का दंश झेलने के कारण उन्होंने आजीवन दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। दलितों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उन्हें संगठित किया एवं उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए। देश का जब संविधान लागू हुआ तब संविधान के प्रावधानों के तहत सबके लिए बराबर अधिकार सुनिश्चित कर अस्पृश्यता का अंत किया ताकि समाज के लोगों के बीच का पारस्परिक सौहार्द, समरसता एवं भाईचारा बना रहे जिससे एक राष्ट्र के रूप में भारत सशक्त हो सके।

शिक्षा का प्रसार– शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकती है ऐसा उन्हें जीवन के प्रारंभिक क्षणों मे ही समझ आ गया था। उन्होने कई भाषाओं की पढ़ाई भी की, कई उच्च डिग्रियाँ हासिल कर रखी थी। दलितों को शिक्षित करने का हरसंभव प्रयास किया ताकि उनके जीवन में बदलाव आ सके।

महिलाओं को शिक्षित करने पर भी उनका खास जोर था। वे समझते थे कि भारत में महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और अशिक्षा है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का बराबर अधिकार है। स्त्रियों की शिक्षा पुरूषों से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी नारी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। उनका खास मंत्र था शिक्षित करो और आज आजादी के कई दशक बाद महिलाएँ शिक्षित होकर कई क्षेत्रों मे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।

वर्त्तमान समय मे डा. अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता डा. बी. आर. अंबेड्कर ने राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र मे कई ऐसे कार्य किए जो मिसाल हैं। उनका मानना था कि बिना आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर किए वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में नैतिकता एक महत्वपूर्ण पहलू है परंतु आज लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए राजनीतिक शुचिता एवं पारदर्शिता को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में पाँचवे स्थान की है और GDP की दर भी विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है परंतु अभी भी गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी, अशिक्षा और आर्थिक विषमता जैसी कई समस्याएँ विद्यमान है जिसे सरकारें अपनी योजनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रही हैं जिससे कि भारत तीव्र गति से विकास कर सके। हाँलाकि बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है, ऐसे में डा. अंबेडकर के आर्थिक विचारों की प्रांसगिकता बढ़ जाती है।

आए दिन जातिवाद, धार्मिक उन्माद और ऊँच–नीच का भाव अभी भी साफ दृष्टिगोचर होता है जिससे सामाजिक समरसता आपसी सद्भाव एवं भाईचारे की भावना प्रभावित हो रही है जो एक स्वस्थ लोकतंत्रात्मक समाज के लिए खतरा है। देश का संविधान सर्वोपरि है जिसकी व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों की बात कही गई है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। ऐसे में डा. अंबेड्कर के विचारों को आत्मसात कर इसे वैचारिक तौर पर अपनाने के लिए समाज में लोगों को और अधिक जागरूक करना होगा।

डा. अंबेडकर महिलाओं के शिक्षा, सम्मान और बराबरी के अधिकार की बात करते थे परंतु आज यहाँ महिलाएँ देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कई क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन कर रही है। वहीं कम साक्षरता दर, महिलाओं के प्रति अपराध, हिंसा और अपमान भी बढ़ रहा है ऐसे में अंबेडकर जी के विचार महिलाओं के प्रति घृणा के भाव को कम करने में एवं लोगों की मानसिकता में बदलाव करने में सहायक साबित होगा।

आज जब 2047 तक भारत विकसित होने का सपना देख रहा है ऐसे में डा. भीमराव अंबेडकर के वैचारिक मूल्य नि:संदेह राष्ट्र के रूप में भारत को सशक्त करने एवं समृद्ध बनाने में काफी कारगर और प्रभावी होंगे।

(लेखक गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के प्रशासनिक अधिकारी हैं।)

सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना है!

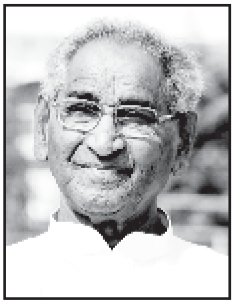

डॉ. जगदीश गांधी

प्रत्येक बालक परमपिता परमात्मा की सर्वोच्च कृति है –

प्रत्येक बालक एक पवित्र, दयालु तथा ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय लेकर इस धरती पर अवतरित होता है। परमात्मा की मानव प्राणी पर यह विशेष कृपा है कि वह अपने प्रत्येक मानव पुत्र को पवित्र, दयालु तथा ईश्वरीय प्रकाश का अनमोल उपहार देकर उत्पन्न करता है। इस ईश्वरीय गुण को विकसित करके किसी भी बालक को ईश्वर भक्त बनाने में सबसे ज्यादा योगदान उसके परिवार और उसके विद्यालय का होता है। इसलिए परिवार में माता–पिता तथा विद्यालय में शिक्षक यदि अपनी–अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हुए बालक के अंदर व्याप्त ईश्वरीय गुणों का पूरी तरह से विकास करके उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर दे तो ऐसा बालक निश्चित ही आगे चलकर सारे विश्व को सुन्दर और सुरक्षित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।

हमें अपने बालक को जैसा बनाना है, उसके लिए हमें पहले स्वयं ही वैसा बनना होगा –

बच्चे का शरीर तो भौतिक है और अगर ऐसे में उसका चिंतन भी भौतिक बन गया तो वह 'पशु' के समान हो जायेगा। वास्तव में बच्चे के चिंतन को आध्यात्मिक बनाने में उसके माता–पिता का सर्वाधिक योगदान होता है क्योंकि वे ही उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा बचपन से अपने परिवार में ईश्वर की प्रार्थना को देखता है, परिवार के सभी सदस्यों को आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए देखता है, मेहनत के साथ परिवार के सभी सदस्यों को काम करते हुए व परामर्श करते हुए देखता है, तो उसका चिंतन आध्यात्मिक बन जाता है और वह स्वयं बड़ा होकर उसी प्रकार का अच्छा व्यवहार करता है। इसके विपरीत यदि वह बच्चा घर, स्कूल तथा समाज में अशांति देखेगा, तर्क–वितर्क आदि देखेगा तो वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें अपने बालक को जैसा बनाना है, उसके लिए हमें पहले स्वयं ही वैसा ही बनना होगा।

बच्चे का शरीर तो भौतिक है और अगर ऐसे में उसका चिंतन भी भौतिक बन गया तो वह 'पशु' के समान हो जायेगा। वास्तव में बच्चे के चिंतन को आध्यात्मिक बनाने में उसके माता–पिता का सर्वाधिक योगदान होता है क्योंकि वे ही उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा बचपन से अपने परिवार में ईश्वर की प्रार्थना को देखता है, परिवार के सभी सदस्यों को...।

बच्चे सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें

बच्चों को अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में विचारों का सबसे बड़ा योगदान होता है। किसी भी व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं, वैसे ही वह बन जाता है। यदि हम ऊँचा सोचेंगे तो हम ऊँचा बन जायेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ जीवन-मूल्यों की शिक्षा देकर उनके विचारों को हमेशा ऊँचा बनाये रखते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि किसी भी महापुरुष ने किसी भी दूसरे महापुरुष का अनुकरण नहीं किया। सभी महापुरुषों ने अपना-अपना रास्ता स्वंय बनाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना है कि हमें दूसरे महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा तो अवश्य लेना चाहिए, किन्तु हमें अपना रास्ता स्वयं निर्धारित करना चाहिए। इसलिए हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमें क्या करना है? वास्तव में अपने शुद्ध एवं पवित्र हृदय के कारण ही प्रत्येक बालक विश्व का प्रकाश है। इसलिए हमारे बच्चों के जीवन का उद्देश्य भी परमपिता परमात्मा की तरह ही सारी मानवजाति का कल्याण होना चाहिए।

हमें प्रत्येक बालक को सबसे पहले एक अच्छा व नेक इंसान बनाना है!

हमें प्रत्येक बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा देकर उन्हें एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी बनाने से पहले उसे एक अच्छा व नेक इंसान बनाना है, क्योंकि सामाजिक ज्ञान के अभाव में जहाँ एक ओर बच्चा समाज को सही दिशा देने में असमर्थ रहता है तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में वह गलत निर्णय लेकर अपने साथ ही अपने परिवार, समाज, देश तथा विश्व को भी विनाश की ओर ले जाने का कारण भी बन जाता है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को सर्वोत्तम भौतिक शिक्षा के साथ ही साथ उसे एक सभ्य समाज में रहने के लिए सर्वोत्तम मानवीय शिक्षा तथा बालक में व्याप्त ईश्वरीय गुणों को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

ऐसे ही श्रेष्ठ बालकों के द्वारा धरती पर स्वर्ग अर्थात ईश्वरीय सभ्यता की स्थापना होगी

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एवं शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नेल्सन मंडेला ने कहा भी है कि 'शिक्षा ही वह शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से सारे विश्व की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है।' ऐसे में आधुनिक स्कूल की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह वर्तमान सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक बालक को सर्वश्रेष्ठ (1) भौतिक ज्ञान (2) सामाजिक ज्ञान तथा (3) आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देकर उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करके उन्हें एक अच्छा इंसान बनायें। वास्तव में ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण नेक बालक कभी भी अपने ज्ञान को विनाश की ओर नहीं लगायेगा। वह अपने ज्ञान का उपयोग ईश्वर की सृष्टि को और भी अधिक सुन्दर और सुरक्षित तथा सारी मानवजाति के उत्थान की ओर लगायेगा। इसलिए एक आधुनिक विद्यालय को सबसे पहले प्रत्येक बालक के अन्तरिक गुणों को विकसित करके उसे नेक इंसान बनाना चाहिए। वास्तव में ऐसे ही श्रेष्ठ बालकों के द्वारा धरती पर स्वर्ग अर्थात ईश्वरीय सभ्यता की स्थापना होगी।

संपर्कः संस्थापक-प्रबन्धक
सिटी मोन्टेसरी स्कूल
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

प्रकृति ही परमात्मा है: भारतीय चेतना में पर्यावरण का धर्म

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

प्रकृति केवल दृश्य भर नहीं है। वह अनुभूति है, संवेदना है और आत्मा के उस मौन संगीत का विस्तार है जिसे हमारे पूर्वजों ने 'ऋत' और 'धर्म' के रूप में आत्मसात किया। भारतीय जीवन-दर्शन की धमनियों में जो प्रवाह है, वह सृष्टि से संवाद की परंपरा का प्रवाह है, जहाँ वृक्ष केवल लकड़ी नहीं, वटवृक्ष कहलाते हैं। जहाँ गंगा नदी नहीं, मां होती है और जहाँ धरती केवल भूखंड नहीं, 'पृथ्वी माता' कहलाती है। यह वह धरती है, जहाँ पशु-पक्षी, पर्वत-नदी, सूरज-चाँद सभी पंचदेवों की तरह पूजनीय रहे हैं, जहाँ जीवन और जगत के मध्य की रेखा लुप्त होकर एक आत्मीय रिश्ते में बदल जाती है। पर आज जब विकास का चाबुक धरती की पीठ पर पड़ रहा है और प्रगति के नाम पर प्राकृतिक रचनाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, तब यह प्रश्न उठ खड़ा होता है क्या हम अपने जीवन-दर्शन से भटक गए हैं? क्या हमने उस सांस्कृतिक चेतना को विस्मृत कर दिया है, जो प्रकृति को सहचर नहीं, साक्षात् ईश्वर मानती थी?

भारतीय जीवन-दर्शन का मूल तत्त्व है- समरसता, सह-अस्तित्व और संवेदना। यह दर्शन केवल आत्मा और परमात्मा की गूढ़ मीमांसा नहीं है, बल्कि यह धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश और सम्पूर्ण जैविक-जड़ जगत के साथ एक गहन तादात्म्य की घोषणा करता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का भाव और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की प्रार्थना केवल मानव समाज तक सीमित नहीं, अपितु समग्र सृष्टि के कल्याण की आकांक्षा में रची-बसी है। जब हम कहते हैं - "प्रकृति ही परमात्मा है", तो हम किसी अज्ञेय तत्व

प्रकृति केवल दृश्य भर नहीं है। वह अनुभूति है, संवेदना है और आत्मा के उस मौन संगीत का विस्तार है जिसे हमारे पूर्वजों ने 'ऋत' और 'धर्म' के रूप में आत्मसात किया। भारतीय जीवन-दर्शन की धमनियों में जो प्रवाह है, वह सृष्टि से संवाद की परंपरा का प्रवाह है, जहाँ वृक्ष केवल लकड़ी नहीं, वटवृक्ष कहलाते हैं। जहाँ गंगा नदी नहीं, मां होती है और जहाँ धरती...।

की नहीं, उस जीवंत, धड़कती, हरी–भरी चेतना की बात करते हैं, जो जीवन का आधार है, जो बिना किसी आग्रह के देती है, पर जब उसका अतिक्रमण होता है, तो वह चुप नहीं रहती।

भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस सृष्टि के प्रत्येक तत्व को पूजनीय माना। गंगा केवल नदी नहीं, मां है। वटवृक्ष आश्रय है, पीपल जीवनदायी श्वास का वाहक है, तुलसी और नीम औषधि हैं, और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य है। यह पूजा कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक भावात्मक अनुबंध था, जो मनुष्य और प्रकृति के मध्य एक गहरी आत्मीयता को स्थापित करता था। आज जब धरती कराह रही है, जब जलवायु परिवर्तन की आँधियाँ केवल हिमखंडों को नहीं, मनुष्यता की नींव को भी हिला रही हैं, तब यह जरूरी हो गया है कि हम अपने प्राचीन जीवन–दर्शन की ओर लौटें और समझें कि पर्यावरण केवल संसाधन नहीं, जीवन का सहगामी है।

धरती मां की पुकार अब ध्वनि नहीं रही, वह आर्तनाद है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, और वायुमंडल विषाक्त हो रहा है। यह सब केवल आंकड़ों की भाषा में न देखें। यह संवेदना की कमी का दुष्परिणाम है। जब हम प्रकृति को 'उपभोग' की वस्तु मान लेते हैं, जब हम विकास को विनाश की सीमा तक ले जाते हैं, तब धरती प्रतिकार करती है कभी बाढ़ बनकर, कभी सूखा बनकर, कभी महामारी बनकर।

आज की आधुनिकता हमें सिखाती है कि "प्रगति" का अर्थ है अधिक निर्माण, अधिक उपभोग...।

धरती मां की पुकार अब ध्वनि नहीं रही, वह आर्तनाद है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, और वायुमंडल विषाक्त हो रहा है। यह सब केवल आंकड़ों की भाषा में न देखें। यह संवेदना की कमी का दुष्परिणाम है। जब हम प्रकृति को 'उपभोग' की वस्तु मान लेते हैं, जब हम विकास को विनाश की सीमा तक ले जाते हैं, तब धरती प्रतिकार करती है कभी बाढ़ बनकर, कभी सूखा बनकर, कभी महामारी बनकर।

आज की आधुनिकता हमें सिखाती है कि "प्रगति" का अर्थ है अधिक निर्माण, अधिक उपभोग, अधिक तकनीक। पर भारतीय दृष्टि कहती है "प्रगति" का अर्थ है अधिक संयम, अधिक सह–अस्तित्व, अधिक करुणा। जब हम "हरियाली का धर्म" की बात करते हैं, तो यह केवल वृक्षारोपण का आह्वान नहीं होता, यह भीतर की हरियाली, भीतर के संतुलन का भी आह्वान है। आध्यात्मिकता, जब केवल ध्यान और आत्ममुक्ति तक सीमित रह जाए, तब वह अधूरी है। जब तक आध्यात्मिक चेतना हमें प्रकृति के प्रति उत्तरदायी न बनाए, तब तक वह केवल आत्मकेन्द्रित बनकर रह जाती है।

क्या यह विडंबना नहीं कि हम एक ओर 'पृथ्वी दिवस' मनाते हैं, और दूसरी ओर उसी दिन प्लास्टिक से समुद्र भरते हैं? क्या यह विचित्र नहीं कि हम "गो ग्रीन" के नारे लगाते हैं, और उसी क्षण नये रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं? यह खंडित चेतना ही आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। भारतीय जीवन–दर्शन सिखाता है कि जीवन में कोई द्वैत नहीं भीतर–बाहर, मन–प्रकृति, आत्मा–जगत सब एक ही हैं। यही अद्वैत भाव ही सच्चा पर्यावरणीय संतुलन ला सकता है।

"पृथ्वी कोई संसाधन नहीं, जीवन का सहगामी है।" इस वाक्य को केवल नारों में सीमित मत समझिए। यह हमारे दृष्टिकोण को बदलने की पुकार है। जब तक हम विकास की भाषा में 'प्राकृतिक संसाधन' जैसे शब्दों का उपयोग करते रहेंगे, हम प्रकृति के साथ व्यापारी संबंध बनाए रखेंगे। पर जब हम यह समझेंगे कि पृथ्वी हमारी माँ है, हमारा शरीर उसी मिट्टी से बना है, हमारी साँसें उसी वनों से आती हैं, तब ही हम इस 'भोग' की संस्कृति से 'योग' की संस्कृति की ओर बढ़ेंगे।

विकास की जो दौड़ आज लगी है, वह केवल

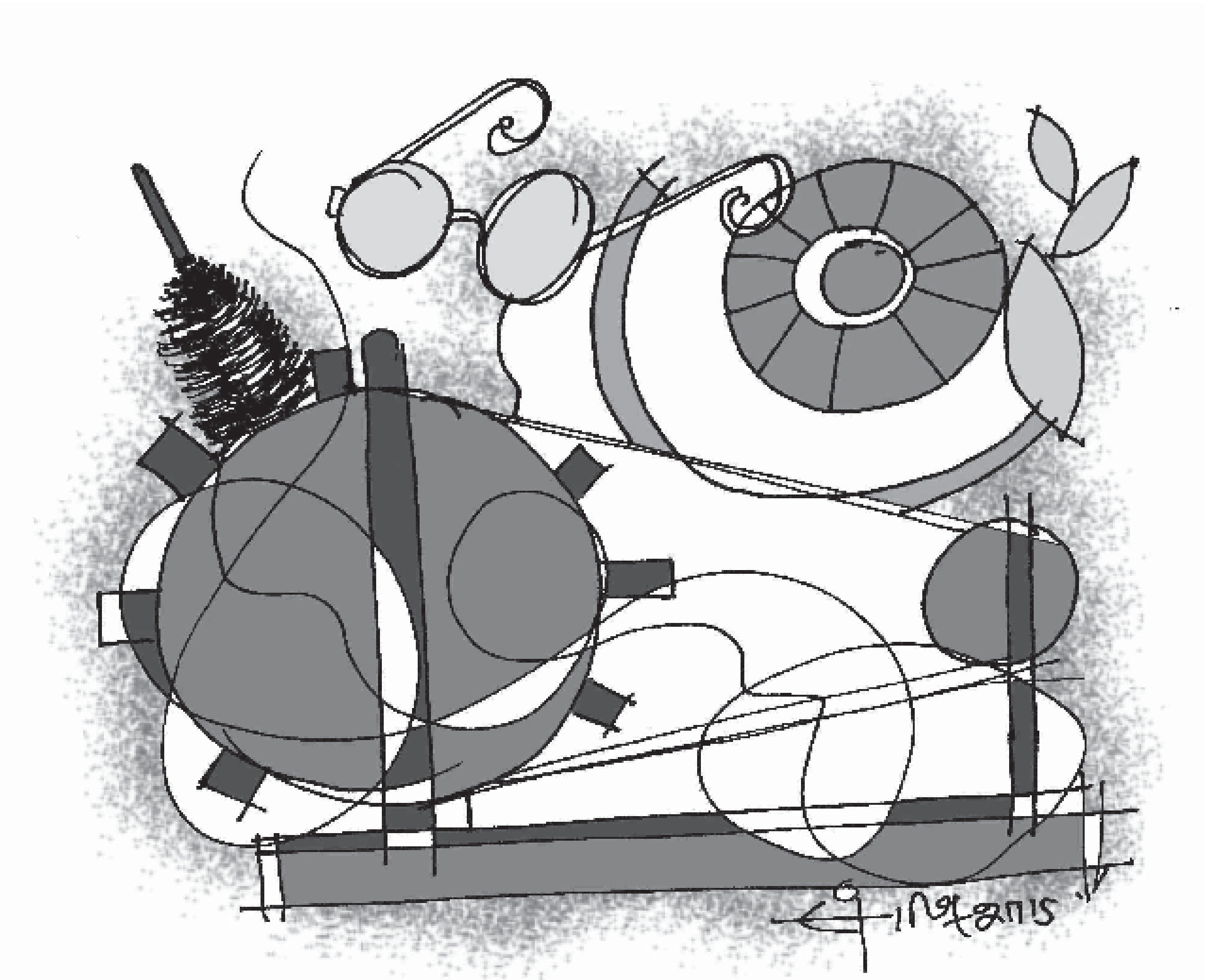

आर्थिक आंकड़ों की रेस नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व की दौड़ है और यह दौड़ हमें हांफती हुई पृथ्वी के कगार तक ला चुकी है। जंगलों को काट कर हम गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर सकते हैं, पर उन इमारतों में सांस लेने लायक हवा नहीं बना सकते। नदियों पर बाँध बना कर बिजली बना सकते हैं, पर उस जल में जीवन नहीं बचा सकते। इस दौड़ में हमें रुक कर सोचना होगा। क्या यह प्रगति है, या आत्म–विनाश की तैयारी?

भारत में पुनर्जागरण की जरूरत है जीवन–दर्शन आधारित पर्यावरण पुनर्जागरण की। हमें अपने मंदिरों में केवल दीप नहीं जलाने, बल्कि वृक्ष भी लगाने होंगे। हमें शिक्षा में विज्ञान के साथ जीवन–मूल्यों को भी जोड़ना होगा। यदि बच्चा सीखे कि पीपल केवल पेड़ नहीं, वह हमारे पूर्वजों का प्रतीक है। यदि वह समझे कि नदी केवल जल नहीं, संस्कृति की धारा है। यदि वह जाने कि हर पत्ता, हर कीट, हर पक्षी हमारे जीवन–जाल का हिस्सा है, तभी वह सच्चा नागरिक बनेगा, सच्चा मनुष्य बनेगा।

पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारी योजनाओं, विधिक प्रावधानों या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की घोषणाओं से नहीं सुनिश्चित हो सकती। ये सभी प्रयास तभी फलदायी होंगे जब व्यक्ति की चेतना में प्रकृति के प्रति श्रद्धा पुनः जाग्रत हो, जब वह स्वयं को इस सृष्टि का उपभोक्ता नहीं, उत्तरदायी संरक्षक माने। भारतीय जीवन–दर्शन का सार भी इसी में निहित है। प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति, एक ऐसा सह–अस्तित्व जिसमें जीवन की गति और सृष्टि की शांति साथ–साथ चलती है।

आज जब धरती के तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है, वनों की हरियाली कंक्रीट की भट्ठियों में गल रही है, और नदियाँ अपने उद्गम को भी पहचानने में असमर्थ हो गई हैं। तब यह प्रश्न और अधिक तीव्र हो उठता है कि क्या पर्यावरण संकट केवल एक भौतिक समस्या है? नहीं, यह

मूलतः चेतना का संकट है। यह उस दृष्टिकोण का संकट है जिसमें प्रकृति को केवल संसाधन माना गया, उपभोग की वस्तु समझा गया, जबकि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में वह 'माता' कही गई, उपासना की पात्र रही।

हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण की वास्तविक शुरुआत तब होगी जब हमारी संस्कृति और परंपराएँ पुनः प्रकृति-सम्मत बनेंगी। हमारे पर्व-त्योहारों की आत्मा ही प्रकृति में समाहित रही है वसंत पंचमी, हरियाली तीज, छठ, ओणम, बिहू, पोला, ये सब ऋतुओं, फसलों और प्रकृति के साथ हमारे संवाद का हिस्सा हैं। किंतु आज ये महज अनुष्ठान बन गए हैं, और उनके मूल भाव को हमने भुला दिया है। अगर इन त्योहारों में हम पुनः वही आत्मीयता ला सकें, जहाँ प्रत्येक पूजा एक वृक्षारोपण हो, प्रत्येक उपवास केवल आत्मशुद्धि नहीं, उपभोग की मर्यादा का प्रतीक बने तो यही हमारे संरक्षण का पहला सोपान होगा।

धरती मां की पुकार केवल प्रकृति की चीख़ नहीं है, वह हमारी आत्मा के द्वार पर दस्तक है। यह पुकार है कि हम अपने स्वार्थ की सीमाओं से बाहर निकलें और इस धरती के साथ एक बार फिर जुड़ें, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। हम अपनी सोच को फिर से उस दिशा में मोड़ें जहाँ आध्यात्मिकता का मापदंड मंदिरों की संख्या नहीं, वनों की हरियाली हो, जहाँ आस्था का विस्तार मूर्तियों से आगे जाकर जीवन के प्रत्येक रूप में परमात्मा को देखने की दृष्टि दे।

भारतीय संस्कृति में 'यज्ञ' केवल अग्नि में आहुति देने का कर्म नहीं है। यह त्याग और संतुलन का प्रतीक है। एक ऐसा दार्शनिक विचार जो कहता है कि सृष्टि तभी संतुलित रहती है जब हम जितना लें, उससे अधिक लौटाएँ। आज वनों की कटाई, नदियों का दोहन, प्रदूषण और जैव विविधता का क्षरण, यह सब उसी असंतुलन का परिणाम है जहाँ हमने केवल लेना सीखा, लौटाना नहीं। अब यज्ञ की पूर्णता इस रूप में होगी कि हम अगली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु, निर्मल जल और उर्वरा माटी को संजोकर रखें। यह एक नैतिक उत्तरदायित्व है, एक सांस्कृतिक दायित्व।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमने उस संतुलन को कहीं खो दिया है, जिसे हमारे पूर्वज सहज जीवनशैली में साधा करते थे। वे विकास को केवल निर्माण की गति नहीं, जीवन की गहराई में मापते थे। आज हमें विकास की उस अवधारणा को पुनः परिभाषित करना होगा। हमें सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना के साथ-साथ सकल प्राकृतिक समृद्धि (Gross Ecological Wealth) को भी मापना होगा, यह देखना होगा कि हमारे गांवों में कितने जलस्रोत बचे हैं, हमारे खेतों में कितनी देसी प्रजातियाँ जीवित हैं, हमारे बच्चों ने पक्षियों की चहचहाहट आखिरी बार कब सुनी थी।

धरती मां की पुकार केवल प्रकृति की चीख़ नहीं है, वह हमारी आत्मा के द्वार पर दस्तक है। यह पुकार है कि हम अपने स्वार्थ की सीमाओं से बाहर निकलें और इस धरती के साथ एक बार फिर जुड़ें, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। हम अपनी सोच को फिर से उस दिशा में मोड़ें जहाँ आध्यात्मिकता का मापदंड मंदिरों की संख्या नहीं, वनों की हरियाली हो, जहाँ आस्था का विस्तार मूर्तियों से आगे जाकर जीवन के प्रत्येक रूप में परमात्मा को देखने की दृष्टि दे। जब तक हम विकास को प्रकृति के विरुद्ध खड़ा करेंगे, तब तक दोनों ही पराजित होंगे मानव भी और पर्यावरण भी। किंतु जब विकास की दिशा प्रकृति के साथ कदमताल करे, तो एक नया युग जन्म लेता है। एक ऐसा युग, जो तकनीक और तपस्या का संगम हो, जो बुद्धि से नहीं, विवेक से चलता हो।

संपर्क:
ब्लॉक-I, गली नम्बर- 14/5,
मकान नम्बर-238
कमल बिहार, कमाल पुर, संत नगर, बुराड़ी,
नई दिल्ली, पिन कोड- 110084
मो.- 9955818270

'हमारी शक्ति, हमारा ग्रह'

रंजना मिश्रा

पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है। हम जिस नीले ग्रह पर रहते हैं, वह हमारे लिए केवल एक आवास नहीं, बल्कि एक अमूल्य धरोहर है, जिसको सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। वर्षों से चल रही औद्योगिकीकरण, अनियंत्रित शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ हमारे ग्रह की सुंदरता और जीवन चक्र पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं। ऐसे में हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हैं और हमें इसे बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। 1970 में अमेरिकी सिनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने जब पहला पृथ्वी दिवस मनाया, तब उन्होंने पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, और वन कटाई जैसी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने का संकल्प लिया था। उस दिन लगभग 20 मिलियन अमेरीकियों ने भाग लेकर प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई और इस आंदोलन ने पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई क्रांति की नींव रखी। समय के साथ यह आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि आज लगभग 192 देशों में एक अरब से अधिक लोग विभिन्न कार्यक्रमों, वृक्षारोपण अभियानों, सफाई अभियानों, और जागरूकता फैलाने के कार्यों के माध्यम से इस दिन का महत्व समझते हैं।

2025 में मनाया जा रहा पृथ्वी दिवस न केवल हमारे लिए एक उत्सव का अवसर है, बल्कि यह 55 वीं वर्षगांठ भी है। इस वर्ष की वैश्विक थीम 'हमारी शक्ति, हमारा ग्रह' हमें यह संदेश देती है कि हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत शक्ति से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। यह थीम इस बात पर बल देती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, अपने छोटे-छोटे प्रयासों के माध्यम से बड़े स्तर पर परिवर्तन ला सकता है। आज के समय में जब दुनिया ऊर्जा संकट, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वन कटाई जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब हमारी सबसे बड़ी जरूरत है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना। सौर, पवन, जल

पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है। हम जिस नीले ग्रह पर रहते हैं, वह हमारे लिए केवल एक आवास नहीं, बल्कि एक अमूल्य धरोहर है, जिसको सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। वर्षों से चल रही औद्योगिकीकरण, अनियंत्रित शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ हमारे ग्रह की सुंदरता और जीवन चक्र पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं।

और भूतापीय ऊर्जा जैसे स्रोत न केवल प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि ऊर्जा की आपूर्ति स्थायी और सस्ती हो। उदाहरण के लिए, अमेरिका में पहले छह महीनों में नवीकरणीय ऊर्जा से 25% बिजली उत्पादन हो रहा है और कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दस वर्षों में यह अनुपात 90% तक बढ़ सकता है। यदि हम वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार बढ़ा सकें, तो न केवल पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि आर्थिक विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे।

हमारे ग्रह पर होने वाले प्रदूषण के प्रमुख कारणों में औद्योगिकीकरण, वाहन परिवहन, और अनियंत्रित निर्माण कार्य शामिल हैं। वायु, जल और मृदा प्रदूषण न केवल मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, बल्कि यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के लिए भी खतरा बने हुए हैं। प्रदूषित हवा से सांस लेने में कठिनाई, प्रदूषित पानी से होने वाले रोग, और अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता में कमी जैसी समस्याएँ आज के दौर में आम हो गई हैं। इस संदर्भ में, हमारे पास विकल्प हैं – हमें फॉसिल फ्यूल्स के स्थान पर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा, जिससे कि प्रदूषण में कमी आए और पर्यावरणीय संतुलन बहाल हो सके। हमारे ग्रह की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे दैनिक जीवन में छोटे–छोटे कदमों से भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, बिजली की बचत करने के लिए अनावश्यक उपकरणों को बंद रखना, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नलों को सही समय पर बंद रखना, और प्लास्टिक के स्थान पर पुनः प्रयोज्य वस्तुओं का उपयोग करना – ये सभी कदम मिलकर बड़े स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा, वृक्षारोपण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्ष न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, बल्कि वे हमारे वातावरण को ठंडा रखने, हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और जैव विविधता को बढ़ावा देने का कार्य भी करते हैं। सामूहिक रूप से आयोजित वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेकर हम न केवल अपने आस–पास के वातावरण को सुंदर बना सकते हैं, बल्कि यह संदेश भी फैला सकते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय शिक्षा का भी विशेष महत्व है। हमें अपने बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों को पर्यावरण के महत्व, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, और प्रदूषण की समस्या के बारे में शिक्षित करना होगा। स्कूलों, कॉलेजों, और सामुदायिक केंद्रों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिनसे लोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनें और अपने दैनिक जीवन में ऐसे बदलाव लाएं, जो पर्यावरण के अनुकूल हों। जब समाज में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ेगी तो हम सभी मिलकर ऐसे कदम उठा सकेंगे, जिससे कि हमारा ग्रह और अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और हरा–भरा बन सके। पृथ्वी दिवस का यह पर्व न केवल एक दिन का उत्सव है, बल्कि यह एक निरंतर आंदोलन का प्रतीक है। जब हम 22 अप्रैल को मिलकर अपने आस–पास के सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, और सामुदायिक केंद्रों में सफाई अभियान, वृक्षारोपण, और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, तो हम अपने समुदाय में एक सकारात्मक संदेश फैलाते हैं। यह संदेश है कि हम सब मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

वर्तमान में, वैश्विक स्तर पर कई सरकारें और गैर–सरकारी संगठन (NGO) पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अर्थ डे नेटवर्क जैसे संगठन ने 1970 से ही पर्यावरणीय आंदोलन

हमारे ग्रह पर होने वाले प्रदूषण के प्रमुख कारणों में औद्योगिकीकरण, वाहन परिवहन, और अनियंत्रित निर्माण कार्य शामिल हैं। वायु, जल और मृदा प्रदूषण न केवल मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, बल्कि यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के लिए भी खतरा बने हुए हैं। प्रदूषित हवा से सांस लेने में कठिनाई, प्रदूषित पानी से होने वाले रोग, और अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता में कमी जैसी समस्याएँ आज के दौर में आम हो गई हैं...।

को बढ़ावा दिया है। इन संगठनों का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार के माध्यम से एक स्थायी विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। इन प्रयासों से यह सुनिश्चित होता है कि हमारा ग्रह प्रदूषण मुक्त हो, और साथ ही हमें ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए, स्वच्छ विकल्प उपलब्ध हों। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब हमें फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे विकल्प न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी किफायती सिद्ध हो रहे हैं। दुनिया भर के कई देशों ने पहले ही अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव करते हुए नवीकरणीय स्रोतों को प्राथमिकता दी है। उदाहरण स्वरूप, कुछ यूरोपीय देशों में तो 99.99% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त की जा रही है। यदि हम वैश्विक स्तर पर इसी दिशा में कदम बढ़ाएं, तो आने वाले वर्षों में ऊर्जा संकट से निजात पाना संभव हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार भी एक महत्वपूर्ण कारक है। नई तकनीकों और शोध के माध्यम से ऊर्जा को स्टोर करने, स्थानांतरित करने और उपयोग करने के तरीके में निरंतर सुधार हो रहा है। बैटरी तकनीक, स्मार्ट ग्रिड्स और ऊर्जा दक्षता उपकरण इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन नवाचारों के माध्यम से हम न केवल ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा की आपूर्ति को भी और अधिक विश्वसनीय बना सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत प्रयासों के अलावा, सामूहिक प्रयास भी अत्यंत आवश्यक हैं। जब हम एक साथ मिलकर सामुदायिक स्तर पर काम करते हैं, तो हम बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानीय सरकारें, नगरपालिकाएँ और स्वयंसेवी संगठन मिलकर सार्वजनिक स्थानों की सफाई, वृक्षारोपण, और ऊर्जा संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं। ऐसे अभियानों में शामिल होकर हम न केवल अपने आस-पास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि यह संदेश भी फैला सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज में पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने के लिए हमें मीडिया का भी सहारा लेना होगा। समाचार पत्र, टीवी चौनल, रेडियो, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऐसे कार्यक्रमों और अभियानों को प्रमोट कर सकते हैं जो लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करें। जब समाज के सभी वर्गों में यह संदेश पहुंचेगा कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, तब ही हम एक स्थायी और हरा-भरा भविष्य सुनिश्चित कर सकेंगे।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियाँ अनेक हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन कटाई, और प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्याएँ आज के समय में सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल सरकारी नीतियों या बड़े निगमों द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बदलाव लाएं, जैसे कि बिजली और पानी का सही उपयोग, प्लास्टिक के कम प्रयोग और पुनर्चक्रण के नियमों का पालन, तो ये छोटे-छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। हमारे देश में भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास देखे जा रहे हैं। कई राज्य और नगरपालिकाएँ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, वृक्षारोपण अभियानों, और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इन पहलों से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है, बल्कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। यह संदेश, 'हमारी शक्ति, हमारा ग्रह', हमें याद दिलाता है कि हमारे छोटे-छोटे प्रयास

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियाँ अनेक हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन कटाई, और प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्याएँ आज के समय में सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल सरकारी नीतियों या बड़े निगमों द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बदलाव लाएं, जैसे कि बिजली और पानी का सही उपयोग, प्लास्टिक के कम प्रयोग और पुनर्चक्रण के नियमों का पालन, तो ये छोटे-छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं...।

मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज जब तकनीकी प्रगति ने जीवन को सुविधाजनक बना दिया है, वहीं इसने पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ा दिया है। आधुनिक जीवनशैली में ऊर्जा, संसाधनों और तकनीकी नवाचारों का अतिरेक हो गया है। लेकिन इस स्थिति में भी यदि हम सही दिशा में कदम उठाएं, तो हम इस दबाव को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऊर्जा की बचत, घरेलू उपकरणों के ऊर्जा दक्षता वाले संस्करणों का उपयोग, और परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना – ये सभी उपाय पर्यावरण संरक्षण में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त, हमें अपने खान–पान और उपभोक्ता आदतों में भी सुधार करना होगा। सतत विकास के सिद्धांतों के अनुसार, हमें उन वस्तुओं का चयन करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों और जिनका उत्पादन कम ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करके किया गया हो। पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और कम अपशिष्ट उत्पादन की आदतें न केवल हमारे पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद सिद्ध होती हैं। जब हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो हमें यह भी समझ में आता है कि हमारे प्रयासों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। यह परिवर्तन न केवल हमारे वर्तमान जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करेगा। यदि हम आज ही इस दिशा में कदम बढ़ाएं, तो भविष्य में ऊर्जा संकट, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। सामूहिक प्रयास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाता है और उन्हें प्रेरित किया जाता है कि वे अपने आस–पास के क्षेत्रों में सफाई अभियान, वृक्षारोपण, और ऊर्जा संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से भाग लें। जब समाज के हर वर्ग से लोग जुड़ते हैं, तो यह एक बड़ा आंदोलन बन जाता है, जिससे सरकारों और नीति निर्माताओं पर दबाव बढ़ता है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाएं। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिनमें पेरिस समझौता प्रमुख है। इस समझौते के तहत विभिन्न देश एक साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसी अंतरराष्ट्रीय पहलों से यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक देश या क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सम्पूर्ण मानवता का संकट है, जिसे हल करने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर काम करना होगा।

हमारी शक्ति का अर्थ केवल भौतिक शक्ति से नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी प्रतिबद्धता और हमारी सामूहिक एकता से भी जुड़ी है। इस 22 अप्रैल 2025 को, हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम न केवल इस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाएंगे, बल्कि हर दिन को एक ऐसा दिन बनाएंगे जब हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। यह संकल्प हमें याद दिलाता है कि हमारे पास एक ऐसा ग्रह है जिसे हम अपनी शक्ति और सामूहिक प्रयासों से संरक्षित रख सकते हैं। जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी शक्ति कितनी विशाल है। यह शक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अपने ग्रह को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों से बचा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम सभी इस ग्रह के संरक्षक हैं और हमारी छोटी–छोटी कोशिशें मिलकर बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती हैं। इस प्रकार, पृथ्वी दिवस 2025 एक ऐसा अवसर है जब हम अपने जीवन में पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरी लगन से निभाने का संकल्प लें। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि हमारे पास अपार शक्ति है और इस शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने ग्रह को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

संपर्कः
मो.– 9336111418

आदिवासी संस्कृति के अस्तित्व को खतरा।

प्रियंका सौरभ

महाराष्ट्र में गोंडी-माध्यम विद्यालय का बंद होना आदिवासी समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक चिंताजनक प्रवृत्ति का संकेत है। मध्य भारत में 2 मिलियन से अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली गोंडी, गोंड जनजाति की पहचान के लिए आवश्यक है। गोंडी-माध्यम शिक्षा में कमी से न केवल भाषा के संरक्षण को ख़तरा है, बल्कि समुदाय की सांस्कृतिक निरंतरता और आत्मनिर्णय को भी ख़तरा है। दुनिया भर के आदिवासी समुदायों में समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये भाषाएँ, परंपराएँ और ज्ञान प्रणालियाँ अलग-अलग दृष्टिकोणों को दर्शाती हैं और मानव सभ्यता की विविधता को बढ़ाती हैं। दुर्भाग्य से, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और बाहरी प्रभाव इन परंपराओं को तेजी से खतरे में डाल रहे हैं, जिससे उनका संरक्षण महत्त्वपूर्ण हो गया है। गोंडी-माध्यम विद्यालयों का बंद होना केवल एक शैक्षिक चिंता से कहीं अधिक है; यह गोंड समुदाय के सांस्कृतिक अस्तित्व को खतरे में डालता है। ऐसे में आने वाली पीढ़ियाँ ख़ुद को अपनी भाषाई विरासत से अलग पा सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपरिवर्तनीय सांस्कृतिक क्षति हो सकती है।

महाराष्ट्र में गोंडी-माध्यम विद्यालय का बंद होना भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक अधिकारों को लागू करने में कठिनाइयों को उजागर करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350। के अनुसार राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों की मूल भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी होती है, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक-राजनीतिक बाधाएँ अक्सर इस लक्ष्य को बाधित करती हैं। जनजातीय भाषाएँ और संस्कृतियाँ पहचान, इतिहास और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से निकटता से जुड़ी हुई हैं। किसी भाषा के ख़त्म होने का मतलब है दुनिया के बारे में एक अलग दृष्टिकोण का गायब होना। वैश्वीकरण, जबरन आत्मसात करने और अपर्याप्त औपचारिक मान्यता के कारण कई जनजातीय भाषाएँ खतरे में हैं। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक विरासत-जिसमें अनुष्ठान, कला, लोकगीत और पारंपरिक प्रथाएँ शामिल हैं, को पलायन, वनों की कटाई और आधुनिकीकरण से ख़तरा है। जबकि

महाराष्ट्र में गोंडी-माध्यम विद्यालय का बंद होना आदिवासी समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक चिंताजनक प्रवृत्ति का संकेत है। मध्य भारत में 2 मिलियन से अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली गोंडी, गोंड जनजाति की पहचान के लिए आवश्यक है। गोंडी-माध्यम शिक्षा में कमी से न केवल भाषा के संरक्षण को ख़तरा है, बल्कि समुदाय की सांस्कृतिक निरंतरता और आत्मनिर्णय को भी ख़तरा है। दुनिया भर के आदिवासी...।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 350। के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, जो मातृभाषा शिक्षा को अनिवार्य बनाता है, मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की रिपोर्ट है कि पिछले 50 वर्षों में 220 से अधिक भाषाएँ लुप्त हो गई हैं, जिनमें से कई स्वदेशी भाषाओं को शैक्षिक समर्थन की कमी है।

गोंडी–माध्यम विद्यालयों का बंद होना भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए चल रहे संघर्ष को उजागर करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है, जो जबरन आत्मसात करने से रोकने में मदद करता है और शिक्षा और शासन दोनों में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामले में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुदृढ़ किया, शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन में उनकी स्वतंत्रता की पुष्टि की। अनुच्छेद 350। के तहत राज्यों को बच्चों की मूल भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा का समर्थन करने की आवश्यकता होती है, जिससे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सीखने के परिणामों में सुधार होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषी शिक्षा की वकालत करती है, जिसमें बचपन में मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता देती है, जिससे भाषाई विकास के लिए राज्य का समर्थन सुनिश्चित होता है; हालाँकि, गोंडी और भीली जैसी महत्त्वपूर्ण आदिवासी भाषाएँ उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित हैं। जबकि लगभग 25,000 लोगों द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लगभग 2.9 मिलियन बोलने वालों वाली गोंडी को शामिल नहीं किया गया है, जो व्यवस्थित बहिष्कार के पैटर्न को दर्शाता है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त शासन और सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा और भाषा नीतियों के प्रबंधन का अधिकार भी शामिल है। हालाँकि पूर्वोत्तर में स्वायत्त जिला परिषदें आदिवासी भाषाओं का समर्थन करती हैं, लेकिन मध्य भारत में समान सुरक्षा का अभाव है।

1996 का 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम' आदिवासी स्वशासन के महत्त्व को स्वीकार करता है, ग्राम सभाओं को सांस्कृतिक और शैक्षिक मुद्दों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे संवैधानिक सुरक्षा मजबूत होती है। हालाँकि, मोहगाँव ग्राम पंचायत द्वारा गोंडी–माध्यम विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को नौकरशाही नियमों के कारण खारिज कर दिया गया था। गोंडी–माध्यम विद्यालय को बंद करना इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अनम्य प्रशासनिक प्रथाएँ आदिवासी स्वायत्तता को कमजोर कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मूल भाषा में शिक्षा की कमी होती है। हालाँकि शिक्षा के अधिकार के दिशा–निर्देशों का उपयोग स्कूल को बंद करने को सही ठहराने के लिए किया गया था, लेकिन संवैधानिक प्रावधान हैं जो स्थानीय शासन का समर्थन करते हैं। आदिवासी भाषाओं को अक्सर संस्थानों द्वारा अनदेखा किया जाता है, जो संस्कृत और हिन्दी जैसी भाषाओं को दिए जाने वाले समर्थन के विपरीत है, जो सामाजिक–राजनीतिक हाशिए के पैटर्न को दर्शाता है। गोंडी–माध्यम की पाठ्यपुस्तकों के लिए न्यूनतम धन उपलब्ध है, जबकि संस्कृत को राज्य का काफी समर्थन प्राप्त है। आठवीं अनुसूची से आदिवासी भाषाओं को बाहर करने से उनका विकास बाधित होता है, जिससे उनके लुप्त होने का ख़तरा है। जबकि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' 2020 संस्कृत संस्थानों को बढ़ावा देता है, आदिवासी भाषाओं के लिए कोई समान ढांचा नहीं है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी भाषाएँ औपचारिक नौकरी के अवसरों से जुड़ी नहीं हैं, जो शिक्षा में उनके महत्त्व को कम करती हैं। नौकरी की आवश्यकताओं में आमतौर पर हिन्दी या अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे आदिवासी भाषाओं में शिक्षा कम आकर्षक हो जाती है।

ऐसी स्कूल बंद होने से आदिवासी पहचान के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा होता है, जो मौखिक परंपराओं और सांस्कृतिक साझाकरण में गहराई से निहित है, जिसके परिणामस्वरूप भाषा का संभावित नुकसान हो सकता है। शहरीकरण और वनों की कटाई ने पहले ही आदिवासी कहानी कहने की प्रथा को कम कर दिया है और स्कूलों के बंद होने से यह गिरावट और तेज हो गई है। हालाँकि ष्पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियमष स्वायत्तता की एक हद तक सुविधा प्रदान करता है, लेकिन स्थानीय निर्णय, जैसे कि मोहगाँव द्वारा अपने स्कूल के बारे में लिए गए निर्णय, अक्सर अनदेखा कर दिए जाते हैं, जो जमीनी स्तर पर शासन को कमजोर करता है। कानूनी समर्थन के साथ भी, भाषा और शिक्षा से सम्बंधित

आदिवासी निर्णयों को अक्सर जिला प्रशासन के विकल्पों द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। अतिरिक्त भाषाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया राजनीति में फंसी हुई है और धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जिससे आदिवासी भाषाओं की मान्यता में बाधा आ रही है। उदाहरण के लिए, बोडो को व्यापक वकालत के बाद 2003 में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी, फिर भी बड़ी संख्या में बोलने वालों के बावजूद गोंडी को मान्यता नहीं मिली है। जबकि न्यायालयों ने भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पुष्टि की है, उन्होंने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है। टी.एम.ए. पै मामले ने शिक्षा में अल्पसंख्यक अधिकारों को मजबूत किया, लेकिन आदिवासी भाषाओं पर केंद्रित स्कूलों की उपेक्षा जारी है। सरकारी पहल का उद्देश्य बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है, लेकिन आदिवासी भाषाओं के लिए मजबूत कार्यान्वयन का अभाव है। ष्भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघर्ष और आदिवासी सांस्कृतिक संवर्धन जैसे कार्यक्रम आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए मौजूद हैं, लेकिन वे अक्सर असंगत होते हैं और शिक्षा को प्रभावी ढंग से शामिल करने में विफल होते हैं।

ष्भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघष आदिवासी शिल्प का समर्थन करता है, लेकिन इसमें भाषा संरक्षण के लिए जनादेश का अभाव है, जो व्यापक विकास में बाधा डालता है। जबकि ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) गोंडी प्रसारण जैसी पहल मौजूद हैं, उनकी पहुँच सीमित है। बस्तर में गोंडी रेडियो कार्यक्रम भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन शैक्षिक नीतियाँ इन प्रयासों का समर्थन नहीं करती हैं। आठवीं अनुसूची में गोंडी और अन्य महत्त्वपूर्ण आदिवासी भाषाओं को मान्यता देना नीति-संचालित समर्थन को बढ़ावा देगा। शैक्षिक निर्णयों में स्थानीय शासन को बढ़ाने से गोंडी-माध्यम विद्यालयों जैसी पहलों में नौकरशाही के हस्तक्षेप को रोकने में मदद मिल सकती है। आदिवासी भाषा शिक्षा के लिए समर्पित संसाधन, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और डिजिटल उपकरण प्रदान करने से सीखने की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। हालाँकि संवैधानिक सुरक्षा और सरकारी कार्यक्रम आदिवासी समुदायों की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक कानूनी आधार बनाते हैं, लेकिन कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, अपर्याप्त संसाधन और नीतिगत उपेक्षा अक्सर उनके प्रभाव को कमजोर कर देती हैं। गोंडी-माध्यम विद्यालयों का बंद होना मजबूत संस्थागत समर्थन, समुदाय-नेतृत्व वाली पहल और बेहतर शैक्षिक बुनियादी ढाँचे की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। युवा पीढ़ी अक्सर बेहतर नौकरी की संभावनाओं के लिए प्रमुख भाषाओं की ओर आकर्षित होती है और कई आदिवासी भाषाएँ स्कूली पाठ्यक्रमों से अपरिचित या अनुपस्थित रहती हैं।

सांस्कृतिक विरासत भूमि और प्राकृतिक पर्यावरण से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। वनों की कटाई और विस्थापन के खतरे दोनों को खतरे में डालते हैं। कई आदिवासी समुदाय डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे उनकी विरासत को ऑनलाइन प्रदर्शित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। स्कूलों के लिए आदिवासी भाषाओं को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है। मोबाइल ऐप, यूट्यूब ट्यूटोरियल और पॉडकास्ट का उपयोग करके सीखने को आकर्षक और सुलभ बनाया जा सकता है। बुजुर्गों को मौखिक परंपराओं और कहानियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थानीय और राष्ट्रीय त्योहारों और समारोहों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पारंपरिक ज्ञान को साझा करना, औषधीय पौधों, खेती के तरीकों और कला रूपों का दस्तावेजीकरण करना स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने में मदद कर सकता है। सरकारों को पवित्र स्थलों और स्वदेशी लोगों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। आदिवासी भाषाओं में रेडियो स्टेशन, समाचार पत्र और सोशल मीडिया का उपयोग जागरूकता बढ़ा सकता है। हस्तशिल्प और पारंपरिक कला का विपणन ई-कॉमर्स और पर्यटन के माध्यम से किया जा सकता है। संरक्षण प्रयासों को निधि देने के लिए गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच सहयोग महत्त्वपूर्ण है। गोंडी-माध्यम विद्यालयों के बंद होने से न केवल शैक्षिक चुनौती है, बल्कि गोंड समुदाय के सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए भी एक बड़ा ख़तरा है। शीघ्र कार्यवाही के बिना, भावी पीढ़ियों को अपनी भाषाई विरासत खोने का ख़तरा होगा, जिससे अपरिवर्तनीय सांस्कृतिक पतन हो सकता है।

कविता

रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं

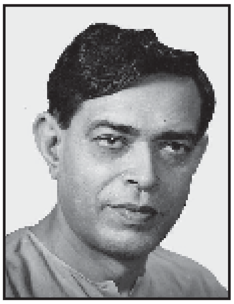

हिमालय

मेरे नगपति! मेरे विशाल!
साकार, दिव्य, गौरव विराट्,

पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल!
मेरी जननी के हिम-किरीट!

मेरे भारत के दिव्य भाल!
मेरे नगपति! मेरे विशाल!

युग-युग अजेय, निर्बंध, मुक्त,
युग-युग गर्वोन्नत, नित महान,

निस्सीम व्योम में तान रहा
युग से किस महिमा का वितान?

कैसी अखंड यह चिर-समाधि?
यतिवर! कैसा यह अमर ध्यान?

तू महाशून्य में खोज रहा
किस जटिल समस्या का निदान?

उलझन का कैसा विषम जाल?
मेरे नगपति! मेरे विशाल!

ओ, मौन, तपस्या-लीन यती!
पल भर को तो कर दृगुन्मेष!

रे ज्वालाओं से दग्ध, विकल
है तड़प रहा पद पर स्वदेश।

सुखसिंधु, पंचनद, ब्रह्मपुत्र,
गंगा, यमुना की अमिय-धार

जिस पुण्यभूमि की ओर बही
तेरी विगलित करुणा उदार,

जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत
सीमापति! तूने की पुकार,

'पद-दलित इसे करना पीछे
पहले ले मेरा सिर उतार।'

उस पुण्य भूमि पर आज तपी!
रे, आन पड़ा संकट कराल,

व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे
डँस रहे चतुर्दिक विविध व्याल।

मेरे नगपति! मेरे विशाल!
कितनी मणियाँ लुट गयीं? मिटा

कितना मेरा वैभव अशेष!
तू ध्यान-मग्न ही रहा; इधर

वीरान हुआ प्यारा स्वदेश।
किन द्रौपदियों के बाल खुले?

किन-किन कलियों का अंत हुआ?
कह हृदय खोल चित्तौर! यहाँ

कितने दिन ज्वाल-वसंत हुआ?
पूछे सिकता-कण से हिमपति!

तेरा वह राजस्थान कहाँ?
वन-वन स्वतंत्रता-दीप लिये

फिरनेवाला बलवान कहाँ?
तू पूछ, अवध से, राम कहाँ?

वृंदा! बोलो, घनश्याम कहाँ?
ओ मगध! कहाँ मेरे अशोक?

वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ ?
पैरों पर ही है पड़ी हुई

मिथिला भिखारिणी सुकुमारी,
तू पूछ, कहाँ इसने खोयीं

अपनी अनंत निधियाँ सारी?
री कपिलवस्तु! कह, बुद्धदेव

के वे मंगल-उपदेश कहाँ?
तिब्बत, इरान, जापान, चीन

तक गये हुए संदेश कहाँ?
वैशाली के भग्नावशेष से

पूछ लिच्छवी-शान कहाँ?
ओ री उदास गंडकी! बता

विद्यापति कवि के गान कहाँ?
तू तरुण देश से पूछ अरे,

गूँजा कैसा यह ध्वंस-राग?
अंबुधि-अंतस्तल-बीच छिपी

यह सुलग रही है कौन आग?
प्राची के प्रांगण-बीच देख,

जल रहा स्वर्ण-युग-अग्निज्वाल,
तू सिंहनाद कर जाग तपी!

मेरे नगपति! मेरे विशाल!
रे, रोक युधिष्ठिर को न यहाँ,

जाने दे उनको स्वर्ग धीर,
पर, फिरा हमें गांडीव-गदा,

लौटा दे अर्जुन-भीम वीर।
कह दे शंकर से, आज करें

वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार।
सारे भारत में गूँज उठे,

'हर-हर-बम' का फिर महोच्चार।
ले अँगड़ाई, उठ, हिले धरा,

कर निज विराट् स्वर में निनाद,
तू शैलराट! हुंकार भरे,

फट जाय कुहा, भागे प्रमाद।
तू मौन त्याग, कर सिंहनाद,

रे तपी! आज तप का न काल।
नव-युग-शंखध्वनि जगा रही,

तू जाग, जाग, मेरे विशाल!

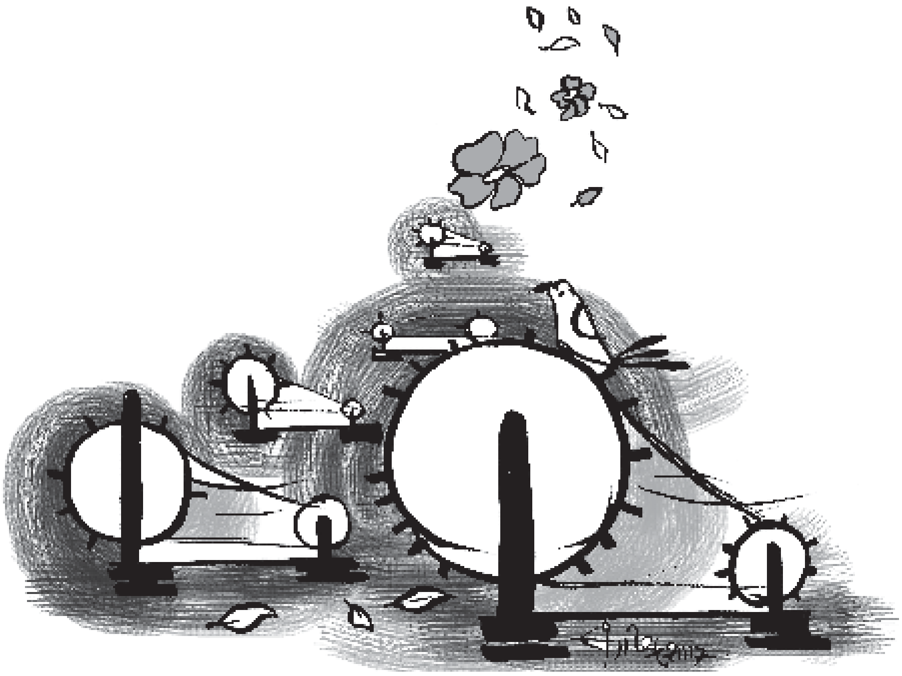

फलेगी डालों में तलवार

धनी दे रहे सकल सर्वस्व,
तुम्हें इतिहास दे रहा मान;

सहस्रों बलशाली शार्दूल
चरण पर चढ़ा रहे हैं प्राण।

दौड़ती हुई तुम्हारी ओर
जा रहीं नदियाँ विकल, अधीर;

करोड़ों आँखें पगली हुई,
ध्यान में झलक उठी तस्वीर।

पटल जैसे-जैसे उठ रहा,
फैलता जाता है भूडोल।

हिमालय रजत-कोष ले खड़ा,
हिंद-सागर ले खड़ा प्रवाल,

देश के दरवाजे पर रोज
खड़ी होती ऊषा ले माल।

कि जाने तुम आओ किस रोज
बजाते नूतन रुद्र-विषाण,

किरण के रथ पर हो आसीन
लिए मुट्ठी में स्वर्ण-विहान।

स्वर्ग जो हाथों को है दूर,
खेलता उससे भी मन लुब्ध।

धनी देते जिसको सर्वस्व,
चढ़ाते बली जिसे निज प्राण,

उसी का लेकर पावन नाम
कलम बोती है अपने गान।

गान, जिनके भीतर संतप्त
जाति का जलता है आकाश;

उबलते गरल, द्रोह, प्रतिशोध,
दर्प से बलता है विश्वास।

देश की मिट्टी का असि-वृक्ष,
गान-तरु होगा जब तैयार,

खिलेंगे अंगारों के फूल,
फलेगी डालों में तलवार।

चटकती चिनगारी के फूल,
सजीले वृंतों के शृंगार,

विवशता के विषजल में बुझी,
गीत की, आँसू की तलवार।

फोटो में गांधी

Some of Gandhi's earthly possessions: writing desk, spinning wheel, walking stick and slippers

God is Truth
The way to Truth
lies through Ahimsa
(non violence)
Sabarmati
13.3.'27
M K Gandhi

Gandhi Heritage Portal

जोगड़ी बनी ज्योति

मुकेश बहुगुणा

हर प्रात: पशुओं को जंगल ले जाती हुई लड़की पगडंडी की सीमा से लगे स्कूल को गौर से देखती और मन ही मन सोचती काश मुझे भी पढ़ने का मौका मिला होता.... तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाती, किताबें पढ़ती, खेलती पर क्या करूं घर के कार्यों का बोझ, मां की कमी व पिता की बेबसी ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया है। अपनी सोच में डूबी हुई लड़की जंगल की ओर बढ़ती जाती सोचती काश मेरा भी एडमिशन स्कूल में हो जाता।

नित्य ही स्कूल की सीमा से चलते कुछ देर ठहरती और तन्मयता के साथ देखती किस प्रकार बच्चे पढ़ रहे हैं खेल रहे हैं और आनंदित हैं।

स्कूल में सामूहिक प्रार्थना, और व्यायाम करते हुए बच्चों को देखना, गुरु जी का मार्गदर्शन, कहानी व कविता का हाव-भाव के साथ वाचन उसे बहुत अच्छा लगता।

स्कूल की सीमा से जंगल जाते हुए वो दस पंद्रह मिनट उसे अपने जीवन के अनमोल क्षण लगते।

स्कूल की सीमा से लगी पगडंडी में खड़ी लड़की से एक दिन गुरु जी ने पूछा... क्या तुम स्कूल में पढ़ती हो?

लड़की सकुचाते हुए बोली 'जी नहीं'

क्यों नहीं पढ़ती हो तुम?

वह कुछ ना बोल सकी.. और बिना कुछ बोले जंगल की राह में अपनी गायों के पीछे दौड़ पड़ी।

गुरु जी ने गांव के अन्य बच्चों से जब उसके बारे में पूछा तो पता लगा कि लड़की की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था इसलिए उसे घर के सभी कार्य करने होते थे। साथ ही जंगल से चारा, लकड़ी लाना व पशुओं की देखभाल भी करनी होती थी।

हर प्रात: पशुओं को जंगल ले जाती हुई लड़की पगडंडी की सीमा से लगे स्कूल को गौर से देखती और मन ही मन सोचती काश मुझे भी पढ़ने का मौका मिला होता.... तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाती, किताबें पढ़ती, खेलती पर क्या करूं घर के कार्यों का बोझ, मां की कमी व पिता की बेबसी ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया है।

गुरु जी उसके बारे में जानकर पूरी बात समझ गए। अगले दिन गुरु जी ने फिर से उससे कहा कि तुम स्कूल पढ़ोगी? जैसे वह इसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी, बोली मेरे पिताजी मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हैं... कह रहे हैं कि घर में बहुत काम है।

गुरु जी ने कहा अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर लूंगा। लड़की सहमति में सिर हिलाते हुए जंगल की ओर अपने पशुओं को हांकती हुई चली गई।

गुरु जी उसी दिन हाफ टाइम में एक दो बच्चों के साथ लड़की के घर चले गये जो कि स्कूल से बमुश्किल 200 मीटर दूर रहा होगा। घर में गुरु जी को आता देख उसके पिताजी ने गुरु जी का सम्मान किया बैठाया, चाय पानी की व्यवस्था करने लगे..... संभवत उनको गुरु जी के आने का कारण पता लग गया था, क्योंकि लड़की घर में, स्कूल में भर्ती होने की जिद कर चुकी थी।

गुरु जी ने लड़की के पिता से जब लड़की को स्कूल भर्ती करने हेतु कहा तो लड़की के पिता ने पूरी तरह असमर्थता बताई, साथ ही कहा कि उनके पास कोई फीस भी नहीं है, और ना ही वह इतने समर्थ हैं कि लड़की की किताब कॉपी खरीद सकें।

गुरु जी ने कहा आप फीस व किताब की चिंता न करें। स्कूल में कोई फीस नहीं लगेगी और ना ही आपको किताब कॉपी लानी है ....इसकी व्यवस्था मैं स्वयं अपने स्तर से कर लूंगा। लड़की के पिता जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी अगर लड़की स्कूल चली गई तो हमारे घर के दैनिक कार्य कौन करेगा?

गुरु जी ने बोला चिंता मत करो उसे प्रतिदिन हाफ टाइम बाद छुट्टी देंगे... ताकि वह स्कूल के साथ-साथ घर के कार्य भी कर ले।

गुरु जी के इस प्रकार समझाने पर लड़की के पिता मान गए और स्कूल में प्रवेश का रास्ता बन गया।

अगले दिन जैसी आशा थी वही हुआ.... लड़की सुबह-सुबह बड़ी प्रसन्न मन से अन्य बच्चों के साथ स्कूल के प्रांगण में खड़ी थी.. सभी बच्चे उसके आसपास ही थे । आज स्कूल में पहला दिन था, स्कूल में एडमिशन होना था। उसके पिताजी नहीं आए थे..... पर वह निश्चिंत थी कि गुरू जी ने उसे कहा था कि तुम्हारा स्कूल में एडमिशन हो जाएगा।

गुरु जी अपने निश्चित समय पर स्कूल पहुंचे, देखा आज स्कूल में एक अलग सा माहौल था। वह लड़की जिसकी उम्र लगभग चौदह साल की थी, उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ स्कूल में एडमिशन हेतु खड़ी थी। प्रार्थना की पंक्ति में वह भी अन्य बच्चों के साथ खड़ी हो गई। गुरु जी ने भी उसका हौसला बढ़ाया।

प्रार्थना स्थल के बाद सब बच्चे कक्षा में बैठे तो गुरु जी ने बच्चों की सबसे पहले उपस्थिति ली। लड़की का नाम उपस्थिति हेतु नहीं पुकारा गया तो अन्य बच्चे बोले गुरु जी इसका नाम तो आपने लिया ही नहीं। गुरु जी ने कहा आज इसका नाम लिखा जाएगा फिर प्रतिदिन इसको भी उपस्थिति बोलनी होगी।

गुरु जी ने लड़की को अपने पास बुलाया बोला कि तुम्हारे पिताजी नहीं आए हैं क्या?

लड़की ने गर्दन हिलाते हुए 'ना' कहा।

गुरु जी ने एडमिशन फॉर्म निकालते हुए उससे कहा कि आज हम तुम्हारा एडमिशन करते हैं तुम्हारा नाम क्या है लड़की बोली 'जोगड़ी'

अरे घर का नाम नहीं जो तुम्हारा सही नाम है वह बताओ?

'जी गुरु जी मेरा नाम तो जोगड़ी ही है।'

क्या तुम्हारा और कोई नाम नहीं?

'जी नहीं' ... लड़की ने पूरी गम्भीरता से कहा।

अन्य बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी एक स्वर में कहा. .. नहीं गुरु जी इसका नाम जोगड़ी ही है।

गुरु जी ने कहा जोगड़ी नाम ठीक नहीं लग रहा है... तुम अपना स्कूल का नया नाम रख लो। लड़की के कुछ समझ में नहीं आया.... बोली गुरु जी आप ही मेरा नाम रख लो। अन्य बच्चों ने भी एक साथ कहा गुरु जी आप ही नया नाम रखो।

गुरु जी ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा ....ज्योति नाम कैसा रहेगा ?

सभी बच्चों ने खुश होकर ताली बजाकर अपनी सहमति दी, तो वहीं लड़की को भी नया नाम बहुत पसन्द आया ... जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आज वह जोगड़ी से ज्योति बन चुकी थी।

ज्योति का स्कूल में पहला दिन ही उसे एक नयी पहचान दिला गया ... सभी बच्चे उसे अब ज्योति कहते। वह पूरे उत्साह से नित्य विद्यालय आने लगी... पढ़ने में उसका मन रमने लगा। हाफटाइम में भी उसके घर जाने की इच्छा ना होती थी। उसकी देखा-देखी अन्य बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, वे भी स्कूल में प्रवेश लेने लगे थे।

ज्योति अब पूरा दिन स्कूल में गुजारने लगी। जिसका परिणाम यह हुआ कि वह दो साल में ही कक्षा चार में पहुंच गयी। गुरु जी ने भी उसे हर छह माह में अगली कक्षा में प्रवेश दिलाया। ज्योति अब पूरे स्कूल की नायक थी।

आज वह जब नित्य की तरह स्कूल में थी ... तभी उसे अन्य बच्चों से पता लगा कि गुरु जी का स्थानान्तरण अन्य स्कूल में हो गया है तो उसे सहज ही विश्वास न हुआ... वह अपने सपनों को जिस गुरु के मार्गदर्शन में पाने की चाह रख रही थी ... वे तो सच में स्थानांतरित हो गये थे।

ज्योति की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी ... अन्य बच्चों की आंखें भी नम थी। जिन गुरु के मार्गदर्शन में वे अभ्यस्त हो गये थे ..... वे आज जा रहे हैं। गुरु जी ने सभी को समझाया कि यह एक प्रक्रिया है .... 'मेरी जगह अन्य गुरु जी आए हैं वे आपको बहुत कुछ नया सिखाएंगे। ज्योति तुम व सभी बच्चे निरंतर पढ़ते रहना .. व ज्ञान की इस ज्योति को बुझने मत देना।' गुरु जी भी भावुक हो गये थे .. बच्चों के चेहरे पर उदासी के भाव व आंखों में आंसू ही उनकी महत्ता को बता रही थी। ज्योति ने गुरु जी के पांव छुते हुए कहा 'गुरुजी आपने मुझे नये नाम के साथ ज्ञान का प्रकाश दिया है मैं जोगड़ी से ज्योति बन गयी हूं.. मैं सदा इसी पथ पर अग्रसर रहूंगी।'

सभी बच्चों ने फिर भारी मन से गुरु जी को विदा किया। ज्योति सहित सभी बच्चे अश्रुपूर्ण नयनों से गुरुजी के ओझल होने तक हाथ हिलाते हुए गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा व स्नेह प्रदर्शित करते रहे।

संपर्क:

राजकीय इंटर कॉलेज रानीचौरी,

टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

पिन 249131

मो. 9927198746

गोल्डन रिंग

राम करन

इधर मां पापा के साथ बाजार के लिए निकली उधर बंटू फुर्र हो गया। जब साथ में बैट-बॉल और साथी हों तो दिन बहुत छोटा हो जाता है। दस – दस ओवर के तीन-चार मैच में ही शाम हो जाती है। मैच के बीच में लंबा ब्रेक हो जाता है। कारण कि मैदान गांव के बाहर खेतों के पास है। वहां पीने का पानी नहीं मिलता। ऊपर से धूप और दौड़-भाग में पसीना बहुत आता है। पानी पीने के लिए गांव तक भागकर आना पड़ता है। जो भी हो दिन का पता नहीं चलता। लेकिन जब मां बाजार जाती है तो बंटू का मन उधर ही लगा रहता है। मां आते समय जरूर उसके और बिंदिया के लिए कुछ न कुछ लाती है। पिछली बार बिंदिया के लिए रिबन-बैंड, फ्रॉक और उसके लिए टी-शर्ट लाई थी। क्या है कि गांव देहात में है तो काम की चीजें नहीं मिल पाती है।

शाम को मां आई तो बंटू-बिंदिया ने लपककर बैग थाम लिए। इस बार मां समोसा और छेना मिठाई लाई थी। छेना मिठाई तो दोनों को बहुत पसंद था। पर छेना खाते-खाते उसकी नजर मां की अंगुली पर गई। उनकी अंगुली में एक अंगूठी चमक रही थी। वह समझ गया कि मां सुनार के यहां गई थी। उसने उनकी अंगुली थामकर पूछा-"सोने की है?"

"हां," उन्होंने सिर हिलाकर कहा।

"कितने की?"

"बहुत महंगी...।"

"हजार की या दो हजार की?"

"न हजार, न दो हजार, पूरे बारह हजार की।"

मां ने अंगुलियां फैलाकर दिखाया। बाप रे! सोना बहुत महंगा है। उसने और बिंदिया ने घुमा-घुमाकर उसे देखा। उसमे जड़े मीने को सहला-सहलाकर महसूस किया। उसका मन हुआ कि वह ऐसी चमकदार गोल्डेन रिंग पहने। जब वह बड़ा होकर कमाने लगेगा तो सबसे पहले एक मीने वाली गोल्डेन रिंग लेगा।

इधर मां पापा के साथ बाजार के लिए निकली उधर बंटू फुर्र हो गया। जब साथ में बैट-बॉल और साथी हों तो दिन बहुत छोटा हो जाता है। दस-दस ओवर के तीन-चार मैच में ही शाम हो जाती है। मैच के बीच में लंबा ब्रेक हो जाता है। कारण कि मैदान गांव के बाहर खेतों के पास है। वहां पीने का पानी नहीं मिलता। ऊपर से धूप और दौड़-भाग में पसीना बहुत आता है। पानी पीने के लिए गांव तक भागकर आना पड़ता है। जो भी हो दिन का पता नहीं चलता...।

सोते समय वह सोचने लगा। कितना सोना होगा उसमें। बारह हजार में कितना गेहूं–चावल आयेगा। उसकी और बिंदिया के कई ड्रेस आ जायेंगे। सोंचते–सोंचते वह सो गया। सुबह उसे ख्याल आया कि क्यों न एक दिन वह रिंग पहनकर देखे। उसे पहनकर खेले। सबको दिखाए। लेकिन कैसे ले। अगर मां से मांगे तो क्या वो दे देंगी। डांट दें तो। जिस दिन मां खुश रहेंगी उस दिन मांगेगा।

तीन–चार दिन निकल गए। एक दिन उसने देखा कि गोल्डेन रिंग ताक पर रखी है। उसने पीछे मुड़कर देखा। मां काम करती हुई कुछ गुनगुना रही थी। उसने धीरे से रिंग उठाया और छोटी अंगुली में पहन लिया। मगर अंगुली पतली थी। अंगूठी सरकने लगी। उसने बीच वाली अंगुली में पहना। उसमें भी अंगूठी ढीली थी। फिर उसने तर्जनी में पहनी तो कुछ ठीक लगी। पूरी तरह तो फिट नहीं बैठ रही थी, पर काम चलाऊ हो गई। वह उसे पहनकर खेलने निकल गया। मैदान में पहुंचा तो कोई नहीं था। उसे लगा कि वह बहुत जल्दी आ गया है। वह पेड़ की जड़ पर बैठकर अंगूठी के मीने से खेलने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा तो अज्जू और आशू आते दिखाई दिए। आशू ने बताया– आज लग रहा है कि सब घर पर नहीं हैं। आज गुल्ली–डंडा खेलते हैं।

"उससे अच्छा है तैरने चलते हैं...ताल में नहाए बहुत दिन हो गए," अज्जू बोला।

"हां, गर्मी तो है....," बंटू का भी मन तैरने को करने लगा।

तीनों तैरने चले गए। कभी इधर से तो कभी उधर से झमाझम कूदकर नहाने लगे। छपाक–छपाक कर तैरते। नाक बंद कर डुबकी लगाकर सांस रोकते। फिर तीनों छुवा–छुवौवल खेलने लगे। कभी बंटू अज्जू और आशू को छूता तो कभी वे दोनों। बहुत देर तक वे खेलते–तैरते रहे। शाम को बाहर निकलकर घर चल दिए।

बंटू घर पहुंचा तो अचानक उसे रिंग की याद आई। रिंग अंगुली में नहीं थी। वह सन्न रह गया। अंगूठी तो उसने निकाली नहीं थी। फिर कैसे? लगता है पानी में सरक गई। वह कैसे भूल गया कि वह गोल्डेन रिंग पहने है। बारह हजार रुपए की रिंग! अभी तो बवाल हो जायेगा। मां पूछेगी तो? उसे बहुत घबराहट होने लगी। अभी तो शाम भी हो गई है। अगर ताल पर जाए... लेकिन रिंग पता नहीं कहां गिरी। पानी के अंदर तो दिखेगा भी नहीं। उससे बड़ी लापरवाही हो गई। पापा को अगर पता चल गया कि उसने रिंग गुमा दी तो...। मां तो समझ गई होंगी कि रिंग वही पहन कर गया है। देखते ही पूछेंगी। बेकार में उसने पहन लिया। खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो..। बारह हजार! इतना पैसा तो उसके गुल्लक में भी नहीं होगा। जब मां पूछेंगी तो कैसे कहेगा कि उससे गुम हो गई। कितना नाराज होंगी। उसका हर्ट बीट बढ़ गया। इतना कि वह खुद सुन सकता था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह जाकर खुद बता दे कि रिंग उससे गुम हो गई और मां कह दे–कोई बात नहीं। दूसरी आ जायेगी।

वह किसी तरह दबे पांव घर पहुंचा। चेहरा धुआंया हुआ था। पांव जैसे बहुत भारी हो रहे थे। वह चुपचाप जाकर बिंदिया के पास बैठ गया। उसने सोचा कोई बात हुई होगी तो बिंदिया उसे बता देगी। लेकिन बिंदिया ने कुछ नहीं बताया। बस कहा–"आ गए।"

उसके मन में तो हलचल मची थी। लगता था कि कोई आंधी अभी उठेगी और उथल–पुथल मचा देगी। हंगामा खड़ा हो जायेगा। इत्ता सा लड़का! शौक सोने का! बहुत महंगी पड़ेगी उसे यह गलती। अंधेरा धीरे–धीरे बाहर से घर के अंदर तक पसर गया। खाना बन गया। सबने खाना खा लिया। सब सोने जाने लगे। लेकिन अंगूठी के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। बात क्या है? पंखा चलाकर वह चादर

बंटू घर पहुंचा तो अचानक उसे रिंग की याद आई। रिंग अंगुली में नहीं थी। वह सन्न रह गया। अंगूठी तो उसने निकाली नही थी। फिर कैसे? लगता है पानी में सरक गई। वह कैसे भूल गया कि वह गोल्डेन रिंग पहने है। बारह हजार रुपए की रिंग! अभी तो बवाल हो जायेगा। मां पूछेगी तो? उसे बहुत घबराहट होने लगी। अभी तो शाम भी हो गया है। अगर ताल पर जाए... लेकिन रिंग पता नहीं कहां गिरी। पानी के अंदर तो दिखेगा भी नहीं। उससे बड़ी लापरवाही हो गई। पापा को अगर पता चल गया कि उसने रिंग गुमा दी तो...।

से मुंह ढक लिया। शायद मां को अभी याद आ जाए और वो आकर पूछने लगे-बंटू अंगूठी कहां है? मां तो नहीं आई। मगर उसे नींद भी नहीं आई। बाहर से वह दिखा रहा था कि वह सो गया है पर वह रतजगा कर रहा था।

किसी तरह रात बीत गई। लेकिन उसे चिंता हो रही थी। अब तो मां को याद आ ही जायेगा और तब...। वह अंदर से बहुत उदास था पर कोशिश कर रहा था कि कोई जान न पाए। उसका मन न खेलने को कर रहा था, न खाने को और न ही कहीं जाने को। आशू-अज्जू मैदान की तरफ जाते-जाते इशारे से बोल रहे थे-अबे आ जा। पर उससे टस से मस भी नहीं हुआ जा रहा था। उसे लगता था कि अभी पापा आयेंगे और अंगूठी पर तफ्तीश शुरू करेंगे। फिर जोर से थप्पड़ लगाकर बोलेंगे – नवाब वाजिद अली शाह बनने का शौक चढ़ा है। परंतु न कोई पूछता था न उसका डर जा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है। गलती तो उससे बहुत बड़ी हुई है। इतनी कीमती चीज उसे नहीं ले जानी चाहिए थी। दूसरा दिन बीत गया। रात बीत गई। अब तो जैसे उसकी सांस फूल रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि क्यों अभी तक किसी ने उससे सवाल-जवाब नहीं किया। पूछताछ हो जाती तो बात खत्म हो जाती। उसे डांट पड़ गई होती तो उसका भी जी हल्का हो जाता।

किसी तरह रात बीत गई। लेकिन उसे चिंता हो रही थी। अब तो मां को याद आ ही जायेगा और तब...। वह अंदर से बहुत उदास था पर कोशिश कर रहा था कि कोई जान न पाए। उसका मन न खेलने को कर रहा था, न खाने को और न ही कहीं जाने को। आशू-अज्जू मैदान की तरफ जाते-जाते इशारे से बोल रहे थे-अबे आ जा। पर उससे टस से मस भी नहीं हुआ जा रहा था। उसे लगता था कि अभी पापा आयेंगे और अंगूठी पर तफ्तीश शुरू करेंगे। फिर जोर से थप्पड़ लगाकर बोलेंगे-नवाब वाजिद अली शाह बनने का शौक चढ़ा है। परंतु न कोई पूछता था न उसका डर जा रहा था।

तीन-चार दिन हो गए। बंटू के अंदर ही यह रहस्य उठता और दबता रहा। उसके पेट में जैसे गैस का गोला छूटता। कहीं मन नहीं लगता। आखिर मां ने पूछ ही लिया- "बंटू, तुम्हारी तबियत ठीक है?"

उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर ताप महसूस किया।

"ठीक तो है... क्यों...,, क्यों पूछ रही हैं?"

"देख रही हूं तुम बहुत सुस्त लग रहे हो।"

"नहीं तो।"

उसने धीरे से कहा। पर उसका मन किया कि कह दे-सॉरी ! वो गोल्डेन रिंग मुझसे गुम हो गई। पर कह नहीं पा रहा था। तभी बिंदिया मां की अंगुलियाँ टटोलते हुए बोली-"मम्मी तुम्हारी अंगूठी?"

बंटू का दिल जोर से धड़का। मानो बिंदिया ने हथौड़ा मार दिया हो। अब तो वह पकड़ा गया। वह चोर दृष्टि से मां को देख रहा था कि वो क्या कहती हैं। मां ने कहा-"कहीं रखी थी। अब दिख नहीं रही।"

अच्छा तो मां को उस पर शक नहीं है। वह तो बेकार में इतने दिनों से घबराया हुआ था। लेकिन फिर भी वह तो जानता है न कि उससे बड़ी गलती हुई है।

"कहां रखी थी?" बिंदिया ने फिर प्रश्न किया।

"घर में ही रखी थी। लग रहा है कोई चूहा ले गया।"

"सोने की अंगूठी चूहा.. ढूंढ़ते हैं...।"

मां हंसने लगी। पर बंटू को उनका हंसना समझ में नहीं आ रहा था। वह कैसे हंस सकती हैं। तभी मां ने कहा-"सोना नहीं पीतल था, बिंदू। चोर उचक्कों का डर था। इसलिए दो अंगूठी ली थी। एक बिसाती से पीतल की और दूसरी सोने की। सोने की अंगूठी तो रख दी थी। पीतल वाली पहन ली थी.... जाने दो। कोई बात नहीं।"

संपर्कः- राम करन

मो.- 8299016774

माला की चाँदी की पायल

-ऐनी बेसंट

हुश्श्श!
माला बिल्ली को डराती।

हेएए!
वह अपनी नानी को डराती।

धप्प!
वह अपने छोटे भाई को डराती।

भऊऊ!
वह डाकिए को डराती।

एक दिन माला की माँ ने उसे
एक छोटी-सी डिब्बी दी।

"माला, यह तुम्हारे लिए है,"
वे बोली।

माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें
उसे मिली-नीले कागज में लिपटी,

प्यारी-सी चाँदी की पायल!
उन्हें पहनकर, वह पूरे घर में घूमने लगी।

छिक-छिक-छम
छोटे-छोटे घुँघरू झनकते।

छिक-छिक-छम
अब माला जहाँ भी जाती, सब जान जाते।

छिक-छिक-छम
माला की हुश्श्श! से पहले बिल्ली

कूद गई।
छिक-छिक-छम

माला की हेएए! से पहले नानी
पलट गई।

छिक-छिक-छम
माला की धप्प! से पहले छोटा भाई

बाहर भाग गया।
छिक-छिक-छम

माला की भऊऊ! से पहले डाकिया
निकल गया।

छिक-छिक-छम
अब माला किसी को डरा नहीं पाती।

तो ऐसे में माला ने किया?
उसने अपनी चाँदी की पायल उतार दी।

गांधी क्विज–12

प्रश्न 1. किस आन्दोलन के समय गांधीजी ने 'करो या मरो का नारा' दिया?

उत्तरः– क. चंपारण आंदोलन
ख. भारत छोड़ो आन्दोलन
ग. दांडी मार्च
घ. असहयोग आंदोलन

प्रश्न 2. 1915 ई० में गांधीजी को ब्रिट्रिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था?

उत्तरः– क. कैसर–ए–हिन्द
ख. नोबल पुरस्कार
ग. केन्द्रीय पुरस्कार
घ. हिन्द की आवाज

प्रश्न 3. गांधीजी का 'दांडी मार्च' किस आन्दोलन से संबंधित था?

उत्तरः– क. नमक आन्दोलन
ख. स्वदेशी
ग. खादी
घ. पानी

प्रश्न 4. महात्मा गांधी को 'अर्धनग्न फकीर' किसने कहा था?

उत्तरः– क. चर्चिल
ख. माउंटबेटन
ग. कृपलानी
घ. चार्ली चौपलिन

प्रश्न 5. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था?

उत्तरः– क. रिक्रूटिंग सार्जेन्ट
ख. विजिटर
ग. सिपाही
घ. हिन्दुस्तानी

प्रश्न 6. महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर सम्बोधित किया था?

उत्तरः– क. सुभाष चन्द्र बोस
ख. लाला लाजपत राय
ग. बाल गंगाधर तिलक
घ. जवाहर लाल नेहरू

प्रश्न 7. महात्मा गांधी ने 'सत्याग्रह' के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था?

उत्तरः– क. दक्षिण अफ्रीका में
ख. अमेरिका में
ग. जापान में
घ. जेनेवा में

प्रश्न 8. महात्मा गांधी ने भारत में 'सत्याग्रह' सबसे पहले कहाँ किया था?

उत्तरः– क. चम्पारण में
ख. करनाल में
ग. कर्नाटक में
घ. हरियाणा में

प्रश्न 9 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधीजी को कैद करके कहाँ रखा गया था?

उत्तरः– क. आगा खाँ पैलेस (पुणे) में
ख. लाल किला में
ग. राजस्थान में
घ. कच्छ में

प्रश्न 10 'हिन्द स्वराज' व 'माई एक्सपेरीमेन्टस विद ट्रुथ' पुस्तक के लेखक कौन थे?

उत्तरः– क. महात्मा गांधी
ख. लाल बहादुर शास्त्री
ग. तांत्या टोपे
घ. काका कालेलकर

नोटः आप गांधी क्विज के उत्तर antimjangsds@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रथम विजेता को उपहार स्वरूप गांधी साहित्य दिया जायेगा।

कस्तूरबा के गांधी (नाटक)

विश्वमोहन

जिंदगी भी एक नाटक ही है। अंतर बस इतना रहता है कि किरदार के हाथ में इसकी पांडुलिपि नहीं होती यात्रा के आरंभ में। यात्रा का भविष्य बिलकुल अनजान होता है। पथ और पाथेय पथिक के साथ एक अराजक डोर में बँधे होते हैं। कई किरदार मिलते बिछुड़ते हैं। समय, स्थान, परिस्थिति सभी कभी अपने स्वतंत्र प्रवाह में तो कभी एक दूसरे की बहाव में बहे चले जाते हैं। कुछ भी नियोजित नहीं होता। सब कुछ फ्रेश सब कुछ टटका! पूरी की पूरी यात्रा अपने हर क्षण की एक निरुद्देश्य एंट्रॉपी में गमन करती है। किंतु, जैसे ही यात्रा अपने इति श्री बिंदु पर अशेष होती है, यात्रा के किरदार को अपना 'हिन्डसाईट' कुछ और ही दिखता है। मतलब, यात्रा के क्रम में ऊबड़-खाबड़ जमीन पर आगे की यात्रा जितनी ही अनिश्चित, अपरिभाषित, अनियोजित, संदिग्ध, उद्भ्रांत और अनजाना दिख रही थी, यात्रा के अवसान बिंदु पर पहुँचकर पीछे ताकने पर वह समस्त यात्रा-पथ उतना ही निश्चित, सुपरिभाषित, सुनियोजित, स्पष्ट, निःभ्रांत और मानो पहले से जानी-पहचानी राह के सफर के रूप में दिखायी पड़ता है। गाड़ी के पार्श्व दर्पण के उलट अतीत के बिंब अपनी वास्तविक दूरी से नजदीक दिखने लगते हैं। दृष्टि की लौकिकता प्रखर हो जाती है और दृष्टिकोण अलौकिक। दृष्टि देह की देह पर होती है। परंतु, दृष्टिकोण आत्मा का होता है।दैहिक उद्यम का यह आंतरिक संवाद आत्मा के स्तर पर होने लगता है। एक ऐसी ही लौकिक गाथा के पारलौकिक संवाद की द्रष्टा हैं - नाट्य समूह ' शून्य' की संस्थापक नाटककार रमा यादव और इनका मंत्र उचार गूंज रहा है इनकी नाट्य कृति 'कस्तूरबा के गाँधी' में। कस्तूरबा और गाँधी की आत्माओं की बातचीत के ये शब्द पार्श्व दीप्ति में आभासित हो रहे हैं। रमा जी की इस नाट्य प्रस्तुति की पृष्ठभूमि भी बड़ी रोचक है।

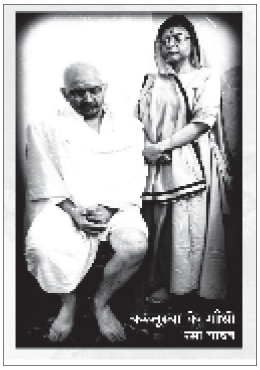

प्रकाशक:
संजना बुक्स, डी 70/4, अंकुर एनक्लेव, करावल नगर, दिल्ली 110010

लेखक:
प्रोफेसर रमा यादव

मूल्य : ₹150

“गाँधी पर बहस मुबाहिसे होते ही रहते हैं, ...ऐसा करते- करते कब गाँधी मन में गहरे समा गये पता ही नहीं चला। ....उस समय जब मंच पर बापू को देखती तो मेरे मन के भीतर की ‘स्त्री’ बापू को ‘बा’ की नजर से परखती। तभी जब टीकम ने कहा कि गाँधी पर नाटक लिखो जो अलग नजरिए से हो। मैं सहज ही हाँ कर दी।.... जब नाटक लिखने बैठी तो एकदम ‘बा’ मेरे मन में आ बैठीं. मैनें जैसे ही नाटक का पहला संवाद लिखा तो ‘बा’ भीतर से बोल उठीं।.. इस तरह से ‘कस्तूरबा के गाँधी’ की रचना हुई।”

> ***‘सोचा क्यों न मैं भी तुम्हें आज गांधी कहकर पुकारूँ.’ कस्तूरबा की हँसी से उपजे ये वाक्य बातचीत की शुरुआत में ही अपने पति के साथ समानता के धरातल पर जुड़कर आत्मीयता के वातावरण के सृजन का स्वाभाविक पत्नीधर्मा प्रयास है।’कस्तूर तुम तो मेरे साथ रहोगी न यूँ ही हमेशा..’ इस वाक्य में मानो गाँधी की समस्त अंतर्भूत करुणा एक साथ छलक कर बाहर आ जाती है और बा की मन वीणा के सारे तार एक साथ झंकृत हो उठते हैं- ‘तुमसे अलग थोड़ी ही हूँ. जिस दिन से तुम्हारे साथ आ गई तुम्हारी हो ली.. जहाँ ले चले चलती रही।***

नाटककार के अंतस् में पैठी ‘बा’ की आत्मा का बापू की आत्मा के संग यह आलाप न केवल एक दंपति के मनोभावों का सहज उच्छ्वास है, प्रत्युत उसके भीतर से समसामयिक कालखंड का दीर्घ इतिहास झाँकता है।पति- पत्नी की इस टोका-टोकी और छेड़-छाड़ की मिठास अतीत की तिक्तता को घुलाकर आत्मिक अभिसार के शाश्वत आसव का प्रसार कर रही है। भौतिक द्वैत आध्यात्मिक अद्वैत में समा जाता है।

‘रघुपति राघव राजा राम’ की सुरम्य धुन से धुलती एक छोटी सी कोठरी। चारपाई, चरखा, चौकी, कलम, दवात, कुछ कागज-पतर और कोने में मिट्टी का घड़ा। कमर में इंगरसोल घड़ी लटकाये गाँधी कुछ लिखने में मशगूल। खद्दर की धोती में हाथ पोंछती और कुछ भुनभुनाती कस्तूरबा का बगल के कक्ष से सहसा प्रवेश। नाटक के श्री गणेश का यह सहज दृश्य इसके किरदारों के जीवन दर्शन की आभा से दर्शकों को आरंभ में ही प्रक्षालित कर देता है।

‘सोचा क्यों न मैं भी तुम्हें आज गांधी कहकर पुकारूँ.’ कस्तूरबा की हँसी से उपजे ये वाक्य बातचीत की शुरुआत में ही अपने पति के साथ समानता के धरातल पर जुड़कर आत्मीयता के वातावरण के सृजन का स्वाभाविक पत्नीधर्मा प्रयास है।’कस्तूर तुम तो मेरे साथ रहोगी न यूँ ही हमेशा..’ इस वाक्य में मानो गाँधी की समस्त अंतर्भूत करुणा एक साथ छलक कर बाहर आ जाती है और बा की मन वीणा के सारे तार एक साथ झंकृत हो उठते हैं- ‘तुमसे अलग थोड़ी ही हूँ. जिस दिन से तुम्हारे साथ आ गई तुम्हारी हो ली.. जहाँ ले चले चलती रही। मैंने न घर देखा न बार बस रात दिन तुम्हें देखा. ये जो तुम एकदम जिद्दी और झक्की।’ यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह वाक्य लिखते समय बा सचमुच रचनाकार के मन आँगन में उतर आयी हैं। रमा यादव स्वयं एक नारी हैं और नारी मन की पीड़ा को उन्होंने अपने शब्द चित्रों में एक कुशल चितेरे की तरह उतार दिया है। संभवत: यह संवाद लिखते समय उनके मन में उतर आयी बा के सामने उनका पूरा अतीत उतर आया होगा।

फिर बा के हाथों को थामकर जैसे बहुत कुछ एक साथ सोचते हुए बापू की भाव प्रवण स्वीकारोक्ति, ‘कुछ जगह तो गलतियाँ हुई हैं मुझसे... कुछ जगह क्यों कई जगह पर गलतियाँ हुई हैं..’ दर्शकों को ऊहापोह में डाल देता है। वह यह सोचने को विवश हो जाता है कि बापू की इस गलती का इशारा विचारधारा की ओर है या व्यक्तिगत जीवन की ओर!

गाँधी के हाथ से सूत के गोले को चरखे पर चढ़ाती कस्तूरबा सहज भाव में गुनगुनाने लगती हैं, चदरिया झीनी रे झीनी ..। इस आलाप में जहां एक ओर गाँधी की राजनीति

में अध्यात्म तत्व की आहट सुनाई देती है, वहीं बा के अतीत की खट्टी मीठी स्मृतियों का राग भी गूँजता है। गाँधी का अध्यात्म व्यावहारिक था। यह यथार्थ पर टिका था, न कि किसी स्वप्निल आदर्श पर। वहीं कस्तूरबा पग पग पर इस आधात्मिकता की अग्नि में तप रहीं थी और पक रहीं थीं। बा की डबडबातीं आँखों में गाँधी के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की टीस तैर रही है। व्रती ने अपने निर्णय में सहचरी के मन का स्पर्श तक न किया! भारतीय संस्कार में सप्तपदी की शर्तों पर यह कुलिश वज्राघात है जिसमें किसी भी पतिव्रता का भहराकर गिर जाना स्वाभाविक है। वह सर्वथा सत्य के इस अनोखे उपासक की टोका-टोकी का अनवरत दंश सहती रही। फिर भी, बा ने वैवाहिक जीवन की डोर को थामे रखा। इतिहास के समकालीन घटनाक्रम की स्मृतियों में विचरती बा नयनों की बोली में ही बापू को बहुत कुछ समझा जाती हैं। और निरुत्तर गाँधी सिर नीचा किए उसमें गड़े जा रहे हैं। बा के तर्कों से पराजित होने का संशय उनकी आँखों से झाँक रहा है। बा की आंतरिक दृढ़ता बापू के स्मरण में 'कर्कश' शब्द बनकर उभरती है। दूसरी ओर बा बापू को जिद्दी करार देती है। फिर, यह कहकर कि 'यह जिद ही बापू की ताकत थी', पतिव्रता की पुष्ट परंपराओं के पालने में पलने वाली यह परिणीता अपने प्रियतम पर अपने अभिसार के मधुर भावों को न्योछावर कर देती है। भले ही पखाना साफ करने के बापू के फैसले से बा ने खुद को प्रताड़ित महसूस किया हो, किंतु आज के इस अलौकिक मुहूर्त में वह कृतज्ञ भाव से स्वीकार रही है कि गांधी के इस हठ ने गाँधी के साथ-साथ उसे भी तार दिया।

बापू के इस कथन में कि, 'समझ नहीं आता कि किस तरह मनुष्य पर ये बुराइयाँ इतनी हावी हो जाती हैं.. क्यों वो आदमी होकर भी आदमी का दुश्मन हो जाता है ,,,,,क्यों एक जाति मैला ढोने का ही काम करती रहे... हमारे ही गंदगी साफ करे और हम ही उसे अछूत नाम दे दें', नाटककार ने समूचे गांधी दर्शन को उड़ेल दिया है। रह रहकर बापू की बातों से बा पर उनकी ज्यादतियों की यादों से उपजा अपराध भाव बरस पड़ता है, "जिसने पग-पग पर साथ दिया, उसी की भावनाओं को न समझा। इसे अत्याचार नहीं तो क्या कहेंगे? ये हर कदम पर मेरा साथ देती चली गई .." बापू का यह स्वगत संबोधन पाठक और दर्शक को करुणा की अजस्त्र धार में छोड़ आता है। यहाँ गांधी का अपराध भाव हो या एक नारी रचनाकार के मन में अपने मरद की मर्दानगी से मर्माहत पत्नी की मनोव्यथा!, अभिव्यक्ति की सशक्तता ने दृश्य को अत्यंत संजीदा बना दिया है। बापू के अपराध भाव से स्पंदित बा अब उन्हें उनके मूल्यों के उदात्त गौरव का पुनर्स्मरण कराती है,'मुझे याद है तुमने जो कहा था कि -"यदि मेरे सामने ये सिद्ध हो जाये कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक आवश्यकता अंग है तो मैं अपने को ऐसे धर्म के प्रति विद्रोही घोषित कर दूँगा।" अर्वाचीन भारत की वर्तमान विद्रूपता पर बा की विभ्रांति बिलख पड़ती है," आज फिर ये सब लोग हाशिये पर आ गये हैं.. मजदूरों का तो कोई ठौर ठिकाना-सा ही नहीं लगता। कई बार मन तड़प पड़ता है..." संवेदना की व्यंजना इतनी सघन है मानों नाटककार में स्वयं कस्तूरबा समा गई हों!

हाँ, लेकिन संवेदना और समर्पण की हहराती लहर में बा का यूँ बह जाना, "ये भी नहीं कि मैं पुरानी मान्यताओं को मानती थी इसलिए तुम्हें परमेश्वर मान चुकी थी। मेरा अपना खुद का भी एक मस्तिष्क था ...मैं तुम्हारे साहस की क़ायल थी गांधी", फेमिनिस्ट वीरांगनाओं के उत्साह पर पानी अवश्य फेर सकती है।

तीन अंकों में पसरे इस नाटक की बनावट और बुनावट अत्यंत सुगठित है। पुस्तक के संपादन में यत्र तत्र त्रुटियाँ आँखों में गड़ती है। टंकण त्रुटियाँ भी हैं। काल दोष भी दिखता है। चंपारण सत्याग्रह का समय 1917 की जगह 1920 वर्णित है। पुस्तकाकार में प्रस्तुत यह नाटक आज की एक अत्यावश्यक कृति है। प्रकाशक संजना बुक्स ने अत्यंत सार्थक और आकर्षक मुखपृष्ठ के साथ इस पुस्तक को पाठकों के समक्ष परोसा है । अस्तु!

गतिविधियाँ

गांधी दर्शन में स्वयं सेवा पर परिचर्चा

हिन्दू कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के सौजन्य से स्वयं सेवा की सामाजिक उपादेयता पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में समिति के प्रशासनिक अधिकारी संजीत कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित कर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वयं सेवा के योगदान और गांधी जी के जीवन पर विस्तृत व्याख्यान दिया। संजीत कुमार ने गांधी जी की संपूर्ण जीवन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे महापुरुष समूचे संसार में दुर्लभ हैं जिनका जीवन ही उनका सच्चा संदेश बनकर हमारा पथ प्रदर्शित करता है।

कार्यशाला में समिति के शोध अधिकारी डॉ सौरव राय ने कहा कि गांधी ने स्वयं सेवा का अभ्यास दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान बोअर युद्ध तथा उसके बाद फीनिक्स आश्रम में किया। भारत आगमन के बाद यहां बनाए विभिन्न आश्रमों में सेवा गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने स्वयं सेवा को अनिवार्य तत्व बना दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ पल्लव ने कहा कि छोटे और गैर महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कार्यों में भी स्वयं सेवा की आवश्यकता होती है जिनके माध्यम से बड़े सेवा कार्यों तक पहुंचा जा सकता है।

कार्यशाला का संयोजन कर रहे गांधी अध्येता राजदीप पाठक ने गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उद्देश्यों तथा इतिहास की जानकारी दी। इससे पूर्व समिति प्रांगण में पहुंचने पर वेदाभ्यास कुंडू एवं अन्य साथियों ने स्वयं सेवकों का स्वागत किया।

जर्मनी की विदेश राज्यमंत्री का गांधी स्मृति में आगमन

जर्मनी की विदेश राज्यमंत्री डॉ. अन्ना लुहरमन ने 21 मार्च, 2025 को गांधी स्मृति का दौरा किया। उनका स्वागत गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की निदेशक सुश्री पल्लवी प्रशांत होळकर ने किया तथा उन्हें महात्मा गांधी की आत्मकथा भेंट की। इस अवसर पर भारत में जर्मनी गणराज्य के दूतावास के प्रथम सचिव श्री सेबेस्टियन बोरचमीयर भी उपस्थित थे।

'चरखा 2.0 महोत्सव'

दो दिवसीय 'चरखा 2.0 महोत्सव' का आयोजन गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 मार्च 2025 को शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियाँ और पहल शामिल हैं।

उद्घाटन सत्र में प्रो. के. पी. सिंह, निदेशक, गांधी भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज के समय में गांधीवादी मूल्यों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, डॉ. वेदाभ्यास कुंडू, कार्यक्रम अधिकारी, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति ने उभरते ज्ञान क्षेत्रों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में गांधीवादी सिद्धांतों के समावेश पर विस्तृत व्याख्या दी।

पहले सत्र में प्रो. बिंदु पुरी, सेंटर ऑफ फिलॉसफी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने समकालीन विमर्शों में गांधीवादी अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा की।

समिति ने छात्रों के लिए एक चरखा प्रदर्शन सत्र आयोजित किया। इसके अलावा, एक पुस्तक स्टॉल और खादी वस्त्रों का स्टॉल भी लगाया गया।

बच्चों ने जाना गांधी को

भवन विद्यालय, पंचकूला के 64 छात्रों और शिक्षकों के एक समूह ने 27 मार्च, 2025 को गांधी स्मृति का दौरा किया। जीएसडीएस की निदेशक सुश्री पल्लवी पी. होळकर ने उत्साही छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रशंसा के भाव के रूप में, बच्चों ने सुश्री पल्लवी को 'धन्यवाद' कार्ड भेंट किए। इस अवसर पर, उन्होंने श्री प्रमोद शर्मा को सम्मानित किया और शिक्षकों और छात्रों को स्कूल की लाइब्रेरी के लिए अंतिम जन की प्रतियां भेंट कीं। इस अवसर पर राजदीप पाठक द्वारा बच्चों को ओरिएंटेशन दिया गया और उनके लिए एक निर्देशित भ्रमण भी आयोजित किया गया।

जेंडर समानता पर चर्चा

गांधी स्मृति एवम दर्शन समिति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के तहत गांधी दर्शन, राजघाट में 'जेंडर समानता पर तेजी से कार्यान्वयन' विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस पैनल चर्चा में खेल, पत्रकारिता, शिक्षा, थिएटर, चिकित्सा, पर्यावरण अध्ययन, कानून और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए। सत्र की अध्यक्षता समिति निदेशक पल्लवी प्रशांत होळकर ने की।

निदेशक ने अपने अनुभव साझा करते हुए जेंडर समानता की दिशा में हो रही प्रगति और लड़कियों में प्रारंभिक अवस्था से आत्मविश्वास विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने मंच पर उपस्थित नौ-सदस्यीय पैनल को 'नवदुर्गा' की संज्ञा दी और परिवारों की भूमिका को रेखांकित करते हुए शिक्षा के माध्यम से लड़कियों की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की अपील की। परिचर्चा का संचालन समिति के कार्यक्रम अधिकारी डॉ वेदाभ्यास कुंडू ने किया।

इस अवसर पर समिति के प्रशासनिक अधिकारी संजीत कुमार, एशियन मैराथन चैंपियन डॉ. सुनीता गोदारा, सुश्री अदिति मोहन, हंसराज कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. ज्ञानेश्वरी मलिक सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली

'अंतिम जन' मासिक पत्रिका

(सदस्यता प्रपत्र)

मैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा प्रकाशित अंतिम जन मासिक पत्रिका, (हिन्दी) का/की ग्राहक ....वर्ष/वर्षों के लिये बनना चाहता/चाहती हूँ।

	वर्ष	रुपये		वर्ष	रुपये
[ ]	एक प्रति शुल्क	20/-	[ ]	दो वर्ष का शुल्क	400/-
[ ]	वार्षिक शुल्क	200/-	[ ]	तीन वर्ष का शुल्क	500/-

.... बैंक चेक संख्या/डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या ....

दिनांक .... राशि .... Director, Gandhi Smriti & Darshan Samiti, New Delhi में देय, संलग्न है।

ग्राहक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में): ....

व्यवसाय : ....

संस्थान : ....

पता : ....

....

पिन कोड : ....   राज्य : ....

दूरभाष (कार्यालय) .... निवास .... मोबाईल..............................

ई मेल : ....

हस्ताक्षर ....

कृपया इस प्रोफॉर्मा को भरकर (शुल्क) राशि (चेक/ड्राफ्ट) सहित निम्नलिखित पते पर भेजें :

प्रधान संपादक

'अंतिम जन' मासिक पत्रिका

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली - 110002

आप हमसे संपर्क कर सकते हैं :- दूरभाष : 011-23392796

ई मेल : antimjangsds@gmail.com, 2010gsds@gmail.com

अगर आप 'अंतिम जन' पत्रिका के नियमित पाठक बनना चाहते हैं तो अकाउंट में पेमेंट कर भुगतान की प्रति या स्क्रीनशॉट और अपना पत्राचार का साफ अक्षरों में पता, पिनकोड, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी सहित भेजें।

Name – Gandhi Smriti & Darshan Samiti
A/c No. - 90432010114219
IFSC Code- CNRB0019043
Bank – Canara Bank
Branch – Khan Market, New Delhi-110003

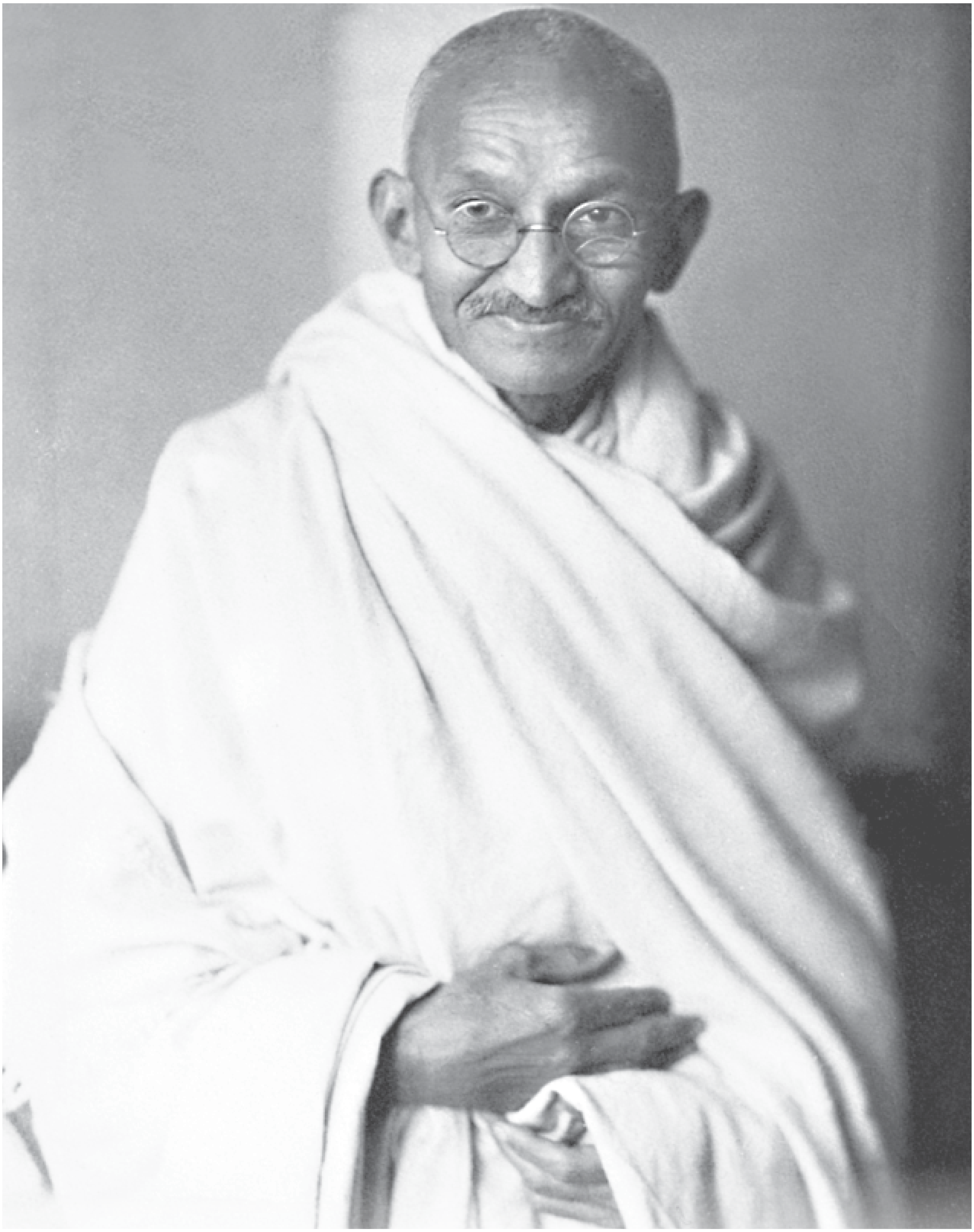

मैं उस रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे चारों और व्याप्त अंधकार को मिटा दे।
जिन्हें अहिंसा की जीवन्तता में आस्था है वे आएं और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो।

मो.क.गांधी

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति

हमारे आकर्षण

गांधी स्मृति म्यूजियम (तीस जनवरी मार्ग)

* गांधी स्मृति म्यूजियम
* डॉल म्यूजियम
* शहीद स्तंभ
* मल्टीमीडिया प्रदर्शनी
* महात्मा गांधी के पदचिन्ह
* महात्मा गांधी का कक्ष
* महात्मा गांधी की प्रतिमा
* वर्ल्ड पीस गोंग
* डिजिटल सिग्नेचर (रोबोटिक)

गांधी दर्शन (राजघाट)

* गांधी दर्शन म्यूजियम
* क्ले मॉडल प्रदर्शनी
* गांधीजी को समर्पित रेल कोच प्रदर्शनी
* गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री (200 लोगों के लिये)
* सेमीनार हॉल (150 लोगों के लिये)
* कॉन्फ्रेंस हॉल (300 लोगों के लिये)
* प्रशिक्षण हॉलः (80 लोगों के लिये)
* ओपन थियेटर
* राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र
* गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री
* गांधी दर्शन आर्ट गैलरी

प्रवेश निःशुल्क (प्रातः 10 बजे से सायंः 6.30 बजे तक), सोमवार अवकाश

हॉल, कमरों एवं आर्ट गैलरी की बुकिंग के लिये संपर्क करें– ईमेलः 2010gsds@gmail.com, 011-23392796

gsdsnewdelhi www.gandhismriti.gov.in

RNI NO. DELHIN/2018/76242

''आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं, उसे कम कराने की भावना से मैं यह बयान नहीं दे रहा हूँ। मुझे तो यही जता देना है कि आज्ञा का अनादर करने में मेरा उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना नहीं है, बल्कि मेरा हृदय जिस अधिक बड़े कानून से-अर्थात अन्तरात्मा की आवाज को स्वीकार करता है, उसका अनुसरण करना ही मेरा उद्देश्य है।''

(मोहनदास करमचंद गांधी)

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
(एक स्वायत्त निकाय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)

प्रकाशक - मुद्रक : स्वामी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के लिए पोहोजा प्रिंट सोल्यूशंस प्रा. लि., दिल्ली - 110092 से मुद्रित तथा गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली-110092 से प्रकाशित।